खण्ड-155, अंक-6
शुक्रवार, 18 भाद्रपद, शक संवत् 1877
(9 सितम्बर, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 155 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

विधान पुस्तकालय
उत्तर प्रदेश

खंड १५५ } शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९५५ { अंक ६

अधिकृत विवरण

शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९५५

विषय — पृष्ठ-संख्या

उपस्थित सदस्यों की सूची	४१५–४१९
प्रश्नोत्तर	४१९–४३९
अधिवेशन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूछताछ	४३९
बनारस में मलमास संबंधी नाव दुर्घटना के विषय में पूछताछ ..	४३९
प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड, उत्तर प्रदेश के निर्वाचन में प्राप्त नाम-निर्देशन पत्र	४३९
कानपुर में एल्गिन मिल्स की तालाबन्दी के सम्बन्ध में श्रम मंत्री का वक्तव्य	४४०–४४१
गोवंश के वध पर अन्तरिम प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में संकल्प (वापस लिया गया)	४४१–४४५
वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प (संशोधित रूप में स्वीकृत)	४४६–४८३
कालपी तथा जालौन में कांस उखाड़ने से संबंधित २२ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न ३०–३१ के विषय पर विवाद	४८३-४८८
नत्थियां	४८९–५००

मुद्रक
अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
१९५५

मूल्य : बिना महसूल ४ आने, महसूल सहित ५ आने।
वार्षिक चन्दा ; बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ६ सितम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्रीआत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६९)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर आचार्य, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयाल शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री

बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्म दत्त दीक्षित, श्री
भगवती दीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाजन, श्री सी० बी०
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेशवर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राज नारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री

रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथभार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री

श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल. श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम ख़ां, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान ख़ां हकीम, श्री
हमीद ख़ां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९५५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिलाधीश, आजमगढ़ द्वारा पशुओं को टीका लगाने वाली औषधि की मांग

१—श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास १२-८-५५ को आजमगढ़ से पशु-चिकित्सा विभाग के उप-संचालक ने पशुओं को टीका लगाने वाली ५० हजार खुराक औषधि की मांग वायरलेस से की थी ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—४०,००० खुराक औषधि के लिये जिलाधीश, आजमगढ़ का वायरलेस उप-संचालक, बाइयोलाजिकल प्रोडक्ट्स सेक्शन, बादशाह बाग, लखनऊ के पास १३-८-५५ को आया था।

२—श्री रामसुदर पांडेय**—यदि हां, तो १६ अगस्त, १९५५ तक कित ने खुराक टीका लगाने वाली औषधि आजमगढ़ जिले को दी गई ?

श्री हुकुमसिंह—१३ अगस्त, १९५५ से १६ अगस्त, १९५५ तक एच० एस० वैक्सीन की २१,००० खुराकें आजमगढ़ को भेजी गईं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश के वायरलेस के पहले सरकार के पास कोई और दवाई की मांग करने का प्रार्थना-पत्र आया हुआ था ?

श्री हुकुमसिंह---आया था।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रार्थना-पत्र पर क्या फैसला किया गया था ?

श्री हुकुमसिंह---भेजने की कोशिश की गयी लेकिन २ अगस्त से १३ अगस्त तक घोसी के लिये कन्साइनमेंट बुकिंग बन्द थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--- क्या यह सही है कि हाल की भयंकर बाढ़ के कारण आजमगढ़ जिले में पशुओं में बीमारी की अधिकता हो गयी है और जो स्टाफ वहां पर है वह कम है ?

श्री हुकुमसिंह---जिले में आज तक ५७ हजार यूनिटें हम भेज चुके हैं और जरूरत होगी फिर भेजेंगे।

मेटल ट्रेडर्स एसोसिएशन, मिर्जापुर का बिक्री कर के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

**३---श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर मेटल ट्रेडर्स एसोसियेशन के सभापति तथा मंत्री एवं सदस्यों की ओर से सरकार की सेवा में एक छपा आवेदन-पत्र आया है, जिसमें बिक्री-कर के कारण वहां के प्रसिद्ध प्राचीन बर्तन उद्योग को, जो गहरा धक्का लगा है उस का उल्लेख है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)---जी हां।

**४---श्री ब्रजभूषण मिश्र---क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि बिक्री-कर के कारण उक्त उद्योग में लगे हुये लगभग ३० हजार श्रमिक बेकार हो रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह---सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है।

**५---श्री ब्रजभूषण मिश्र---क्या उपर्युक्त अवस्था को देखते हुये सरकार उक्त उद्योग पर से बिक्री कर उठाने के पक्ष में शीघ्र ही निर्णय देने का विचार रखती है ?

श्री धर्मसिंह---पीतल के बर्तन उद्योग को बिक्री कर से मुक्त करने के सामान्य प्रश्न पर बिक्री कर समिति और यू० पी० स्माल स्केल और काटेज इन्डस्ट्री बोर्ड की उपसमिति विचार कर रही है। इसलिये मिर्जापुर मेटल ट्रेडर्स एसोशियेशन की प्रार्थना पर कोई निर्णय करने से पहिले सरकार इन समितियों की सिफारिशों को भी जानना चाहती है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बिक्री कर लगने के बाद मजदूरों की जो संख्या घटी है और बर्तन के उत्पादन में जो कमी हुई है उस पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री धर्मसिंह---इस प्रकार की तो कोई सूचना नहीं है। जैसा बतलाया गया प्रश्न ४ के उत्तर में वहां पर तादाद कम पड़ गई। मजदूरों की इस तरह की कोई सूचना नहीं है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी मेरे इस प्रश्न को सूचना समझ कर इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---जी हां। जांच करा ली जायगी।

श्री ब्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन दो उपसमितियों के नाम उन्होंने बताये हैं इन दोनों उप-समितियों के सदस्य और अध्यक्ष के नाम क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता। माननीय सदस्य स्वयं जान सकते हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र---अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जानने का कोई साधन नहीं है।

श्री अध्यक्ष---कोई साधन नहीं है आप के पास तो माननीय वित्त मंत्री बतादें अगर उनके पास हो।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---नाम तो इस वक्त कोई लिये नहीं बैठा है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि शाहजहांपुर की अदालत नें बर्तन उद्योग को सेल्स टैक्स से फ्री होने के बारे में फ़ैसला लिखा है?

श्री अध्यक्ष---यहां शाहजहांपुर का प्रश्न नहीं है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन उप-समितियों की सिफ़ारिशें सरकार के समक्ष कब तक आ जायंगी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मेरा खयाल ऐसा है कि कोई २, ३ महीने में आवेंगी।

तारांकित प्रश्न

हरिजन सहायक विभाग द्वारा १९५०-५१ के आय-व्ययक में स्वीकृत धन के अवशिष्टांश को समर्पित न करना

*१---श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---क्या यह सही है कि सन् १९५०-५१ में हरिजन सहायक विभाग द्वारा अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के सुधार तथा उत्थान के लिये जो धन रखा गया था उसमें २,४३,५७१ रु० की बचत हुई जो समर्पित नहीं की गयी? यदि हां, तो क्यों?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)---जी हां। इसकी सूचना शासन को उचित समय पर नहीं मिली थी।

१९५४ में अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों को छात्रवृत्तियां

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि शासन को यह सूचना कब तक मिल जानी चाहिए थी और कब मिली?

डाक्टर सीताराम---इसकी सूचना शासन को ३१ मार्च से एक हफ्ते पहले तक मिल जानी चाहिये थी लेकिन यह सूचना शासन को ३१ मार्च की रात तक भी नहीं मिल पायी थी।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह सूचना शासन को कब मिली? क्या सवाल करने पर मिली?

डाक्टर सीताराम---जी हां।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो यह बच रहा, खर्च नहीं हुआ, वह शिड्यूल्ड कास्ट के सम्बन्ध में था या बैकवर्ड क्लासेज के लिये था?

डाक्टर सीताराम---परिगणित जातियों से सम्बन्धित था।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह २,४३,५७१ रुपया जो बच गया था, उसे पुनः विद्यार्थियों को दे देने की कृपा करेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---यह सन् १९५०-५१ का था और अब १९५१-५२, १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५ तथा १९५५-५६ के बाद इसका सवाल नहीं उठता।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि १९५१ में कुछ विद्यार्थियों की प्रार्थना सहायता के लिये इसलिये रह गई कि धनाभाव के कारण उन्हें सहायता नहीं दी जा सकी ?

डाक्टर सीताराम---ऐसी कोई बात नहीं।

*२---श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---सन् १९५४ में अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों को अलग-अलग कितने रुपये की कुल छात्रवृत्तियां दी गईं ?

डाक्टर सीताराम---१७, ४६, ६३४ रु० की अनुसूचित जातियों को और ८,२९,२६३ रुपये की पिछड़ी जातियों को छात्रवृत्तियां दी गयीं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पिछड़ी जातियों के लिये ८,१९,२६३ रुपया बतलाया गया है इसमें म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ग्रान्ट का रुपया भी शामिल है ?

डाक्टर सीताराम---अब प्राइमरी एजूकेशन पर तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड को रुपया दिया ही जाता है, वह भी शामिल है इसमें।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह जो छात्रवृत्ति के लिये ग्रान्ट दी जाती है उसके अलावा मिसलेनियस ग्रांट का १,२५,३०० रुपया भी शामिल है ?

डाक्टर सीताराम---इसके लिये सूचना चाहिये।

आजमगढ़ जिले की मुसहर जाति के उत्थान की आवश्यकता

*३---श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार को विदित है कि एक अर्द्ध जंगली मुसहर (Mushar) जाति आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में बसी है ?

डाक्टर सीताराम---जी हां।

*४---श्री झारखंडे राय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनकी जीविका उपार्जन के मुख्य साधन क्या हैं ?

डाक्टर सीताराम---इनकी जीविका का मुख्य साधन श्रम है। पेड़ों से लकड़ी काटकर तथा पत्तियों से पतरी बना कर बेचना इनके मुख्य धंधे हैं।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उनके पास ऐसी सूचना है कि जिले की प्रत्येक तहसील में यह जाति कितनी संख्या में हैं ?

डाक्टर सीताराम---पूरे जिले में मुसहर जाति की आबादी ६०३३ है।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनको इस बात की सूचना है कि यह जाति पूर्णतया भूमिहीन है, अगर हां, तो ग्राम समाज की जमीन से या और कहीं से जमीन ले कर उन्हें देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हां, प्रायः यह सत्य है कि इस जाति के लोग अधिकतर भूमि-हीन हैं और जो जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट में जो भूमि वितरण का तरीका दिया हुआ है, उसके अनुसार वह भूमि उनको मिल सकती है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुसहर जाति अनुसूचित है या पिछड़ी जाति है या सवर्णों में से है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—अनुसूचित जातियों में से तो नहीं है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उनको वही सुविधायें दी जाती हैं जो अनुसूचित जातियों के बालकों को मिलती हैं।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि इन मुसहर जाति के अधिकतर लोगों के पास रहने के लिये मकान भी नहीं है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मकान तो शायद ही उनके पास कहीं हो। झोंपड़ियों में रहते हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आमतौर से मुसहर जाति किस वर्ग में मानी जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हिन्दू तो माने ही जाते हैं और मेरा अपना ख्याल है कि उनकी अवस्था के अनुसार उनको अनुसूचित जातियों में होना चाहिये, लेकिन अनुसूचित जातियों में उनकी गणना नहीं होती। लिहाजा बैकवर्ड क्लासेज में ही माने जा सकते हैं।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय इन मुसहर जाति के लोगों के लिये मकान बनाने के लिये कुछ सहायता देने के प्रश्न पर विचार करने के लिये प्रस्तुत हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—उसके लिये जो मकान बनाने के लिये अनुदान हरिजन सहायक डिपार्टमेंट से दी जाती है वह उनके लिये भी उपलब्ध हो सकती है।

पट्टी तलानागपुर, जिला गढ़वाल में जल कष्ट निवारणार्थ सहायता

*५—**श्री गंगाधर मैठाणी** (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार कृपा कर तारीख २४ दिसम्बर, १९५४ के ताराँकित प्रश्न संख्या ८२-८३-८४ के उत्तर के सम्बन्ध में एकत्रित सूचना देने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—सूचना संलग्न पत्र में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४८९ पर।)

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि कुल कितने गांव के प्रार्थना-पत्र पाने के लिये उनके पास आये थे ?

डाक्टर सीताराम—१२ गांव के।

श्री गंगाधर मैठाणी—उनमें से कितने गांवों को कितना कितना रुपया दिया गया।

डाक्टर सीताराम—उसमें से ४ गांव को १०,५८२ रु० और २ गांव को ६०० रु० दिया गया।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि जिन लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे, क्या वह सब परिगणित जाति के लोग हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---उसमें तो सभी लोग रहे होंगे, ऐसा खयाल किया जाता है, लेकिन हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि परिगणित जाति के थे। गांव के सभी लोगों की तरफ से दरख्वास्त थी।

श्री गंगाधर मैठाणी---क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हरिजन सहायक फंड से रुपया देते समय इस बात का खयाल किया जाता है कि वह परिगणित जाति के हैं या नहीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---हां, वह तो खयाल किया जाता है कि जो परिगणित जाति के हों अथवा अनुसूचित जाति के हों, उन्हीं को रुपया दिया जाता है।

जिला इंजीनियर, टिहरी-गढ़वाल के नाम जमा धन से ग्राम मोटना, पट्टी रैका में नल तथा डिग्गियों का निर्माण

*६---**श्री सत्यसिंह राणा** (जिला टिहरी-गढ़वाल) (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि सन् १९४८ में विलीन टिहरी राज्य की तत्कालीन सरकार द्वारा ७,१९० रुपये की धनराशि ग्राम मोटना, पट्टी रैका में पीने के पानी के लिये नल प्राप्त करने व फिट करने के हेतु सेविंग एकाउन्ट (Saving accounts) पोस्ट आफिस, नरेन्द्रनगर में जिला इन्जीनियर, टिहरी-गढ़वाल के नाम जमा की गई थी ?

डाक्टर सीताराम---जी हां।

*७---**श्री सत्यसिंह राणा** (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि जिला इन्जीनियर द्वारा अब तक गांव वालों को कोई नल प्राप्त नहीं हुए ? यदि हां, तो क्यों और कब तक इसकी व्यवस्था की जायेगी ?

डाक्टर सीताराम---ग्रामवासियों को ५,७३६ फुट नल दिये जा चुके हैं जो उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। दो डिग्गियों का भी निर्माण हो गया है।

बेरोजगारों की गणना की आवश्यकता

*८---**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (जिला मुज़फ्फ़रनगर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार ने प्रदेश में बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये पढ़े व अनपढ़ बेरोजगार लोगों की गणना कराई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)---जी नहीं। ऐसी कोई गणना नहीं हुई है।

*९---**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (अनुपस्थित)---यदि नहीं, तो क्या सरकार जल्दी ही बेरोजगार लोगों की गणना कराने पर विचार करेगी ?

आचार्य जुगल किशोर---बेरोजगारी और उसकी गणना का विषय हमारे संविधान की कांकरेंट (Concurrent) सूची में है। प्लानिंग कमीशन ने संकेत किया है कि इस सम्बन्ध में आंकड़े संग्रह किये जायं। एक ही काम को दो तरफ़ से न किया जाय, इस लिये राज्य सरकार अलग से इस सम्बन्ध में कुछ करना उचित नहीं समझती।

नोट---तारांकित प्रश्न ६-७ महाराजकुमार बालेन्दुशाह ने तथा ८-९ श्री रामदास आर्य ने पूछे।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय श्रम मंत्री जी बतायेंगे कि यह बात सही है कि सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना बनायी गयी है कि कुछ गांवों या किन्हीं शहरों में, प्रयोग स्वरूप बेकारों की गणना करायी जाय ?

आचार्य जुगल किशोर---मुझे तो कोई इसकी इत्तला नहीं है इस वक्त ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेंट आफ इंडिया से इस किस्म से कोई सूची तैयार हो रही है ?

आचार्य जुगल किशोर---जी हां। हमें खबर है कि एक सूची तैयार की जा रही है। उसके बारे में इन्क्वायरी की जा रही है और कमेटी नियुक्त की गयी है जो इस तरह की गणना करे।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से जो इस तरह की सूची तैयार की जा रही है उसमें राज्य सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है, सरकारी तौर पर राज्य सरकार की तरफ से उसमें कोई सहयोग किया जा रहा है ?

आचार्य जुगल किशोर---जिस सहयोग की उनको आवश्यकता होगी वह अवश्य दिया जायगा ।

श्री गेंदासिंह---राज्य सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में जो कुछ किया जा रहा है उस पर रोशनी डालने की कृपा श्रम मंत्री जी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने अभी कहा कि जो सहायता मांगी जायगी वह दी जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सरकार एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के जरिये बढ़े रोजगारों की संख्या की गणना करने की योजना पर विचार करने वाली है ?

श्री अध्यक्ष---उसका तो जवाब दे दिया गया है।

जांच के पश्चात् हाई स्कूल परीक्षा का प्रतिफल

*१०---**श्री शिवबचन राव** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत हाई स्कूल परीक्षा का स्क्रुटिनी के बाद जो प्रतिफल निकला था वह अभी तक निकला या नहीं? यदि निकला, तो कब और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां। निम्नांकित तिथियों को निकाला गया :---

१---२३	अगस्त,	१९५४
२---३०	अगस्त,	१९५४
३---३	सितम्बर,	१९५४
४---७	सितम्बर,	१९५४
५---२३	सितम्बर,	१९५४
६---१	अक्तूबर,	१९५४
७---१३	अक्तूबर,	१९५४
८---१	नवम्बर,	१९५४
९---११	दिसम्बर,	१९५४
१०---२१	दिसम्बर,	१९५४
११---३०	दिसम्बर,	१९५४
१२---१३	जनवरी,	१९५५

(सूचना १९५४ की परीक्षा के बारे में है।)

कानपुर के सूती मिल मजदूरों की हड़ताल

*११—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार को कानपुर के सूती मिल के मजदूरों से यह सूचना मिली है कि उन्होंने दो मई से हड़ताल करने का फैसला किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

आचार्य जुगल किशोर—जी हां, सरकार को हड़ताल का नोटिस मिला था। जहां तक हड़ताल करने के कारण का प्रश्न है, इसका उत्तर तो नोटिस देने वाले ही दे सकते हैं।

*१२—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या सरकार कृपया सदन की मेज पर मजदूरों की मांग की एक सूची रक्खेगी ?

आचार्य जुगल किशोर—मांगों की एक प्रति मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४९०–४९२ पर।)

*१३—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—इस हड़ताल को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

आचार्य जुगल किशोर—हड़ताल के समाप्त हो जाने के कारण अब किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले में सचल शिक्षण-शिविर के अध्यापकों का बकाया वेतन

*१४—**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में सचल शिक्षण-शिविर में सन् १९४९ में कितने अध्यापक काम करते थे ?

डाक्टर सीताराम—प्रश्न स्पष्ट नहीं है। यदि अध्यापकों से सदस्य का अर्थ सचल शिक्षण-शिविर के इन्सट्रक्टरों से है तो ऐसे तीन इन्सट्रक्टर काम करते थे। यदि उनका आशय राजकीय प्रारम्भिक पाठशालाओं के अध्यापकों से है तो ५५४ अध्यापक काम करते थे।

*१५—**श्री उमाशंकर**—क्या सरकार बता सकती है कि अगस्त, १९४९ का वेतन कितने अध्यापकों को दिया गया और कितने का बाक़ी है ?

डाक्टर सीताराम—इन्सट्रक्टरों में सभी का अगस्त, १९४९ का वेतन दिया जा चुका है। अध्यापकों में ५२२ को वेतन दिया गया है ३२ को देना अभी शेष है।

*१६—**श्री उमाशंकर**—जिन अध्यापकों का वेतन अब तक बाकी है उनका वेतन कब तक दिया जायगा ?

डाक्टर सीताराम—इन्सट्रक्टरों के बारे में तो प्रश्न ही नहीं उठता। अध्यापकों का मामला विचाराधीन है।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी बता सकेंगे कि क्या कारण है कि इन ३२ अध्यापकों का वेतन अभी तक रुका हुआ है ?

डाक्टर सीताराम—जिन ३२ अध्यापकों को अभी तक वेतन नहीं मिला है इसका कारण यह है कि उनमें से बहुत से ट्रांसफर हो गये थे। एक कारण तो यह था। दूसरा कारण

यह था कि बहुत से लोगों को मनीआर्डर के द्वारा रुपया भेजा गया, लेकिन जहां रुपया भेजा गया वे लोग वहां पर पाये नहीं गये। यही दो कारण हैं जिनकी वजह से उनको अभी तक वेतन नहीं मिला। इन्क्वायरी की जा रही है और उसके बाद उनको रुपया भेज दिया जायगा।

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतायेंगे कि उनका वेतन देने के लिये अब किस बात पर विचार हो रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---बात यह है कि बत्तीसों को वेतन उनके निश्चित स्थान पर जो हमारे यहां दर्ज थे मनीआर्डर से भेजा गया लेकिन उसके बाद, जैसा कि भवन के सदस्य जानते होंगे ये राजकीय पाठशालायें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दी गयीं। अब यह पता नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने उन अध्यापकों को कहां पोस्ट किया है। तो उनसे पूछा गया है कि ये ३२ आदमी कहां कहां हैं। वहां से पता आ जाय तो उस पते पर उनको भेज दिया जायगा।

माहेश्वरी देवी जूट मिल के श्रमिकों को बोनस न मिलना

*१७---**श्री राजनारायण** (जिला बनारस)---क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माहेश्वरी देवी जूट मिल के श्रमिकों को सन् १९५१ का बोनस जो उन्हें ता० २९ दिसम्बर, १९५२ के फैसले के अनुसार १,१०,००० रु० मिलना चाहिये था अभी तक क्यों नहीं मिला ?

आचार्य जुगलकिशोर---बोनस का रुपया श्रमिकों को अब तक न मिलने का मुख्य कारण यह है कि २९ दिसम्बर, १९५२ ई० के निर्णय के विरुद्ध मिलमालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है जो अभी विचाराधीन है।

*१८---**श्री राजनारायण**---क्या श्रम मंत्री यह बतायेंगे कि इस प्रकार श्रम सम्बन्धी कानूनों का उल्लंघन करने पर इस मिल के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

आचार्य जुगलकिशोर---जब तक यह अपील सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, तब तक इस मामले में किसी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही सम्भव नहीं।

श्री राजनारायण---क्या सरकार बतायेगी कि २९ दिसम्बर, १९५२ के निर्णय के विरुद्ध मिलमालिकों ने अपील कब दायर की ?

आचार्य जुगल किशोर---२३ दिसम्बर, १९५३, जहां तक मुझे कागजों से पता चलता है। यह तारीख थी जबकि उन्होंने इसके खिलाफ अपील दायर की थी।

*१९---**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**---[७ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

हरिजन छात्रावासों के लिये अनावर्तिनी सहायता

*२०---**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद)---क्या सरकार प्रदेश में ऐसे हरिजन छात्रावासों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी कि जिनको वर्ष १९५३-५४ ई० में अनावर्त्तक अनुदान प्रदान किये गये थे ? इन अनुदानों की अलग-अलग धनराशि क्या क्या थी ?

डाक्टर सीताराम---सूची संलग्न है। उसी में अनुदानों की धनराशि दी हुयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४९३-४९६ पर।)

*२१---**श्री महीलाल**---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त अनुदान किन नियमों के आधार पर दिये गये ?

डाक्टर सीताराम---अनावर्त्तक अनुदान आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति अर्थात् चारपाई, मेज, कुर्सी और बर्तन आदि खरीदने के लिये जिला विद्यालय निरीक्षकों की संस्तुति के आधार पर दिये गये थे।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् ५३--५४ में खुलने वाले छात्रावासों में से परिगणित जाति छात्रावास, मक्कागंज इरादतनगर को दो हजार रुपये और कमला नेहरू हरिजन छात्रावास, सिकन्दराबाद को केवल १०० रुपये क्यों दिये गये और यह अन्तर रखने का क्या कारण था ?

डाक्टर सीताराम---यह तो अनुदान जिला विद्यालय निरीक्षक को दे दिया जाता है और वहां के इंस्पेक्टर ने जैसा रेकमेंड किया होगा उसी के अनुसार रुपया दिया गया होगा।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परिगणित छात्रावास, मक्कागंज के लिये जिला शिक्षा निरीक्षक महोदय ने दो हजार रुपये देने की सिफारिश की थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---उनको अनुदान दिया गया होगा तो आवश्यकता के अनुसार उन्होंने यह सिफारिश जरूर की होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि सन् ५३--५४ में जिन हरिजन छात्रावासों को अनावर्त्तक अनुदान दिये गये हैं उनकी संख्या क्या है ?

डाक्टर सीताराम---सन् ५३--५४ में करीब २३ को दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---माननीय मंत्री क्या यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वे किन किन जिलों में हैं ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। माननीय सदस्य उस लिस्ट को ले लें और देख ले।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे हरिजन छात्रावासों को सरकारी सहायता लड़कों की संख्या के आधार पर दी जाती है या किसी और आधार पर ?

श्री हरगोविन्द सिंह---आवश्यकतानुसार दी जाती है, उसमें सभी बातें आ जाती हैं।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परिगणित जाति का छात्रावास, मक्कागंज किसी प्रबंधकारिणी समिति के प्रबंध में है या जिला शिक्षा अधिकारी के प्रबंध में है ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अगर आप एक के लिये ब्योरा पूछें तो अलग सवाल करें तो अच्छा होगा। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ के मक्कागंज के छात्रावास को सरकार ने कितना रुपया दिया है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो वह खुद ही बतला चुके हैं।

*२२--२३---**श्री बाबू नन्दन** (जिला जौनपुर)---[२३ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

राजनीतिक-पीड़ित छात्रों को सहायता

*२४---**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५४--५५ ई० में कितने राजनीतिक-पीड़ित छात्रों को कितना रुपया छात्रवृत्ति के रूप में सहायता दी गयी है ? क्या सरकार जिलेवार छात्रों की संख्या और सहायता की लिस्ट मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम---सन् १९५४-५५ ई० में ३१८ राजनीतिक-पीड़ित छात्रों को ६९,५०० रु० की सहायता छात्रवृत्ति के रूप में तथा २७८ छात्रों को १०,५०० रु० की सहायता पुस्तकों इत्यादि के लिये अनावर्त्तक अनुदान के रूप में प्रदान की गयी। सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ-४९७-४९८ पर।)

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो राजनीतिक-पीड़ितों को छात्रवृत्ति या सहायता दी गयी है वह सभी छात्रों को दी गयी है जिन्होंने एप्लाई किया है या काट छांटकर दी गयी है ?

डाक्टर सीताराम---काट छांटकर मैरिट के आधार पर दी जाती है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ५४--५५ में आजमगढ़ जिले के कितने छात्रों को सहायता दी गयी है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो बहुत से जिले हैं, दूसरे सदस्य भी अन्य जिलों के बारे में पूछेंगे इसलिय आप माननीय मंत्री जी से फेहरिस्त ले लें ।

श्री झारखंडे राय---कुछ ऐसे जिले हैं जहां कोई भी सहायता नहीं दी गयी है यदि हां, तो वह कौन कौन से हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---शायद मुमकिन है कुछ ऐसे जिले हों, लेकिन आजमगढ़ उसमें नहीं है ?

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने आवेदन-पत्र आये ?

श्री अध्यक्ष---इसकी भी इजाजत नहीं दूंगा, बात यह है कि बहुत से जिलों का सवाल है तो मंत्री जी इसका जवाब नहीं दे सकते हैं ।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितनी छात्रवृत्ति माध्यमिक स्कूल के छात्रों को और कितनी कालेज के छात्रों को दी गयी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसका अलग-अलग विवरण तो मेरे पास नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राजनीतिक-पीड़ितों को जो वजीफे दिये जाते हैं उसके लिये प्रादेशिक स्तर पर कोई कमेटी है या किसी उच्चाधिकारी के द्वारा दिये जाते हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---उच्चाधिकारी के द्वारा दिये जाते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक राजनीतिक-पीड़ित छात्र को अधिक से अधिक कितनी सहायता दी जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---अलग अलग क्लासेज में अलग अलग दी जाती है । मेरा खयाल यह है कि कालेज में बी० ए० में ५ रुपये से लेकर ३०-४० रुपये तक देते हैं ।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह छात्रवृत्ति जो राजनीतिक-पीड़ितों को दी जाती है उनमें मैरिट का आधार क्या है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन ।

मूक-बधिर विद्यालयों को सहायता

*२५--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार दिनांक २५-३-५५ ई० के प्रश्न संख्या २४-२६ के सम्बन्ध में बतल येगी कि गूंगे और बहरों के किस स्कूल को सरकार ने क्या सहायता दी ? क्या सरकार बतायेगी कि किस स्कूल में किस विषय का प्रशिक्षण होता है और कौन स्कूल किस संस्था के द्वारा संचालित होता है ?

आचार्य जुगल किशोर--१९५४-५५ में सरकार ने निम्नलिखित मूक-बधिर विद्यालयों को उनके समक्ष उल्लिखित सहायता दी--

क्र० सं०	नाम विद्यालय		सहायता रुपयों में
१	मूक-बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ	..	२०,७६४
२	उत्तर प्रदेश मूक-बधिर विद्यालय, इलाहाबाद	..	१३,०२९
३	मूक-बधिर शिक्षणालय, अगस्त्य कुन्ड, बनारस	..	२,०००
४	मूक-बधिर विद्यालय, पीलीभीत	..	३००
५	मूक-बधिर विद्यालय, लखनऊ के साथ सम्बद्ध ट्रेनिंग कालेज	..	१६,३२०

इनके अतिरिक्त बरेली में एक सरकारी मूक-बधिर स्कूल भी है ।

(ब) उपरोक्त विद्यालयों की शिक्षा तथा उनका संचालन किस संस्था द्वारा होता है, इसका विवरण निम्न प्रकार है :

प्राय: सभी विद्यालय को संचालित करने के लिये एक समिति होती है जिसमें स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य होते हैं ।

१--मूक-बधिर विद्यालय, लखनऊ में नार्मल स्कूल का पाठ्यक्रम आवश्यकतानुसार संशोधन करके पढ़ाया जाता है । साथ ही बुनाई, कताई, सिलाई और मिट्टी के खिलौने बनाने का काम सिखाया जाता है । इस वर्ष से प्रिंटिंग प्रेस और बढ़ई का काम सिखाने की भी योजना है ।

२--उत्तर प्रदेश मूक-बधिर विद्यालय, इलाहाबाद में भाषा ज्ञान के अतिरिक्त गणित, इतिहास, भूगोल, ड्राइंग और विज्ञान की शिक्षा दी जाती है । साथ ही बढ़ई और दर्जी का काम भी सिखाया जाता है ।

३--मूक-बधिर शिक्षणालय, बनारस में भाषा ज्ञान के साथ ही मिट्टी और लकड़ी का काम सिखाया जाता है ।

४--पीलीभीत के मूक-बधिर विद्यालय में पढ़ना-लिखना मूक-बधिर प्रणाली के अनुसार तथा मिट्टी और दर्जीगीरी का कार्य सिखाया जाता है ।

५--ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ में मूक-बधिर छात्रों के अध्यापकों को अध्यापन की शिक्षा दी जाती है । इस कालेज का सम्पूर्ण व्यय प्राय: सरकार ही वहन करती है और प्रबन्ध मूक-बधिर विद्यालय, लखनऊ की प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है ।

६--सरकारी मूक-बधिर स्कूल, बरेली में भी अन्य संस्थाओं की भांति मूक-बधिर प्रणाली के अनुसार शिक्षा दी जाती है ।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि सरकारी विद्यालयों के अलावा जो ऐसी संस्थाओं के द्वारा यह स्कूल चलते हैं वह संस्थायें रजिस्टर्ड हैं और उनको जो रुपये का अनुदान दिया जाता है उसकी कोई जांच होती है ? यदि होती है, तो किसके द्वारा ?

आचार्य जुगल किशोर---यह जांच तो उनकी होती ही है। कुछ तो एजूकेशन डिपार्टमेंट के जरिये से कराते हैं और कुछ अपने इंस्पेक्टरों से, जो विभाग के हैं उनके जरिये से जांच होती है।

श्री रामेश्वर लाल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन मूक-बधिर विद्यालयों के जो शिक्षक हैं उनकी ट्रेनिंग किसी विशेष शिक्षण केन्द्र में होती है या ऐसे ही आर्डिनरी टीचरों की तरह से शिक्षा होती है ?

आचार्य जुगल किशोर---वह ट्रेंड टीचर होते हैं और ट्रेन्ड टीचरों को ही लिया जाता है। उनकी ट्रेनिंग के लिये जैसा कि मैंने बतलाया लखनऊ में भी शिक्षालय है, जहां पर इस तरह के टीचरों को ट्रेनिंग दी जाती है।

श्री रामेश्वर लाल---क्या माननीय मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि क्या निकट भविष्य में विदेशों में भेजकर इस तरह के प्रशिक्षण कला के विशेषज्ञ बनाने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

आचार्य जुगल किशोर---विचार अवश्य हो सकता है। अगर साधन हुये तो उनको भेजा जायगा।

सरकारी सहायता प्राप्त असरकारी समाज कल्याण संस्थाएं

*२६---श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि समाज कल्याण विभाग की ओर से कितने शिविर कार्यकर्ताओं की शिक्षा के हेतु खोलने की योजना है ?

आचार्य जुगल किशोर---समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत महिला मंगल योजना को कार्यान्वित करने के लिये ग्राम सेविकाओं का प्रशिक्षण इस समय तीन केन्द्रों में होता है, जो सहारनपुर, नरवल (कानपुर) तथा ज्योलीकोट (नैनीताल) में है। मथुरा में भी इस प्रकार के प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण के लिये दो अल्पकालीन शिविर लखनऊ व इटावा में संगठित किये गये। इस प्रकार के शिविर बलिया तथा अन्य स्थानों में भी खोलने का विचार किया जा रहा है।

*२७---श्री विश्राम राय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त कितनी गैर-सरकारी संस्थायें हैं जो समाज कल्याण का काम कर रही हैं ?

आचार्य जुगल किशोर---उत्तर प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थायें जो समाज-कल्याण का कार्य कर रही हैं ६४ हैं।

*२८---श्री विश्राम राय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इनमें से किन किन को कितनी सहायता सरकार की ओर से इस वर्ष दी गई ?

आचार्य जुगल किशोर---इस वर्ष अब तक निम्न संस्थाओं को सरकार की ओर से सहायता दी गयी है। जो धनराशि दी गई वह प्रत्येक संस्था के सामने अंकित है और अन्य संस्थाओं के संबंध में सरकार विचार कर रही है :---

	रु०
१---वाई० डब्लू० सी० ए०	१,२००
२---वाई० एम० सी० ए०	८००
३---सेवा समिति, इलाहाबाद	१७,०००
४---काशी सेवा समिति, बनारस	३,०००
५---मूक-बधिर विद्यालय, लखनऊ	२,०००

			रु०
६—इमामबाड़ा, बरेली	..	..	२००
७—अंध विद्यालय, भदैनी, बनारस	..	..	१,५००
८—स्ट्रैंजर्स होम, इलाहाबाद	..	..	३,०००
९—स्ट्रैंजर्स होम, लखनऊ	..	..	१,२००
१०—वेनरेबल आर्चडेकन, लखनऊ	..	..	८००

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह ६४ गैर सरकारी संस्थायें कौन-कौन जिलों में हैं ?

आचार्य जुगल किशोर—इसकी सूची तो बहुत लम्बी है।

श्री अध्यक्ष—केवल जिलों के नाम बता दीजिये।

आचार्य जुगल किशोर—देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, मथुरा, आगरा, बरेली, बिजनौर, बांदा, शाहजहांपुर, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बदायूं, बनारस, गोरखपुर, बस्ती, नैनीताल, अल्मोड़ा, लखनऊ और गोंडा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाओं को कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाती है ?

आचार्य जुगल किशोर—जिन संस्थाओं के नाम पढ़कर सुनाये हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। अन्य संस्थाओं के बारे में ठीक से नहीं मालूम कि सहायता दी जाती है या नहीं, लेकिन मेरे खयाल से कोई सहायता नहीं दी जाती।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि ग्राम सेविकाओं के ट्रेनिंग सेंटर्स देहातों के बजाय शहरों में क्यों खोले गये हैं ?

आचार्य जुगल किशोर—यह तो ट्रेनिंग देने की सुविधा के हिसाब से खोले जाते हैं। अभी तो ज्यादातर सेंटर्स गांवों में ही हैं और यह भी निश्चय है कि आगे भी अधिकतर गांवों में ही रहेंगे। एक सेंटर इस समय शहर में भी है। खास तौर से शहर में खोलने की कोई नीति नहीं है।

श्री गुलतार सिंह (जिला रायबरेली)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो जिले बाकी रह गये हैं उनमें कब तक खुल जायेंगे ?

आचार्य जुगल किशोर—इस तरह के शिविर तो हर जगह खोलने का इरादा नहीं है। कुछ शिविर खोले जा रहे हैं। ग्राम सेविकाओं के केंद्र कुछ जिलों में हैं बाकी में म्युनिसिपैलिटियों की तरफ से केंद्र खोले गये हैं और उनसे करीब करीब सब जिले कवर हो जाते हैं।

श्री दीनदयाल शर्मा—जिन संस्थाओं के नाम बताये गये हैं क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनमें से कितनी रजिस्टर्ड हैं ?

आचार्य जुगल किशोर—इसकी सूचना नहीं है।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन गैर-सरकारी संस्थाओं को सरकार की ओर से सहायता दी जाती है वह किन किन सामाजिक कामों के लिये दी जाती है ?

आचार्य जुगल किशोर—यह तो अपना सोशल वेलफेयर का काम करती हैं, अपनी अपनी जगह पर सामाजिक सेवा का काम करती हैं, और उसी के आधार पर उनको यह सहायता दी जाती है।

हायर सेकेन्डरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्त कृषि अध्यापकों को ग्रीष्मावकाश न मिलना

*२९--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हायर सेकेंडरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्त कृषि अध्यापकों को ग्रीष्मावकाश क्यों नहीं दिया गया ?

डाक्टर सीताराम--क्योंकि यह Non-Vacation Service घोषित की गई है।

*३०--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यापकों स ग्रीष्म काल में कौन कौन सा कार्य लिया गया है ?

डाक्टर सीताराम--कृषि तथा प्रसार का कार्य।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार को विदित है कि बहुत से स्कूलों में कृषि अध्यापकों के लिये कृषि की शिक्षा के साधन सुलभ नहीं हैं जिसके कारण वे ग्रीष्म काल में कृषि शिक्षा के प्रसार का काम नहीं कर सके हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह चूंकि अभी इस स्कीम की शुरुआत है, ऐसा हो सकता है लेकिन उसका इससे तो कोई संबंध है नहीं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या उन कृषि अध्यापकों की वजह से ही कई जिलों में १५ जून को ही स्कूल खुलवाये गये ? यदि हां, तो किन किन जिलों में ?

श्री हरगोविन्द सिंह--१५ मई से १५ जून तक प्राइमरी, शायद सभी जिलों में।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो ये हायर सेकेन्डरी स्कूल्स और जूनियर हाई स्कूल्स में कृषि अध्यापक नियुक्त किये गये हैं उसमें कितना हिस्सा उनकी तनख्वाह का गवर्नमेंट आफ इंडिया देती है और कितना स्टेट गवर्नमेंट देती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--पहले साल ३/४ गवर्नमेंट आफ इंडिया और १/४ स्टेट गवर्नमेंट, दूसरे साल आधा गवर्नमेंट आफ इंडिया और आधा स्टेट गवर्नमेंट, तीसरे साल ३/४ स्टेट गवर्नमेंट और १/४ सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके बाद पूरा स्टेट गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी।

दूकान कर्मचारी कानून का लागू होना

*३१--श्री गेंदासिंह--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राज्य के किन किन शहरों में दूकान कर्मचारी कानून लागू हैं और जहां नहीं लागू है उसके कारण क्या हैं ?

आचार्य जुगल किशोर--(१) यू० पी० शाप्स ऐंड कामर्शियल इस्टैब्लिशमेंट्स ऐक्ट निम्नलिखित शहरों में लागू है :--

(क) आगरा, इलाहाबाद, बरेली, बनारस, कानपुर, देहरादून, फतेहगढ़, झांसी, लखनऊ, मेरठ, मंसूरी, मथुरा, नैनीताल और रामपुर के म्युनिसिपल व कैन्टूनमेंट क्षेत्रों में।

(ख) अलीगढ़, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, फिरोजाबाद, फैजाबाद, गोरखपुर, हापुड़, हाथरस, कन्नौज, मुरादबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, मिर्जापुर सीतापुर, गोंडा और कायमगंज के म्युनिसिपल क्षेत्रों में।

(ग) उक्त ऐक्ट की धारा १० और १२ निम्नलिखित शहरों के म्युनिसिपल क्षेत्रों में लागू हैं :—

बदायूं, बुलन्दशहर, उन्नाव, बाराबंकी, बलिया, बांदा, बिजनौर, चंदौसी, देवरिया, गाजीपुर, हरदोई, हरद्वार, जौनपुर, खुरजा, लखीमपुर—खीरी, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रुड़की और शाहजहांपुर।

(२) बाकी स्थानों में यह ऐक्ट अभी तक अर्थाभाव के और शासकीय कारणों से लागू नहीं किया जा सका है।

*३२—श्री गेंदासिंह—देवरिया जिले के किन स्थानों पर यह कानून लागू है ?

आचार्य जुगल किशोर—देवरिया जिले के देवरिया शहर में इस कानून की धारा १० और १२ लागू हैं।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय श्रम मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कौन सा शासकीय कारण है जिसकी वजह से और बाकी जिलों में यह कानून लागू नहीं किया जाता ?

आचार्य जुगल किशोर—स्टाफ नहीं है, इन्स्पेक्टर्स की कमी होने की वजह से वह सब जगह नहीं लागू किया जाता है। जब तक इन्स्पेक्टोरेट न हो तब तक लागू करना व्यर्थ होता है।

श्री गेंदा सिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस तरह के इन्स्पेक्टरों की तालीम के लिये किसी विशेष योग्यता की जरूरत है ? अगर हां, तो वैसे इंस्पेक्टर्स तैयार करने के लिये कोई कालेज या ट्रेनिंग स्कूल खोलने का सरकार का विचार है ?

आचार्य जुगल किशोर—धन का अभाव है।

श्री गेंदासिंह—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि अगर सारे शहरों में यह ऐक्ट लागू कर दिया जाय तो कितने धन की जरूरत होगी ?

आचार्य जुगल किशोर—इसके बारे में मुझे आंकड़े इकट्ठा करना पड़ेगा और यह भी मालूम करना पड़ेगा कि कितने धन की आवश्यकता होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि शेष शहरों में दूकान कर्मचारी कानून लागू करने के संबंध में सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब तो हो चुका।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि देवरिया जिले में पडरौना और बरहज म्युनिसिपैलिटी में कब तक यह कानून लागू हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष—इसका भी जवाब हो चुका।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी कम से कम यह बताने की कृपा करेंगे कि यह कानून सारे प्रदेश में कब तक लागू हो जायगा ?

आचार्य जुगल किशोर—हमारी तो कोशिश है कि वह जल्द से जल्द सब जगह लागू हो जाय लेकिन धनाभाव से इस समय ऐसा करना संभव नहीं मालूम होता।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि यह कानून जिन-जिन जगहों पर लागू है क्या वह वहां कामयाबी के साथ चल रहा है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जहां तक हमारी इत्तला है वह कामयाबी के साथ चल रहा है, वैसे कुछ न कुछ दोष तो रहते ही हैं, कहीं कहीं इवेजन भी होता ही है, सब जगह अभी इसी कारण से लागू नहीं किया है क्योंकि ऐडमिनिस्ट्रेशन की कुछ दिक्कतें हैं।

श्री सुल्तान आलम खां---क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि उन्हीं मुकामात पर यह कानून लागू किया जाता है जहां से जनता की मांग आती है ?

आचार्य जुगल किशोर---यह कोई जरूरी नहीं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि क्या वह इस बात पर विचार करेंगे कि यह कानून पडरौना, कठकुइयां, सगड़ी और घोसी वगैरा में भी लागू किया जाय ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब हो चुका।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन शहरों में यह कानून लागू है वहां उसको लागू करने के लिये कितने इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं ?

आचार्य जुगल किशोर---मैं उनकी संख्या तो इस वक्त नहीं दे सकता हूं लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस साल एक पूल बना है जो इस कानून को भी लागू करने के काम को देखेगा और लेबर फैक्टरीज के काम को भी देखेगा और उसी से दोनों जगह इन्स्पेक्टर भेजे जायेंगे।

गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल, फतेहपुर के लिये सरकारी इमारत की आवश्यकता

*३३---श्री अनन्तस्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर)---क्या सरकार गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, फतेहपुर के लिये सरकारी इमारत बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं।

श्री अनन्त स्वरूप सिंह---क्या सरकार को मालूम है कि जिस किराये की इमारत में स्कूल चल रहा है वह इमारत स्कूल के लिये बिलकुल ठीक नहीं है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---ऐसा कहना तो ठीक नहीं है कि बिलकुल ठीक नहीं है वर्ना उस में इंस्टीट्यूशन कैसे चलता।

*३४---श्री रामचन्द्र विकल---[हटा दिया गया।]

ब्रिटिश इंडियन कारपोरेशन की कूपर ऐलन ब्रांच, कानपुर के मजदूरों का शेष बोनस

*३५---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बी० आई० सी० (ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन) की कूपर ऐलन ब्रांच, कानपुर में मजदूरों का कोई बोनस शेष है ? यदि हां, तो कब का और कितना ?

आचार्य जुगल किशोर---जहां तक सरकार को मालूम है ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की कूपर ऐलन ब्रांच को सन् १९५० का अतिरिक्त बोनस तथा १९५४ का बोनस देना है किन्तु चूंकि इन वर्षों का मामला औद्योगिक ट्रिब्यूनल के विचाराधीन है, इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि इन वर्षों का बोनस कितना है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मामला औद्योगिक ट्रिब्यूनल के सामने कब से है और कब तक रहेगा ?

आचार्य जुगल किशोर---यह कब तक रहेगा यह कहना तो बड़ा मुश्किल है। कब से है इसके लिये नोटिस दें तो बतला सकता हूं।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या यह सही है कि इस बोनस के संबंध में यहां के मजदूरों ने हड़ताल भी की थी ?

आचार्य जुगल किशोर---मुझे तो इस वक्त इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह मुकदमा जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के सामने चल रहा था उसका फैसला हो चुका है ?

आचार्य जुगल किशोर---मुझे तो नहीं मालूम है कि उसका फैसला हो चुका है। मैंने जो प्रश्न का उत्तर दिया है उससे मालूम होता है कि फैसला नहीं हुआ है और इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

*३६---श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---[७ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*३७-३८---श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---[७ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*३९---श्री नारायणदत्त तिवारी---[७ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

जगदीश शुगर मिल्स, कटकुइयां पर मजदूरों का शेष बोनस

*४०---श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---क्या यह सत्य है कि चीनी फैक्टरियों के बोनस की जांच समिति ने यह सिफारिश की थी कि यदि जगदीश शुगर मिल्स लि०, कटकुइयां (देवरिया) के पिछले मैनेजमेंट से सरकार ने रुपया वसूल किया तो उसमें से उस फैक्टरी के मजदूरों को १९५२-५३ सीजन का बोनस दे दिया जायगा ?

आचार्य जुगल किशोर---जी नहीं।

*४१---श्री रामसुभग वर्मा---यदि यह बात सही है, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

आचार्य जुगल किशोर---प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या यह सही है कि जगदीश शुगर मिल्स, कठकुइयां के मजदूरों का बोनस सन् १९५२-५३ का अब तक नहीं मिला है ?

आचार्य जुगल किशोर---ऐसा मालूम पड़ता है कि नहीं मिला है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक उस मिल पर मजदूरों का कितना बोनस बाकी है ?

आचार्य जुगल किशोर---इसके लिये तो मुझे सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या बोनस जांच समिति ने इन जगदीश शुगर मिल्स, कठकुइयां के मजदूरों को जो बोनस नहीं दिया जा रहा है उसके सम्बन्ध में किसी किस्म की कोई सिफारिश की थी ?

आचार्य जुगल किशोर---जांच तो की गई थी लेकिन यह मालूम हुआ कि उनको नुकसान हो रहा है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा में स्त्री शाखा के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का विज्ञापन

*४२--**श्री भगवान सहाय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा में (२५० रु० से ८०० रु० स्केल की) स्त्री शाखा के लिये यू० पी० पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक विज्ञापन अगस्त, सन् १९५४, में नौ जगहों के लिये निकाला था तथा इनका interview भी किया था ?

डाक्टर सीताराम--जी हां, परन्तु वास्तव में वेतन-क्रम २५० रुपये से ८५० रुपये तक है ।

*४३--**श्री भगवान सहाय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन interviews के फलस्वरूप P. S. C. सरकार को कोई सिफारिश की थी ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता है ।

*४४--**श्री भगवान सहाय**--क्या यह बात सही है कि इन्हीं जगहों के लिये P. S. C. ने सन् १९५५ में फिर से विज्ञापन निकाला तथा फिर अपनी सिफारिश सरकार को भेजी ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम--जी हां । कमीशन की सिफारिश केवल एक ही बार प्राप्त हुई । उस पर अभी विचार हो रहा है ।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की तकलीफ फरमायेंगे कि एक दफा पोस्ट्स एडवर्टाइज की गई लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने इन्टरव्यू के बाद फिर दोबारा उनको एडवर्टाइज किया गया साल भर के बाद, इसकी क्या वजह है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--इसका कारण यह था कि जो योग्यताएं निर्धारित की गई थीं उनमें ट्रेनिंग कालेज के प्रिंसिपल और वाइस-प्रिंसिपल की दरख्वास्तें कमीशन ने लेने से इंकार कर दिया था बावजूद इसके कि वे एम० ए० हैं । ये योग्यताएं निर्धारित थीं:--

(1) First or second class post graduate degree.
(2) L. T. Diploma of the Education department or a Degree or Diploma in Education of a recognized University.
(3) At least three years, experience as Head of a Higher Secondary School or as assistant mistress of an Inter College.

जब ट्रेनिंग कालेज की महिलाओं ने एप्लाई किया तो कमीशन ने यह कह कर चूंकि इंटरमीडियेट कालेज की हेडमिस्ट्रेस का जिक्र है, उनकी दरख्वास्तों को नहीं लिया । शासन को जब यह मालूम हुआ तो उसने कमीशन को लिखा कि ट्रेनिंग कालेज की जो मिस्ट्रेसेज हैं जो इन क्वालिफिकेशन को पूरा करती हैं उनकी दरख्वास्तों को लेकर उनको भी कंसीडर किया जाय । इस लिये देरी हुई ।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो ९ जगहें हैं उनके लिये सरकार आफिशियेटिंग अरेंजमेन्ट क्या कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--मैंने पहले ही कह दिया है कि वह लिस्ट आ गई है । उस पर शायद विचार हो रहा है या विचार हो गया होगा और उनकी पोस्टिंग होगई होगी । अब तक जो नेक्स्ट लोग होते होंगे वे आफिशियेट करते होंगे जब तक कि पब्लिक सर्विस कमीशन से रिकमेंडेशन न आ जायं ।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने इंटरव्यू कब हुआ और उनकी सिफारिश सरकार के सामने कब आई ?

श्री हरगोविन्द सिंह---कमीशन ने अपना शासकीय नोट १९ मई, १९५५, को भेजा है। किस रोज कमीशन ने इंटरव्यू किया यह इसमें नहीं है।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिशों पर सरकार कब तक कार्यवाही कर देगी निश्चित रूप से ?

श्री हरगोविन्द सिंह---वह आ गई है। उनका एप्वाइंटमेंट भी गवर्नमेंट ने एप्रूव कर दिया है लेकिन उनके एंटिसिडेंट्स के बारे में जो इन्क्वायरी होती है वह की जा रही है।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने कैंडिडेट्स का एप्रूवल कमीशन ने भेजा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---पब्लिक सर्विस कमीशन से ९ जगहों के लिये कहा गया था और उन्होंने ९ जगहों के लिये भेजे हैं। कितने नाम भेजे हैं यह शायद बतलाना ठीक न होगा।

राज्य के आदिवासी

*४५---**श्री बाबूनन्दन**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आदिवासी उत्तर प्रदेश में किन-किन जिलों में पाये जाते हैं और उनकी जातियां क्या हैं ?

डाक्टर सीताराम---सदस्य महोदय ने जो सूचना मांगी है वह ५१ जिलों में से मंगानी पड़ेगी। कुछ जिलों से सूचना आ गई है और कुछ से एकत्रित की जा रही है।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किन-किन जिलों से सूचना आ गई है ?

डाक्टर सीताराम---२८ जिले हैं। रामपुर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, हमीरपुर, बांदा, मिर्जापुर, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, अल्मोड़ा, लखनऊ, राय बरेली, सीतापुर, हरदोई, गोंडा, बहराइच, फैजाबाद, झांसी, पीलीभीत, गोरखपुर, खीरी, बदायूं और गढ़वाल।

श्री बाबूनन्दन---जिन जिलों से सूचना नहीं आई है उसको कब तक मंगाने की माननीय मंत्री कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम---सूचना मंगाई गई है और उम्मीद है कि शीघ्रातिशीघ्र वह आ जायगी।

अतारांकित प्रश्न

नैनीताल हरिजन उद्योगशाला के कर्मचारी

१---**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नैनीताल हरिजन उद्योगशाला में कौन-कौन से कर्मचारी, किस-किस वर्ग के हैं, उनकी शिक्षा की योग्यता तथा उनका वेतन क्या-क्या है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---नैनीताल उद्योगशाला के कर्मचारियों का विवरण संलग्न पत्र में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४९९-५०० पर।)

अधिवेशन के कार्य-क्रम के सम्बन्ध में पूंछतांछ

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर हैं। क्या मैं आपके जरिये यह पूछ सकता हूं कि हमारा जो अधिवेशन है इसका क्या प्रोग्राम होने वाला है। आज नहीं तो सोमवार तक बतला सकते हैं कि कब तक हम बैठेंगे ताकि आगे के हमारे प्रोग्राम उसी के मुताबिक बन सकेंगे ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, ज्यादा व्योरे के साथ मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो बिजिनेस हमारे सामने है उससे अनुमान होता है कि कम से कम १९, २० अक्तूबर तक हम जरूर बैठेंगे।

बनारस में मलमास सम्बन्धी नाव दुर्घटना के सम्बन्ध में पूंछतांछ

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बनारस में इस समय मलमास के सिलसिले में काफी भीड़ है और वहां नाव दुर्घटना हुई है। कई जानें गईं और लाशें अभी भी मिल रही हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई आफिशियल रिपोर्ट है कि कितनी जानें गईं और वहां क्या प्रबन्ध हो रहा है।

श्री अध्यक्ष---इस सम्बन्ध में आज तो मैं इस बात की इजाजत नहीं दूंगा लेकिन अगर मुख्य मंत्री जी कुछ सदन को मालूमात देना चाहते हैं तो वह सोमवार के रोज दें।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---जी, अच्छा।

प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड, उत्तर प्रदेश के निर्वाचन में प्राप्त नाम-निर्देशन-पत्र

श्री अध्यक्ष---प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड के ५ सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति के लिये ६ सितम्बर, १९५५ के सायंकाल ४ बजे तक का जो समय नियत किया गया था उसके अंदर निम्नलिखित सदस्यों के पक्ष में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे :—

१---डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी	कानपुर
२---श्री श्री नाथ भार्गव	मथुरा
३---श्री धर्मदत्त वैद्य	बरेली
४---श्री हबीबुर्रहमान	आजमगढ़
५---श्री सालिग राम जायसवाल	इलाहाबाद
६---श्री व्रजभूषण मिश्र	मिर्जापुर

श्री व्रजभूषण मिश्र का नामांकन पत्र अनियमित पाया गया और वह रद्द कर दिया गया।

यदि शेष ५ नामों में से कोई नाम १२ सितम्बर तक वापस न लिया गया तो इन अभ्यर्थियों को विधिवत निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा।

कानपुर में एल्गिन मिल्स की तालाबंदी के संबंध में श्रम मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—माननीय श्रम मंत्री जी ने कल यह विचार प्रगट किया था कि वे अपना एक वक्तव्य कानपुर के प्लेआफ के संबंध में देंगे। तो आज कृपा कर के अगर वह तैयार हों तो अपना वक्तव्य दें ।

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—जी हां, मैंने एक वक्तव्य तैयार किया है और उसे आपकी आज्ञानुसार पढ़े देता हूं ।

मेसर्स एल्गिन मिल्स कं० लि०, कानपुर के प्रबन्धकों ने हड़ताल के काल में अपने तिरासल विभाग का अभिनवीकरण कर दिया था। हड़ताल के पूर्व एक पाली में १२६ डौफर कार्य करते थे जबकि अभिनवीकरण की योजना को लागू करने के उपरान्त केवल १०० डौफरों की आवश्यकता रह गई थी ।

हड़ताल के उपरान्त १२८ हड़ताली डौफर कार्य पर आये जिनमें से कुछ को विभागों में समान कार्य दिया गया तथा कुछ को डौफर ब्वाय का कार्य दिया गया जो कि इनके पहले काम से मिलता जुलता था। सूती मिल मजदूर सभा के प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया तथा श्रमिकों ने नियमित और सुचारु रूप से कार्य करना बन्द कर दिया, जिसके फलस्वरूप प्रबन्धकों ने ६८ श्रमिकों (डौफरों) को २५ अगस्त, ५५ को मुअत्तिल कर दिया ।

श्रम विभाग के अधिकारियों के हस्तक्षेप करने पर मुअत्तिली दूसरे दिन समाप्त कर दी गई और मजदूर सभा के प्रतिनिधियों ने इस विवाद को श्रम कमिश्नर के निर्णय पर छोड़ देने का निश्चय किया । तदुपरान्त श्रमिकों ने अपना कार्य सुचारु रूप से करना प्रारम्भ कर दिया ।

फलतः सर्वश्री संतसिंह युसुफ, सभापति सूती मिल मजदूर सभा, हरीश तिवारी, कोषाध्यक्ष तथा अमूल्य रत्न तिवारी, सभा के प्रधान मंत्री श्रम कमिश्नर से २६-८-५५ को मिले और मिल मालिकों के इस सुझाव को स्वीकार किया कि यदि अभिनवीकरण किये गये फ्रेमों की संख्या में लगभग एक-चौथाई की कमी कर दी जाये तो समस्या हल हो जायेगी, परन्तु साथ ही साथ उन्होंने यह प्रार्थना की कि इस हल को कार्य रूप में उस समय परिणित किया जाय जब कि श्रमिकों से वे बात कर लें। इसके बाद स्मरण दिलाने पर भी उन्होंने श्रमिकों से अपने बातचीत की कोई सूचना श्रम कमिश्नर को नहीं दी। उनकी इस खामोशी के कारण यह समझौता अभी तक कार्यरूप में परिणित नहीं किया जा सका। प्रबन्धक इसको अब भी कार्यरूप में लाने को तैयार हैं ।

दिनांक ५ सितम्बर, ५५ को एकाएक पहली पाली के डौफरों ने अपना नियमित पूरा कार्य करने से इनकार कर दिया जिससे कि सब रिंग फ्रे धीरे धीरे बन्द हो गये क्योंकि तिरासल विभाग से आगे सूत जाना रुक गया और उसके पीछे के विभागों में माल जमा हो गया । सूती मिल मजदूर सभा की कार्यकारिणी के एक प्रतिनिधि श्री श्यामलाल जो कि उसी मिल के श्रमिक हैं के समझाने पर भी श्रमिक कार्य पुनः शुरू करने को राजी नहीं हुये। पाली के खतम हो जाने के बाद उस दिन मिल के अन्दर अधिकतर डौफर रुक गये और रात्रि की पाली के श्रमिकों को भी काम करने से मना किया। रीजनल कंसीलियेशन अफसर के समझाने पर भी श्रमिकों ने कोई ध्यान न दिया और बराबर काम करने से इन्कार किया। दूसरे दिन भी डौफरों ने कार्य नहीं किया जिसके फल स्वरूप दूसरे विभागों में भी कार्य रुका रहा। सर्वश्री सन्त सिंह यूसुफ तथा हरीश तिवारी ने प्रबन्धकों से यह इच्छा प्रगट की कि यदि उनको मिल के अन्दर जाकर श्रमिकों से सम्पर्क का अवसर दिया जाय तो वे श्रमिकों को समझा बुझा कर काम चालू करा देंगे। प्रबन्धकों ने इसे स्वीकार कर लिया और वे रात्रि के दस बजे तक श्रमिकों से बात करते रहे लेकिन श्रमिक मजदूर सभा के इन प्रतिनिधियों की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि उन्हें और समय दिया जाय तो वे दोबारा प्रयत्न करें। फल

स्वरूप ७-९-५५ को भी प्रातःकाल सर्वश्री हरीश तिवारी, राम आसरे और मकबूल अहमद खां ने मजदूर सभा की ओर से मिल के अन्दर जाकर श्रमिकों को समझाया कि उनका यह कार्य अनुचित है और उन्हें ठीक से अपना कार्य आरम्भ कर देना चाहिये। परन्तु श्रमिकों ने इस बार भी मजदूर सभा के प्रतिनिधियों की सलाह नहीं मानी। मिल के प्रायः कुछ विभागों में काम ६ तारीख के सुबह से ही बन्द हो गया था, फिर भी प्रबन्धकों ने मिल खुली रख कर श्रमिकों को बिना कोई काम किये वेतन दिया कि शायद इन नेताओं के समझाने से वे मान जायं और काम शुरू हो जाय परन्तु यह आशा पूरी नहीं हुई। ऐसी दशा में मिल के प्रबन्धकों को श्रमिकों की बैठकी कर देने के लिये विवश होना पड़ा।

मिल के अन्दर बैठकी के समय लगभग १,५०० मजदूर रुक गये थे। इनमें से ८०० मजदूर अब भी बैठे हुये हैं और बाहर जाने से इनकार करते हैं। श्रमिकों का यह कार्य स्पष्टतः अवैध है और किसी भी भांति जनहित के अनुकूल नहीं है। जिन विभागों में इस हड़ताल के बावजूद भी काम है वहां के लगभग ५८५ श्रमिकों ने कल भी अपना काम किया। यदि शीघ्र ही यह हड़ताल वापस नहीं ली गयी तो इन ५८५ श्रमिकों को भी शायद बैठकी पर आना पड़े।

इस मिल की तीनों पालियों में ५,४३७ मजदूर हैं जिनमें से ३०० डौफर हड़ताल पर हैं और करीब ४,५५२ कारीगर इस हड़ताल के कारण अब तक बैठकी पर भेज दिये गये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं एक पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं, श्रीमन्, कि यह प्ले आफ जो हुआ है यह हमारे श्रम विभाग की रजामन्दी से हुआ है या नहीं।

आचार्य जुगुल किशोर—मैं समझता हूं कि प्ले आफ करने से पहले लेबर कमिश्नर से जरूर पूछ लेते हैं कि ऐसी हालत में हम क्या करें। इसलिये मैं समझता हूं कि उनसे पूछ करके ही किया गया होगा।

श्री अध्यक्ष—(श्री नारायण दत्त तिवारी के उठने पर) अब इसके लिये ज्यादा समय नहीं है। आप बाद में इन्फार्मेशन ले लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—नहीं। आप बाद में मंत्री जी के दफ्तर से पूछ सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूं, श्रीमन्, वह यह कि जिस तरह से लोक सभा में एक व्यवस्था है कि जो स्टेटमेंट कोई एडजोर्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में मिनिस्टर देता है तो वहां के नियम के अनुसार जानकारी के लिये सवाल हो सकते हैं। यह विचार भी हमारे यहां की रूल्स कमेटी के सामने है कि क्या इस प्रकार की व्यवस्था की जाय जिसमें मिनिस्टर अपनी ओर से स्टेटमेंट दे सके और मेम्बरान उस पर छोटे क्वेश्चन कर सकें। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जब तक रूल्स कमेटी की पूरी सिफारिशें न आ जायं तब तक इस सम्बन्ध में अगर मैं आपको एक नियम दूं तो आप हाउस की राय लेने की कृपा करें ताकि मिनिस्टर्स जो स्टेटमेंट्स दें तो हम लोग उस पर सवाल पूछ सकें।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप मेरे कमरे में आ जायं और मुझसे इस बारे में चर्चा पहले कर लें तो उचित होगा।

गोवंश के वध पर अन्तरिम प्रतिबंध लगाने के संबंध में संकल्प—(क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—अब श्री रणंजय सिंह के संकल्प पर जो २६ अगस्त, १९५५, को उपस्थित किया जा चुका है, विवाद जारी होगा।

---

†२६ अगस्त १९५५ की कार्यवाही से क्रमागत।

[श्री अध्यक्ष]

लेकिन इसके साथ-साथ मैं सदन से यह पूछना चाहता हूं क्योंकि और भी बहुत से प्रस्ताव हैं और खास तौर से श्री रणंजय सिंह के इस प्रस्ताव में अधिनियम बनाने का जो कार्य था वह आधा समाप्त हो गया। कम से कम इस सदन से जो सम्बन्ध था उतना तो कार्य हो गया है। तो क्या इसे आप जारी रखना चाहते हैं, इस प्रस्ताव को ?

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो चाहता हूं कि इसमें कई ऐसे प्रश्न हैं कि थोड़ा और विचार हो जाय तो अधिक अच्छा होगा क्योंकि इसमें अन्तरिम प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में कोई आवश्यकता है या नहीं है, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है.....।

श्रीमन्, प्रार्थना है कि जरा शान्ति रहनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—जरा कृपा करके आप लोग शान्त रहें क्योंकि आपस में बहुत बातें हो रही हैं और जोर से हो रही हैं। मैं समझता हूं कि शान्ति सदन में रखना लाजिमी है।

श्री रणंजय सिंह—मेरी प्रार्थना है कि इसके लिये कुछ समय मिल जाय तो थोड़ा विचार हो जाय। अगर सदन चाहता है तो यह समाप्त कर दिया जायगा अन्यथा थोड़ी देर चलने दिया जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, काफी विचार पिछले मर्तबा इस पर हो भी चुका है और इसके बाद विधेयक भी पास हो चुका है जैसा आपने स्वयं भी कहा कि आधे से ज्यादा काम पूरा हो गया। तो जब तक अन्तरिम कानून बनेगा उसी में न जाने कितना समय लग जायगा और तब तक यह कानून भी बन कर तैयार हो जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि सदन का समय अगले विधेयक पर जो माननीय सदस्य का ही है डालडावाला, उस पर लगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—तो आपका वापस लेने का इरादा नहीं है ?

श्री रणंजय सिंह—थोड़ा विचार हो जाय, श्रीमन्, तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—माननीय नागेश्वर द्विवेदी भाषण दे रहे थे। लेकिन यह मैं कहूंगा कि भाषण अब सीमित रहेगा अन्तरिम कार्यवाही पर क्योंकि विधेयक बन चुका है और उस पर अब बहस नहीं होगी।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब यह संकल्प प्रस्तुत हुआ था उस समय अपना विचार इस पर प्रगट कर रहा था लेकिन आज की स्थिति में कुछ परिवर्तन हो गया है। जब यह संकल्प प्रस्तुत किया गया था उस समय हमारे सदन के सामने विधेयक आ चुका था लेकिन पारित नहीं हुआ था। कल यह विधेयक पारित हो गया। तो ऐसी हालत में अब उतनी आवश्यकता को जैसा आपने स्वयं स्वीकार किया है नहीं रह गई थी कि यह संकल्प पारित किया जाता। इसका जो दूसरा अंश है और जिस पर हो सकता है लोगों में मतभेद भी हो, उस पर विचार करना आवश्यक है। विधेयक पारित हो गया, अभी यह कौंसिल में जायगा। फिर वहां से आने के बाद हस्ताक्षर करने में, इसकी स्वीकृति लेने में काफी समय लग सकता है। हो सकता है कि इस बीच में कुछ कानूनी अड़चनें भी आ जायं जिसकी वजह से कुछ और वक्त लग जाय और ऐसी हालत में जबकि हम सभी लोग इस सदन में स्वीकार कर चुके हैं और एक मत से गोसंवर्द्धन जांच समिति ने इसके महत्व को माना है और ऐसे कानून का बनाना आवश्यक समझा है तो इस सम्बन्ध में हम जितनी जल्दी कोई प्रतिबन्ध लगा सकें उतना ही अच्छा है। इसलिए इस संकल्प के दूसरे भाग में जहां पर यहतो कहा गया है कि न्तरिम काल के लिएव्यवस्था कर दी जाय, तुरन्त व्यवथा कर दी जाय, तो यह आवश्यक हो गया है कि ऐसी व्यवस्था की जाय। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी

कह रहे हैं कि यह कैसे किया जाय, इसको भी बतलाया जाय। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर उपाय सोचेंगे तो खुद निकाल लेंगे। उसके लिए किसी दूसरे को सहायता देने की आवश्यकता नहीं रहती है।

श्री अध्यक्ष—क्या आपका सुझाव है कि पुलिस मन्त्री की सहायता लेकर काम करें ?

श्री नागेश्वर द्विवेदी—इस सम्बन्ध में अगर कोई रास्ता निकल सकता हो, कुछ कर सकते हों, तो करें, यदि नहीं कर सकते हों, तो जिस तरह से चल रहे हैं, उसी तरह से चलेंगे। फिर इस संकल्प के पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं। और मैं माननीय रणंजय सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि इसको वह वापस ले लेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रणंजय सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जिस समय गोवध निवारण का प्रश्न इस विधान सभा में मैंने उपस्थित किया था तब से आज तक इतने वर्ष व्यतीत हुए। सरकार ने भी आश्वासन दिया, गोसंवर्धन जांच समिति स्थापित हुई, ३२ सहस्र रुपया उसमें लगा और उसका प्रतिवेदन आया। राज्यपाल महोदय ने भी यहां पर आकर अपने संबोधन में घोषणा की कि अब शीघ्र उस प्रतिवेदन के अनुरूप यहां पर एक विधेयक ले आया जायगा। विधेयक आया, वह पारित हो गया और इससे पहले मैंने उस दिन, २६ अगस्त को यह निवेदन किया था कि मैं चाहता हूं कि मेरा संकल्प है, यह पहले का है, विधेयक तो आ गया है लेकिन इस पर भी विचार करना आवश्यक है। यदि अन्तरिम प्रतिबन्ध लग सकता हो तो अवश्य ही लगे। न मालूम अभी कितने महीने और लग जायं, इसलिए मैंने इसको उपस्थित करना आवश्यक समझा। आश्चर्य यह हो रहा है कि जब विधेयक यहां पर रखा गया तो दो तीन दिन इधर से और उधर से बहुत सी बातें कही गयीं और पारित हुआ, लेकिन अब इस प्रश्न पर विचार करने के लिये सदन में शान्ति भी नहीं दिखलाई पड़ रही है कि इसको माना जाय या न माना जाय। मैं श्रीमन् जी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदा निष्पक्ष भाव से जो उचित जान पड़ता है मैं उसके अनुसार अपने विचार रखने का प्रयत्न करता हूं, किसी दलबन्दी से प्रेरित होकर नहीं रखता। इसलिए मैंने सदन का समय लेना आवश्यक समझा था कि उस दिन बहुत सी बातें कही गयीं, उनका उत्तर न दूं और चुपचाप बैठ जाउं तो उचित नहीं मालूम होता, लेकिन इतना सुनने के लिए इस समय यहां बड़ी अशान्ति हो रही है मुझे सन्देह है कि इस लाउड स्पीकर के होते हुए भी मैं अपनी बात माननीय सदस्यों को सुना सकूं।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य जरा शान्ति कायम रखें।

श्री रणंजय सिंह—मैं कोई और बात नहीं करूंगा। मैं तो एक प्रार्थना कर रहा हूं। क्योंकि अभी यह विधेयक जो यहां पर स्वीकार हुआ है वह परिषद् में जायगा। परिषद् के बाद स्वीकृति के लिए जायगा, इसमें कुछ समय लगेगा। इसके लिए यदि कोई उपाय निकल सके तो अच्छा है। मैंने उस दिन कृषि मंत्री जी से प्रार्थना की थी कि म्युनिसिपल बोर्ड हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं, जहां प्रतिबन्ध न लगा हो वहां आदेश भेज दिया जाय कि ऐसा हमने निर्णय किया है और ऐसा पहले भी गोसंवर्द्धन जांच समिति का प्रतिवेदन भी प्रकाशित हुआ है जिसमें सरकार से प्रार्थना की थी कि जितने अवैध वधालय हैं, जो इल्लीगल चल रहे हैं उनको तो तत्काल ही गोवंश

[श्री रणंजय सिंह]

की रक्षा के लिए बन्द करने के आदेश निकाल दिये जायं। गो वंश की रक्षा के लिए यहां पर विधेयक पारित करके प्रेम सब ने दिखलाया, अब अंतरिम प्रतिबन्ध के लिए भी यदि उचित हो और रास्ता निकल सके, कोई उपाय निकल सके तो मेरी प्रार्थना है कि यह अवश्य लगना चाहिये, और अगर वास्तव में विवशता है तो फिर कोई बात ही नहीं है।

कुछ बातें इस सदन में इस संकल्प के सम्बन्ध में कही गयीं, उनसे भी मैं आश्चर्य-चकित हो रहा हूं। एक तो यहां पर एक बेगम साहिबा थीं, उनका नाम याद नहीं। उन्होंने जो कहा, उसके लिए मुझे दुःख है। कोई मजहबी बात इसमें नहीं है। गोवध बन्द किया जाता है तो वह प्रतिबन्ध किसी को दुःख देने के लिए या सताने के लिए नहीं बल्कि जो सतायी जाती हैं उनके हित में है और उनके वध को रोका जाता है। उन्होंने बड़े उत्तेजनापूर्ण शब्द कहे। यही नहीं कि वह स्वयं उत्तेजित हुई हों, बल्कि अन्य लोगों को भी उत्तेजित कर रही थीं। तो यहां पर यह प्रश्न इसी लिए उठाया गया है कि कृषि एवं जन-स्वास्थ्य के लिए यह परम आवश्यक है। सरकार ने भी आर्थिक दृष्टि से इस पर विचार करके विधेयक पेश किया था। लेकिन गोरक्षा का प्रश्न आने पर इस कृषि प्रधान देश में इतनी उत्तेजना उत्पन्न करना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न अब सामने रहा नहीं। उसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। अन्तरिम कार्यवाही के लिये सवाल आप कर सकते हैं और कुछ नहीं। यह तो विधेयक सम्बन्धी बहस आप दोहरा रहे हैं। जब विधेयक पास हो चुका तो उसमें सब बहसें हो गईं।

श्री रणंजय सिंह—श्रीमन्, मेरा अभिप्राय केवल इतना था कि सन् १९१९ में जब अमृतसर में मुस्लिम लीग का उत्सव हुआ था तब यह प्रस्ताव पास हो गया था कि गोवध बन्द होना चाहिये। इसमें कोई मजहबी बात नहीं है। गोरक्षा के सम्बन्ध में तो कोई मतभेद नहीं है, विधेयक भी बन गया है। यह मैं मानता हूं कि जब बिल केवल प्रस्तुत ही नहीं हुआ है अपितु इस माननीय सदन में स्वीकृत भी हो चुका है तो अध्यादेश इसके लिये बन नहीं सकता है किन्तु सरकार बहुत से अपने इस तरह के आदेश निकालती है कि यह मन्शा है उसकी, तो यदि इस सम्बन्ध में भी वह ऐसा कोई आदेश निकाल सके तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी क्योंकि यह मानी हुई बात है कि यहां से विधेयक पास हुआ है, अभी वह परिषद् में जायगा, वहां सम्भव है कि कोई ऐसा संशोधन स्वीकार हो जाय जिसके कारण उसे यहां फिर आना पड़े और फिर यहां विचार हो और फिर स्वीकृति के लिये जाय तो उसमें भी काफी समय लग जायगा। तो इस तरह से काफी समय लग सकता है क्योंकि सन् ५२ में उठाया गया प्रश्न ५५ में येनकेन प्रकारेण पूरा हुआ, लगभग पौने तीन वर्ष लग गये। और यदि गोवध पर अन्तरिम प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायगा तो तब तक हमारे कितने ही अच्छे-अच्छे सांड़, अच्छी-अच्छी गायें, अच्छे अच्छे बछड़े मार डाले जायंगे। अतः मेरी यही प्रार्थना है कि इस बात पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिये। यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जैसे कल माननीय शाहिद फारूकी ने कहा कि हंसी दिल्लगी हो रही है। ठीक है जब खुशी होती है तो हंसी आती ही है। गो रक्षा का प्रश्न बहुत ही गम्भीर है और ऐसे गम्भीर प्रश्न पर विचार करने के लिये समय भी न निकाला जाय तो बड़े आश्चर्य की बात है। इस पर कोई बहुत दलीलें देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह मानी हुई बात है कि अभी अधिनियम बनने में कुछ समय लगेगा और उसके बाद अधिनियम लागू होने में भी कुछ समय लगेगा तो उस बीच के लिये यदि कोई उपाय हो सके तो बहुत अच्छा हो।

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संकल्प के प्रथम भाग का जहां तक सम्बन्ध है वह तो काम पूरा हो चुका। यह कहा गया था कि गो संवर्धन समिति की जो रिपोर्ट है उस पर जल्द अज़ जल्द विचार करके एक विधेयक बना दिया जाय। उसकी तामील इस सदन के सामने हो चुकी। दूसरा हिस्सा इस संकल्प का है कि जब तक वह कानून लागू न हो तब तक कोई ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाय कि गायों का वध होना बन्द हो जाय। मैंने इस सम्बन्ध में जितने महानुभावों ने इसकी ताईद में तकरीरें कीं, उनके समझने की कोशिश की और मेरी यह आशा थी और खास कर प्रस्तावक महोदय से मुझे पूर्ण आशा थी कि वह कोई ऐसा सुझाव देंगे कि किस तरह से अन्तरिम आदेश जारी किये जायं जिससे कि गोवध में रुकावट पैदा कर दी जाय। लेकिन मेरी आशा बिल्कुल आशा ही रह गयी और किसी ने कोई सुझाव नहीं दिया। मैंने खुद, जब से यह प्रस्ताव इस सदन के सामने आया और गत तिथि पर जब इस पर बहस मुबाहिसा हो रहा था उसके बाद भी, इस सम्बन्ध में कोई रास्ता निकालने की चेष्टा की कि कोई ऐसा कानून या सहारा निकाला जाय कि उसके आधार पर कोई आर्डर जारी कर सकें लेकिन मुझे न तो कोई मिला और न प्रस्तावक महोदय ने ही बतलाया। उन्होंने अगर और मगर लगाकर मुझे सलाह दी, कि सम्भव हो तो हो न हो तो न हो, इससे काम नहीं चल सकता है। दो तरीके हो सकते हैं कि या तो आर्डिनेंस जारी किया जाय या फिर कानून बनाया जाय, तब कहीं जाकर ऐसे आर्डर्स जारी किये जा सकते हैं, क्योंकि हमारा सदन सेशन में है इसलिये आर्डिनेंस जारी किया नहीं जा सकता है, आर्डिनेंस जारी करना कायदे के खिलाफ बात होगी। अब बात रही यह कि दूसरा ऐसा कोई कानून नहीं है और न मैं पा सका और न हमारे माननीय दोस्त ने बतलाया।

हमारे सामने एक ही चारा है कि दूसरा विधेयक ले आयें टेम्पोरेरी इस हद तक रोक करने के लिये कि जब तक कल वाला कानून लागू न हो जाय तब तक ऐसा विधेयक बना कर सदन के सामने रखें और श्री जोरावर वर्मा कह दें कि इसे प्रवर समिति के सामने रख दिया जाय या और सज्जन कहें कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय और हर क्लाज पर बहस होगी और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संशोधन आयेंगे तो बहुत समय लगेगा और फिर वह भी असेंट के लिये जायगा और सम्भव है कि इसमें अड़चन हो। तो हम समझते हैं कि इससे हमारा मतलब पूरा नहीं हो सकता है और कम से कम मैं पूरा नहीं कर सकता हूं क्योंकि कानून के बिना मैं कोई हुक्म जारी कर दूं तो इसकी न तो सदन ही इजाजत देगा और न कुंवर साहब ही इसकी इजाजत देना पसन्द करेंगे और न कोई माननीय सदस्य मुझसे ऐसी बात कराने के लिये तैयार होंगे जो नियम के विरुद्ध हो। लिहाजा मैं समझता हूं कि अब यह प्रस्ताव बेकार हो गया। जब नोटिस दिया गया था उस समय यह बाकार था लेकिन कल के बाद बेकार साबित हो गया और दूसरा हिस्सा तो इसका पहले से ही बेकार था लेकिन जो इसका काम था, जो कुंवर साहब का काम था वह पूरा हो चुका है। अब मैं समझता हूं कि इसमें कोई अर्थ नहीं रहा और न रस ही रहा और अगर वह मुनासिब समझें तो वापस लें, अगर वापस नहीं लें तो मैं इसकी मुखालफत करता हूं।

श्री रणंजय सिंह---श्रीमान् जी, अगर विवशता है तो वापस ही लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संकल्प वापस लिया जाय।

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।)

वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि "डालडा" के स्थान पर "वनस्पति घृत" कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप अपने प्रस्ताव को बदल कर पढ़ दीजिये।

श्री रणंजय सिंह—श्रीमान् जी, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि "वनस्पति घृत" से वास्तविक घृत का भ्रम होता है और वनस्पति घृत स्वास्थ्य के लिये वास्तविक घृत के समान गुणकारी नहीं है, अपितु वह हानिकारक है। अतः जब तक वनस्पति घृत का रंग न बदल दिया जाय, समस्त राज्य में वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय।"

श्रीमान् जी,....

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य) अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ कहना है...

श्री अध्यक्ष—आपको वैधानिक आपत्ति है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां, आपके नोटिस में मुझे इस चीज को लाना है कि ऐसे प्रस्ताव जब सदन के सामने प्रस्तुत होते हैं तो उसकी बाकायदा सूचना विभाग को देनी चाहिये ताकि विभाग उसके अनुसार तैयार हो सके। इसकी कोई सूचना अभी तक हमको नहीं है। इसलिये मैं इस चीज को आपके नोटिस में लाना चाहता था।

श्री अध्यक्ष—मुझे तो यह सूचना मिली है कि यह सूचना कल सरकार को भेज दी गयी थी। साथ ही यह भी मुझको बतलाया गया है कि इस प्रस्ताव पर सरकार ने विचार भी कर लिया है।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—वाक़या तो यह है कि आज एजेन्डे पर जितने रेज्योलूशन्स रखे हुये हैं इनमें किसी पर भी गवर्नमेंट को विचार करने का मौका इसलिये नहीं मिला कि यह गवर्नमेंट के इल्म में नहीं आया, मिन्जुमला इसके कि किसी डिपार्टमेंट के पास इत्तिला पहुंची हो उसकी बाबत मैं नहीं कह सकता। लेकिन तरीका जो है वह यह है कि जब यहां से कोई रेज़ोल्यूशन किसी डिपार्टमेंट के पास पहुंचता है तो वह उसको कैबिनेट में भेज देता है और कैबिनेट उसके उपर विचार करके यह फैसला करती है कि इस रेज्योलूशन के मुताल्लिक गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जाय, आया उस पर बहस की जाय या उसकी मुखालिफत की जाय। इसलिये कोई राय इनके मुताल्लिक कायम नहीं हो सकी है। बहरहाल, यह रेज्योलूशन पेश हो गया है तो इसके ऊपर बहस हो जाय। गवर्नमेंट को कोई ऐतराज नहीं है और गवर्नमेंट की तरफ से जो जवाब देना होगा वह दे दिया जायगा। मेरे दोस्त अगर इनको मंजूर करते हैं तो इसके ऊपर बहस हो जाय और गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर जवाब दे दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—इसमें देर अवश्य हुई। मेरे दफ्तर से कल यह सब प्रस्ताव भेजे गये क्योंकि वे छप कर नहीं आये थे और कुछ कानूनी राय लेने में भी दिन लगे। इसलिये जब वे कल शाम को छप कर आये तो भेजे गये। इस कारण सरकार को उन पर विचार करने का मौका नहीं मिला। लेकिन सरकार को इस प्रस्ताव को उपस्थित करने में कोई आपत्ति नहीं है, तो अब इसके ऊपर बहस जारी रहे।

श्री रणंजय सिंह---श्रीमान् जी को धन्यवाद है। मैं यहां पर वनस्पति घी के सम्बन्ध में यह संकल्प लाया हूं। इससे असली घी का भ्रम होता है। इससे मेरा अभिप्राय यह है कि हमारे देश में जब हम देखते हैं कि नवयुवकों के लिये बड़े-बड़े आन्दोलन होते हैं। जब हम इस बात को चाहते हैं कि हमारे यहां के नवयुवक बलवान हों, वीर हों और देशभक्त हों और उनके लिये नाना प्रकार की बात कही जाती है, किन्तु उधर कुछ सिनेमाघरों में अश्लील चित्र इस प्रकार के दिखाये जाते हैं जिससे नवयुवकों के चरित्र पर बुरा असर पड़ता है। इसी तरह से डालडा के लिये प्रचार किया जा रहा है जो हमारे नवयुवकों के लिये स्वास्थ्यनाशक हो रहा है। जब हम इस बात को इस वीर भूमि में देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। हमारे यहां नवयुवकों को हृष्ट-पुष्ट होना चाहिये और उनका स्वास्थ्य सुन्दर होना चाहिये जो उनके चेहरों को देखने से यह मालूम हो कि यह वीरों की सन्तान हैं। भीम और अर्जुन जैसी सन्तान यहां पर होनी चाहिये। हमारे यहां हनुमान जैसे वीर बलिष्ठ हो चुके हैं। आज हमको इस तरह की सन्तान दिखायी पड़ती है कि जिनकी आंखें अन्दर को धंसी हुई हैं और गाल पिचके हुये हैं। इसीलिये इस प्रस्ताव को लाया गया है कि सरकार इसके लिये कोई उपाय करे। पहले यहां पर डालडा का प्रचार नहीं था और तब यहां पर घी और तेल शुद्ध मिलते थे और शुद्ध घी खाकर लोग पलते थे, लेकिन आज तो डालडा वाले स्थान-स्थान पर प्रचार करने के लिये पहुंच गये हैं और दौड़-दौड़ कर बतलाते हैं कि यह बहुत लाभकारी है और उससे भी लाभकर है और उससे भी यह सुन्दर है। देश भर में इसका प्रचार किया जा रहा है। देखने से यह जान पड़ता है कि यह कोई नई वस्तु है और अब से पहले कभी नहीं देखी गयी और इसको उन्होंने अपूर्व वस्तु बना दिया है। जो पहले संसार में नहीं थी। दुनिया में एटम बम बनाया गया और हाइड्रोजन बम बनाया गया, लेकिन यह उससे भी अपूर्व चीज है जो अब बनायी गयी है...

श्री अध्यक्ष---मैं देखता हूं कि अब भी सदन में काफी आवाज आ रही है। माननीय सदस्य थोड़ा शान्त रहें तो अच्छा है।

श्री रणंजय सिंह---कहने के लिये तो बड़ी दुनिया भर की बातें कही जाती हैं परन्तु वास्तविकता की बातें सुनाने के लिये शान्ति भी नहीं मिलती है। हमारा भोजन सात्विक होना चाहिये। अब यह भी कहा जाता है कि नकली चावल और दूध इत्यादि सब बनेंगे तो इस नक़लबाजी को दूर करने की आवश्यकता है। तमाम देश और प्रदेश के सुधार के लिये बड़ी-बड़ी योजनायें बन रही हैं। किन्तु भविष्य के चरित्र के सुधार के लिये और हमारे नवयुवकों को उत्थान की ओर ले जाने के लिये कोई वैसी योजना नहीं है। मनुष्य के पास पैसा हो और पैसे के पीछे कितनी बरबादी और खून होते हैं। पैसे के लिये लोग वनस्पति घी बना कर दूसरों को खिलाते हैं। अब तो गांवों में भी यह चीज जारी हो गई है। सब से अधिक प्रचार डालडा का या वनस्पति तैल का हो रहा है और उसे बन्द करना चाहिये। मैं बाहर भी इसके खिलाफ प्रचार चाहता हूं। मैं इसका व्यापार नहीं करता हूं और न मैं शुद्ध घी का ही व्यापार करता हूं। अगर इसके लिये रंग बना दें तो किसी को धोखा तो नहीं लगेगा। किसी भोजनालय में आप जाइये वहां सिवाय डालडा के और कुछ अर्थात् देशी शुद्ध घृत मिलेगा ही नहीं। लखनऊ में इटावा और एटा आदि से अच्छा घी आता है तो उसे भी लोग सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। मनुष्य रोगों से जब इतना रुग्ण रहेगा तो कैसे उसका मस्तिष्क ठीक काम देगा? लोग कहते हैं कि यहां पहलवानों के दंगल होते हैं, लेकिन वह क्या करेंगे, क्योंकि उनको अच्छा घी तो खाने को मिलता ही नहीं है? कृत्रिमता इतनी फैलती जा रही है कि इससे वास्तविकता का नाश होता जा रहा है। हमारे सभी नवयुवक स्वस्थ होने चाहियें, ताकि वे अपने देश की सेवा ठीक से कर सकें। पैसा लेने के लिये तमाम दल दौड़ धूप करते हैं, चाहे कोई मरे और चाहे कोई जिये। "डालडा" का इतना दुष्प्रभाव पड़ता है

[श्री रणंजय सिंह]

कि उसका यह परिणाम होता है कि जिसकी कल यहां चर्चा की गई थी दुखद घटना की, मैं उसके बारे में अधिक नहीं जानता हूं। मैंने भी बाराबंकी में जाकर देखा कि उनका पोस्ट-मार्टम हो रहा था कि पोस्टमार्टम के लिए एक और बालक का शव आ गया जिसे उसके बाप ने मार डाला था। मुझे बड़ा दुःख हुआ। इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक पहलू पर प्रत्येक दृष्टि से हम लोग विचार करें कि किस प्रकार से सुधार हो, यह हमें सोचना चाहिये। गोसंवर्धन समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में जो संकल्प मैंने वापस लिये, गोसंवर्धन समिति की रिपोर्ट पर मेरा निवेदन था कि एक अधिनियम बनाया जाय। मैं चाहता हूं कि वनस्पति घी की बिक्री कम से कम उस समय तक न हो जब तक उसमें मिलाने के लिये रंग नहीं मिलता है। सुधार का एक आवश्यक अंग समझ कर मैंने यह संकल्प रखा है और मैं यह आशा करता हूं कि इसमें कोई मतभेद नहीं होगा। जिन लोगों की गोरक्षा की इच्छा है उनके लिये आवश्यक है कि मेरे संकल्प का समर्थन करें। आज कल राजनीति इतनी बढ़ी हुई है कि वह कभी-कभी इधर-उधर घूम जाती है। चुनाव वगैरह में लोगों का ज्यादा समय चला जाता है। हमारे देश के पहलवान यूरोप आदि जाया करते थे। पंडित मोतीलाल जी नेहरू उन्हें विदेश ले गये थे। गामा जैसे पहलवान हमारे यहां होते थे। आपको मालूम होगा कि जर्मनी की लड़ाई में जाकर हमारे देश के लोगों ने शत्रु के छक्के छुड़ा दिये थे वरना नहीं मालूम अंग्रेज कितने पिटते और उनका क्या होता। सभी देशों के लोगों ने भारतवासियों की वीरता मानी। हमारे देश के दुर्भाग्य से दूध और घी की कमी हो गई है। विदेशों में आजकल इन चीजों की अधिकता है। मैं युद्धों की अधिक चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारे देशवासियों ने जाकर युद्धों में धूम मचा दी। हम नक़ली चीजें खाकर स्वस्थ नहीं रह सकते। अस्वस्थ रह कर हम देश का गौरव नहीं बढ़ा सकते हैं। हमें गोमाता की रक्षा करनी है, लेकिन जब लोग असली चीजों की ओर ही ध्यान नहीं देंगे तो क्यों गोमाता को पालेंगे। कल भैंस पालने की बात हो रही थी। मैं तो निरामिषहारी हूं, मैं मांस नहीं खाता हूं। मैं सिद्धान्ततः चाहता हूं कि दुनिया में इसका प्रचार हो जाय। जब १९४६ में आन्दोलन हो रहा था उस समय भी इस बात की घोषणा की जाती थी कि तुम वोट दो, यहां पर घी और दूध की नदियां बहेंगी। हमारे देश में किसी समय चीन और दूसरे देशों के यात्री आते थे तो पीने के लिये यदि पानी मांगते थे तो उन्हें दूध दिया जाता था। लेकिन आज वह बात नहीं रह गई है और हम घी और दूध के लिये तरसने लगे हैं। आप बाजार में जाइये आपको बिना डालडा या वनस्पति घी के शुद्ध घृत मिलना ही कठिन हो रहा है। हम नक़ली चीजें खायेंगे तो नक़ली बनेंगे असली चीजें खायेंगे तो असली बनेंगे और अगर असली का प्रयोग नहीं करेंगे तो अपने शरीर को, स्वास्थ्य को और अपने मस्तिष्क को बिगाड़ कर रख देंगे। अगर पैसे के पीछे पड़े रहे तो ये सब चीजें हाथ से चली जायेंगी। श्रीमन्, आवाज़ बहुत हो रही है.....

श्री अध्यक्ष—कृपा करके आप लोग शांत हो जायं।

श्री रणंजय सिंह—अगर हम कृत्रिम वस्तुओं को काम में लायेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी कृत्रिम होगा और अगर शुद्ध और वास्तविक वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे तो स्वास्थ्य भी वास्तविक होगा। मैं चाहता हूं कि गली-गली में गौओं की रक्षा हो, गो सदन हों, लेकिन यह तभी होगा जब हमारे यहां शुद्ध घी और दूध का मूल्य समझा जायगा और तभी हमारे यहां पशुओं की रक्षा हो सकेगी। यहां पर, इस सदन में भी कई बार यह प्रश्न उठाया गया कि डालडा के रंग को बदल दिया जाय, लेकिन हमारे देश में बड़े-बड़े वैज्ञानिक हैं, आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथिक, होमियोपैथिक डाक्टर और हकीम हैं, लेकिन फिर भी किसी साइंटिस्ट को कोई रंग नहीं मिल पाया है। बड़ी बड़ी चीजें बन जाती हैं, बड़े-बड़े आविष्कार हो जाते हैं, लेकिन इतनी सी बात नहीं हो

पाती। इसका कारण वास्तव में समझ में नहीं आता। मैं वनस्पति घी का इसलिये विरोधी हूं कि वह घी का रूप धारण करके बाजार में आता है और लोगों को धोखा देता है। इसलिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह या तो इसमें कोई रंग मिला दे और अगर कोई रंग इसको रंगने वाला न मिले तो इसको बन्द कर दिया जाय। मुझे विश्वास है कि जिस दिन इसकी विक्री बन्द की जायगी, कोई न कोई रंग अवश्य मिल जायगा। यह प्रश्न आज प्रस्ताव के रूप में आया है। शलाका में प्रश्नों का आना एक तो वैसे ही कठिन होता है और फिर बड़े भाग्य से ही असरकारी दिन भी मिलता है। तो फिर शलाका और आज के दिन जो बातें हमारे सामने आ गयी हैं उन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये। बड़ी-बड़ी योजनायें निकल रही हैं उनको चलाने के लिये स्वस्थ मनुष्यों की आवश्यकता है, लेकिन जब तक अच्छा घी-दूध नहीं मिलेगा तब तक स्वस्थ मनुष्य कैसे मिलेंगे? मैं चाहूंगा कि स्वास्थ्य पर बुरा असर डालने वाली जितनी बातें हैं उन सब को बन्द किया जाना चाहिये। मैं यह भी जानता हूं कि "रोम वाज़ नाट बिल्ट इन ए डे"। मैं यह भी जानता हूं कि सरकार के सामने भी कितनी ही कठिनाइयां हैं और उनको कितनी ही सुन्दर बातों पर विचार करना है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो, क्योंकि वह अपनी ही सरकार है, वह सब कुछ कर सकती है। सब लोग स्वस्थ हों, सब लोग देश की सेवा कर सकें तथा अच्छे-अच्छे और बड़े-बड़े काम कर सकें। तो ऐसी दशा में जब कि सब लोगों को देश का काम करना है और देश को जगाना है तथा आगे ले चलना है तथा अपने झंडे की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए यहां के नवयुवकों को संसार के सामने एक आदर्श उपस्थित करना है तो फिर क्या हम उनके खाने-पीने की चीजों की तरफ इस तरह से उदासीनता रखें, यह चीज मैं ठीक नहीं समझता। इसलिये हमको एक-एक बात पर जो लोगों के लिये लाभदायक हो, जो अच्छा से अच्छा हो, उन पर विचार करके उनको कार्यान्वित करना चाहिये और उसके लिये कोई विधेयक लाने का उपाय करना चाहिये। जब कहीं विषूचिका फैलती है तो टीका आदि लगाने की बातें तथा और भी बहुत से प्रबन्ध की बातें की जाती हैं तो क्या डालडा वनस्पति घी पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये सरकार कोई नियम नहीं बना सकती है? मैं चाहता हूं कि कोई नियम इसके लिये बनाया जाय और मैं समझता हूं कि सरकार के पास इतनी शक्ति है, उसे इस बात के लिये अधिकार है कि यदि देश के लिये कोई वस्तु हानिकारक हो उस पर वह तत्काल, अविलम्ब प्रतिबन्ध लगा दे। उसके बाद और भी बहुत सी चीजें जो देश के लिये हानिकारक हों उन पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये और इसी तरह से हम बड़े-बड़े काम संसार के अन्दर कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प को प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैज़ाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं कि एजेंडे में तो डालडा छपा हुआ है, तो क्या इसमें कुछ और बढ़ा दिया गया है?

श्री अध्यक्ष—उसके एवज में वनस्पति घृत कर दिया गया है।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके अन्दर अभी एक संशोधन दिया है।

श्री अध्यक्ष—वह ले लिया जायगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिये कोई टाइम फिक्स किया गया है?

श्री अध्यक्ष—प्रथम बोलने वाले के लिये २५ मिनट और १५ मिनट दूसरों के लिये रहता है, यह नियम में है।

*श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय रणंजय सिंह जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मेरे विरोध का कारण भी है। सबसे पहला कारण विरोध करने का यह है कि माननीय रणंजय सिंह जी ने प्रस्ताव में कुछ और रखा है और भाषण कुछ और दिया है। आपका प्रस्ताव है कि डालडा रंग दिया जाय तब तो वह प्रचलित रहे।

श्री रणंजय सिंह---श्रीमन्, मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---कृपा करके आप उनकी बात सुन लीजिये, अभी बैठ जाइये।

श्री रामेश्वर लाल---आपका प्रस्ताव और है और भाषण का जो सारांश मैंने सुना उससे यह प्रतीत होता है कि आप चाहते हैं कि डालडा, वनस्पति घी रंग दिया जाय तब तो प्रचलित रहे और जब तक वह रंगा न जाय तब तक श्री रणंजय सिंह को जो शहर के अन्दर मिठाई देखने में घी के भ्रम में डालडा खाने का अवसर मिलता है, तब तक इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय। मैं समझता हूं कि श्री रणंजय सिंह ऐसे लोग ही जब घी खरीद कर खा सकते हैं उनको इस तरह का आबजेक्शन हो सकता है कि लाल घी जब तक सफेद घी के शकल में रहेगा तो धोखे में पड़ने का डर है और इसी प्रकार के लोग ऐसा प्रस्ताव उपस्थित कर सकते हैं। विरोध करने का मेरा पहला कारण तो यह है और दूसरा कारण यह है कि माननीय रणंजय सिंह जी ने यह प्रस्ताव इस सदन में जो राज्य सरकार का सदन है, यानी प्रान्तीय असेम्बली में रखा है। अगर यह सारे हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में आया होता या वहां पास होता तो उसका प्रभाव सारे देश पर पड़ता और हमारी राज्य सरकार या अन्य राज्यों के लिये उपादेयता का कोई काम होता। लेकिन श्री रणंजय सिंह जी ने इस सदन द्वारा ही इस प्रस्ताव को मान कर उत्तर प्रदेश के अन्दर ही प्रतिबन्ध लगाने तथा डालडा को रंगने की बात सोची। तो अन्य प्रदेश जो हैं उनसे हमें घाटा हो सकता है। तीसरी बात यह है कि डालडा या वनस्पति घी मूंगफली, गरी, तिल, अलसी और गडरी आदि के तेलों से तैयार होता है और वैज्ञानिकों की राय है कि यह तेल नुक्सानदेह नहीं है, ऐसा हमने अखबारों में पढ़ा है और यदि वह नुक्सान कर सकता है तो उनको कि जो तेल नहीं खाते या उसके खाने के आदी नहीं हैं, लेकिन जो तेल खाने के आदी हैं उनको वह नुक्सान नहीं कर सकता। इसलिये माननीय रणंजय सिंह जो तेल नहीं खाते और घी खाते हैं उनको वह नुक्सान कर सकता है। लेकिन जो देहाती रोजना इन तेलों को खाते हैं और जो गर्मी तक में इन गडरी सरों का तेल इस्तेमाल करते हैं और उसकी बनी हुई पूरियां खाते हैं वह उनको हानि नहीं करता, वह मेवा पूरी पकवान उसी में बनाते हैं जो उनको मयस्सर है। इस कारण से भी मैंने इस प्रस्ताव का विरोध किया है।

दूसरी बात यह है कि हम देहात से किसानों के प्रतिनिधि हैं और किसान एक केवल लड़के-लड़की की शादी में तो इसको इस्तेमाल करते हैं बाकी वह डालडा कभी इस्तेमाल नहीं करते और जब वह शहर में किसी मैजिस्ट्रेट के बुलाने पर आते हैं तब भी वह अपना लावा, सतुआ और भूजा साथ लाते हैं और उनको शहर की दुकानों पर पूरी मिठाई खाने का अवसर ही नहीं मिलता, उनको तो केवल शादी के वक्त ही डालडा लाने की जरूरत पड़ती है और उसकी संभावना भी इसीलिये होती है कि कुछ हम जैसे लोग उनके मेहमान बन कर चले जाते हैं, जो तेल के इस्तेमाल से हिचकते हैं। इसलिये वह डालडा का कनस्तर ले जाते हैं और घी की सी लगने वाली वनस्पति की पूरियां वह उनके लिये बनवा देते हैं। इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि देहातों में वनस्पति की खपत बहुत कम है और वह लोग औसतन साल में दो तीन दिन से अधिक इसका इस्तेमाल नहीं करते। इस लिये इसको बन्द करने से जो बहुसंख्यक हमारे देहाती किसान हैं उनको लाभ नहीं होगा इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक और बात है और वह यह कि माननीय सदस्यों ने श्री रणंजय सिंह का भाषण ध्यान से सुना होगा, उन्होंने कहा कि यह हमारी सन्तानों को खराब कर रहा है और तरह तरह की बुराई उससे पैदा हो रही हैं, सन्तानों को कुसन्तान बना रहा है, वीरों की अवीर सन्तान बनाता है, लेकिन उनको देखना चहिये था कि बहुत सी चीजें उस से भी ज्यादा खराब अभी तक समाज में प्रचलित हैं, जैसी ताड़ी है, शराब है, अफीम है, गांजा है और तमाम तरह की चीजें हैं उनका ध्यान वनस्पति की तरफ तो गया लेकिन सब इन चीजों पर नहीं गया और ध्यान गया तो उस चीज पर जो किसानों की पैदा की हुई प्रोडक्ट के तेलों से तैयार होती है। इधर तो ध्यान गया लेकिन मिट्टी के तेल के बने हुए जो बालों के तेल बिक रहे हैं जिनसे जवानी में ही बाल पक जाते हैं और बुढ़ापा आ जाता है, बीड़ी पर उनका ध्यान नहीं गया, जिससे हानि हो रही है और उसके लिये उन्होंने कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया। आप लाये तो किसानों को लाभ पहुंचाने वाली वनस्पति तेलों के व्यवसाय पर लाये .....

श्री रणंजय सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं एक पर्सनल एक्सपलेनेशन देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---वह बैठ नहीं रहे हैं, आप इस समय कृपा करके बैठ जायं।

श्री रामेश्वर लाल---मैंने माननीय रणंजय सिंह जी के वक्तव्य को ध्यान से सुना, लेकिन आप ने बहुत सी ऐसी स्वास्थ्य के लिये हानिकारक चीजों की तरफ सदन का ध्यान नहीं दिलाया जो समाज को नुक्सान पहुंचा रही हैं। उन का ध्यान वनस्पति और डालडा की तरफ गया, मैं समझता हूं कि इसका कारण यह है कि श्री रणंजय सिंह को लखनऊ में अच्छा घी खरीदने को नहीं मिलता और असुविधा होती है। अगर सम्मानित सदस्य बुरा न मानें तो कहूंगा कि लखनऊ में जब आते हैं तो हमें घी के नाम पर सचमुच दूसरी चीजें मिलती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिये कि इसके लिये हम वनस्पति उद्योग का ही विरोध करें। श्रीमन्, वनस्पति घी के उद्योग में इस देश के लाखों आदमी आज काम कर रहे हैं और वनस्पति घी के उद्योग में लाखों मन तिलहन आज किसान पैदा करते हैं उसका उपयोग होता है। यदि वनस्पति घी की उत्पत्ति पर यहां पर पाबन्दी लगा दी जायगी तो फिर हजारों मजदूरों को श्रीमन्, बेरोजगार हो जाना पड़ेगा। मैं डालडा घी पर अपने माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुये यह अवश्य कहना चाहूंगा कि यदि माननीय रणंजय सिंह जी और उनके ऐसे लोग जो भ्रम में हैं कि डालडा अनुपयोगी वस्तु है तो वैज्ञानिकों की खोज होनी चाहिये यह मेरा सुझाव है और यदि यह सिद्ध हो जैसा अब तक हमारे सामने नहीं आया है कि डालडा के उपयोग से स्वास्थ्य को लाभ नहीं पहुंचता हानि पहुंचती है, तो मैं समझता हूं कि प्रान्तीय सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह अपने प्रान्त में रहने वाले लोगों के जीवन और स्वास्थ्य के हेतु इस पर पाबन्दी लगा दे और बरबाद कर दे, लेकिन मेरा निश्चय मत है और जैसा कि डालडा के इस्तेमाल करने से मुझे अनुभव प्राप्त हुआ है और मैं श्रीमन्, अपने को किसी से कम तन्दुरुस्त नहीं समझता, मैं मानता हूं कि हमारे रणंजय सिंह मुझसे वजन में ज्यादा है, लेकिन मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि डालडा के इस्तेमाल से मेरा पेट खराब हो गया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या आप लड़ने के लिये तैयार हैं।

श्री रामेश्वर लाल---मैं किसी से भी लड़ सकता हूं। मैं उनसे भी लड़ सकता हूं। दूसरी बात श्रीमन्, डालडा के रंगने की है। एक बात माननीय रणंजय सिंह जी की हमारी समझ में अवश्य आयी। आज हमारी प्रान्तीय सरकार का और केन्द्रीय सरकार का यह कहना है कि कोई रंग नहीं मिल पाया इसलिये उनका अपने स्थान पर यह कहना उचित है कि आज के वैज्ञानिक युग में यह काम आसानी से हो सकता है। लेकिन यदि इसके लिये रंग ढूंढ़ा जा सकता है तो कोई ऐसा वैज्ञानिक भी हो सकता है जो ऐसा रंग ढूंढ़ सकता है, जिससे वह रंग भी मिट जाय। यदि एक रंग मान लिया जाय और उससे डालडा को रंग दिया जाय तो विज्ञान ऐसा रंग भी दे सकता है, जिससे वह रंग भी मिट जाय। कोई वैज्ञानिक नहीं ढूंढ़ेगा तो हममें से ही कोई ढूंढ़ लेगा। तो रंगवाली बात माननीय

[श्री रामेश्वर लाल]

रणंजय सिंह को भी समझाने वाली बात नहीं है। इसलिये कि जब तक विज्ञान का प्रसार है रंगों के विषय में हमेशा इधर-उधर हो सकता है। ऐसा वैज्ञानिक लोगों का कहना है कि डालडा में कुछ गैस दी जाती है बनाने के वक्त और उनका यह कहना है कि यदि यह बन्द कर दिया जाय तो डालडा उपयोगी सिद्ध हो सकेगा। मैं विशेष जानकार नहीं हूं और माननीय मंत्री जी से विशेष जानकारी के लिये प्रार्थना करना चाहूंगा कि वे अपने भाषण में इस पर प्रकाश डालें और यदि आवश्यक हो तो इसकी खोज करावेंगे कि जिस प्रकार की गैस दी जाती है डालडा में या वनस्पति घी में उससे स्वास्थ्य को हानि तो नहीं है या होने की संभावना तो नहीं है। तो मैं श्रीमन्, ज्यादा समय इस डालडा के प्रश्न पर नहीं लेना चाहता। देश के इस उपयोग में लगे लोगों की बेकारी, डालडा की उपयोगिता सब को देखते हुये मैं माननीय रणंजय सिंह जी के इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सदन इसका अब विरोध करेगा।

(श्री अध्यक्ष ने श्री बसन्तलाल शर्मा का नाम पुकारा)

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---श्रीमन्, मैंने एक संशोधन दिया है।

श्री अध्यक्ष---मैंने माननीय बसन्तलाल जी को बुलाया है, आपको भी उसके बाद अवसर दूंगा।

श्री बसन्तलाल शर्मा---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से जो डालडा संबंधी संकल्प है उसमें यह संशोधन करना चाहता हुं कि जहां-जहां शब्द "वनस्पति घृत" आया है उसके स्थान पर शब्द "जमाया हुआ मूंगफली व तिल का तेल अर्थात् वनस्पति घी" रख दिया जाय तथा शब्द "अतः" के पश्चात् का वाक्यांश "जब तक वनस्पति घृत का रंग न बदल दिया जाय" निकाल दिया जाय।

यह संशोधन मैं प्रस्तुत करता हूं और अब यह इस प्रकार हो जाता है :---

> "इस सदन का यह निश्चित मत है कि जमाया हुआ मूंगफली और तिल का तेल अर्थात् वनस्पति घी से वास्तविक घृत का भ्रम होता है और जमाया हुआ मूंगफली व तिल का तेल अर्थात् वनस्पति घी स्वास्थ्य के लिये घृत के समान गुणकारी नहीं है, अपितु वह हानिकारक है। अतः समस्त राज्य में जमाये हुए मूंगफली व तिल के तेल अर्थात् वनस्पति घी पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय।"

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि किसी भी देश के अन्दर विकास के लिये सुन्दर स्वास्थ्य की आवश्यकता है क्योंकि जब तक मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तब तक वह कोई भी काम ठीक नहीं कर सकता। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिये आयुर्वेद या जितनी भी चिकित्सा प्रणालियां हैं उन सब के अनुसार घी और दूध का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे भारतवर्ष के अंदर घी और दूध की एक समय कोई कमी नहीं थी और यह कहावत मशहूर है कि भारतवर्ष के अन्दर घी और दूध की नदियां बहा करती थीं। इसी लिये भारत का सर्वोपरि स्थान विश्व के अन्दर था। इसी वास्ते भारत ने सब से आगे हो कर विश्व का मार्ग प्रदर्शन किया है। जब से हमारे देश में घी और दूध की कमी हुई तभी से बराबर हमारा स्वास्थ्य गिरता चला गया और स्वास्थ्य गिरने के साथ-साथ हमारी बुद्धि का भी ह्रास हुआ और हमारा नैतिक पतन भी हुआ। हमारा स्वास्थ्य ठीक न रहने से हम दिन प्रति दिन अवनति की तरफ झुकते चले जा रहे हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वनस्पति घी जिससे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है उसके बजाय यदि शुद्ध घी मिले तो उससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। यद्यपि

स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिये और भी बहुत सी चीजें हैं केवल घी ही नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे एक-एक चीज की तरफ ध्यान देते चले जायंगे तो इसमें सन्देह नहीं कि हमें दिन प्रति दिन सफलता मिलती चली जायगी।

एक शंका माननीय रामेश्वर लाल जी ने इस समय हमारे सामने उपस्थित की कि अगर डालडा के ऊपर रोक लगा दी जायगी तो लाखों मजदूर बेकार हो जायेंगे और घी की कमी महसूस होने लगेगी। यह बात सरसरी तौर पर देखने से तो ठीक मालूम पड़ती है लेकिन मैं कह सकता हूं कि किसी भी वस्तु का उत्पादन तभी बढ़ा करता है जब उसकी डिमांड बढ़ा करती है। जब घी की किसी कारण से कमी होने लगी और कृत्रिम घी हमारे यहां बनाया जाने लगा और उसका उपयोग किया जाने लगा तो यह स्वाभाविक था कि पशुपालन की ओर से हमारा ध्यान हट जाय और पशुओं के महत्व को हम भूल बैठे, और यही कारण है कि आज हम पशु पालन का नारा लगाते हैं, पशु पालन को सर्वोपरि महत्व देते हैं क्योंकि भारत वर्ष कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधानता को देखते हुये यह आवश्यक है कि पशुओं का सर्व प्रथम स्थान उस के अन्दर रहे। लेकिन फिर भी यदि हम लोग अपने दिल पर हाथ रख कर देखें तो हममें से कितने ऐसे हैं कि जिनके दरवाजे पर गाय या भैंस मिलती है? एक बात यह कही जाती है कि हमारी आय इतनी कम है कि जिससे हम पशुओं का पालन नहीं कर सकते। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। आज अनेकों दुर्व्यसन फैले हुए हैं। पान बीडी इत्यादि के अन्दर हम तमाम पैसा बहा देते हैं, यदि चाहें तो उसी पैसे को बचा कर एक गाय या भैंस पालने में हम लगा सकते हैं और इस प्रकार आसानी के साथ एक गाय या भैंस का पालन अपने दरवाजे पर कर सकते हैं जिसके द्वारा अच्छा घी और दूध मिल सकता है। इसलिये यह जो दलील है कि बनस्पति घी के न रहने से घी की कमी हो जायगी यह मैं मानने के को तैयार नहीं। बल्कि हमारा ध्यान पशुपालन की तरफ जायगा और पशुओं का महत्व जो हम समझते हैं, उसकी रक्षा हो कर पशु संवर्द्धन हो सकेगा।

सरकार ने कल बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पास किया है गोरक्षा सम्बन्धी। मैं जानता हूं कि इस बिल से बहुत बड़ा कल्याणकारी कार्य होगा। लेकिन फिर भी यदि हम सरकार को सहयोग देना चाहते हैं, यदि जनता सरकार को सहयोग देना चाहती है, यदि देश को हम उन्नतिशील बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक भारतवासी का यानी हमारे देश में प्रत्येक रहने वाले का यह कर्तव्य हो जाता है कि अपने-अपने दरवाजे के ऊपर एक-एक गाय या भैंस जरूर पालें जिससे घी दूध अच्छा मिल सके और जो बछड़े पैदा हों उनकी सेवा कर सकें, तभी हमें अच्छा घी मिल सकता है। घी अच्छा न मिलने के कारण यही है कि वनस्पति घी अधिक फैला हुआ है और जब किसी तरह से कमी महसूस नहीं होती तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। यह स्वाभाविक धर्म है। इसलिये मैं समझता हूं कि यदि वनस्पति घी के ऊपर सरकार रोक नहीं लगाती तो यह असम्भव है कि लोगों का ध्यान पशुपालन की ओर अधिक जाय। वनस्पति घी के कारण हमारा नैतिक पतन भी बहुत हो गया है, इसका किस तरह से दुरुपयोग देहात में करते हैं। बाजार से खरीद कर ले जाते हैं और गरम दूध में मिला कर उसका दही जमाते हैं और उस दही का मंथन होने पर बनस्पति घी असली घी के रूप में निकल आता है। इससे हमारी किस तरह से हानि होती है, इसका जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, मैं समझता हूं कि जो संग्रहणी, टी० बी० (राज यक्ष्मा) जैसे राजरोग दिन प्रति दिन भीषणता से बढ़ते जाते हैं, उसका खास कारण यह है कि जो वनस्पति घी हम खाते हैं उससे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। यद्यपि तेल के खाने में उतनी हानि नहीं है। यद्यपि मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं तथापि सुनने से पता चलता है कि मूंगफली और तिल के तेल में ऐसी एसिड इत्यादि मिला कर इसको रिफाइन किया जाता है जिससे उसकी गंध गायब हो जाती है और उसमें जमने की शक्ति पैदा हो जाती है। जो एसिड इत्यादि इसमें मिलाये जाते हैं उनके मिलाने से उस तेल के अन्दर दुर्गुण पैदा हो जाते हैं जिससे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यह तो मानी

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

हुई बात है कि हमारी केन्द्रीय सरकार के सामने भी यह प्रश्न आ चुका है और हमारे नेताओं का ध्यान हृदय से इस तरफ जरूर खिचा है कि इसके ऊपर रोक लगायी जाय, कम से कम ऐसा कोई उपाय निकाला जाय जिससे जनता भ्रम में न पड़ सके, घी के खाने वाले धोखा न खा सकें। अगर इसके अन्दर रंग मिला दिया जाय तो इससे लोग सतर्क हो जायंगे। लेकिन यह दुख की बात है कि आज के इस वैज्ञानिक युग के अन्दर जब कि शरीर में एक प्राण—वायु भरने को छोड़ कर बाक़ी हर एक कार्य संभव हो गया है। लेकिन हमारे देश के अन्दर इसका उपाय अभी तक नहीं मिल सका। मेरा ऐसा विचार है कि उसकी तह में कोई जरूर दूसरी चीज है। उसकी तह के अन्दर पूंजीवाद का बहुत बड़ा हाथ है। चूंकि बड़े-बड़े पूंजीपतियों के ऐसे उद्योग धंधे हैं, उनके पास धन की कमी तो है नहीं और धन एक ऐसी चीज है जो सरलतापूर्वक मनुष्य से अनुचित कार्य करवा सकती है।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बसंतलाल शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि इस समय जो समय का प्रतिबन्ध है वह हटा दिया जाता तो अच्छा था। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि इस पर सभी बोलना चाहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—यह संभव नहीं है।

श्री बसंतलाल शर्मा—मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि वनस्पति या जो डालडा चल रहा है आज कल उसमें ऐसी मिलावट की जाती है, यानी ऐसी चीजों का संमिश्रण किया जाता है कि जिनका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और तमाम प्रकार के रोग शरीर के अन्दर उत्पन्न होते हैं। मैंने यह सुना है कि इसके बनाने में कोई एक धातु निकल या एलम्युनियम है कि जिसके ऊपर तिल के तेल को घिसा जाता है और फिर उसमें जमने की शक्ति पैदा होती है, यह स्वास्थ्य के लिये बहुत ही हानिकारक है। मैं यह भी समझता हूं कि जितने इसके निर्माता हैं, बड़े-बड़े पूंजीवादी हैं या जो इसके समर्थक हैं उन लोगों के यहां अगर पता लगाया जाय तो वे स्वयं इसका सेवन नहीं करते बल्कि अपने लिये वे लोग शुद्ध घी ढूंढ़ते हैं और उसको अपने यहां के नौकरों से देहातों से मंगवाते हैं लेकिन दूसरों को जहर पिलाने के लिये इतना एडवर्टाइजमेण्ट करते हैं ताकि अपने पास पैसा इकट्ठा होता चला जाय, भले ही देश और राष्ट्र का स्वास्थ्य नष्ट हो। तो इस चीज को हम लोग कब तक बरदाश्त करते रहेंगे? मैं यह भी जानता हूं कि इसके उत्पादन के कारण ही तिल का तेल और मूंगफली का तेल महंगा बिकता है। जिन लोगों को उस की आवश्यकता है यदि यह डालडा बनना बन्द हो जाय तो वह उन लोगों को सस्ता मिलने लगे।

जहां तक इसमें उद्योग धंधों का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि प्रत्येक दृष्टिकोण से उद्योग धंधों को इसके बन्द करने से प्रोत्साहन मिलेगा। जो कारखाने वनस्पति घी तैयार करते हैं उनमें मूंगफली का तेल और तिल का तेल तैयार होता रहे। उन कारखानों को बन्द करने की आवश्यकता नहीं है। मूंगफली का तेल और तिल के तेल की काफी आवश्यकता रहती है और साथ ही साथ जब यह वनस्पति बनना बन्द हो जायगा तो गांव के अन्दर जो हमारे ग्रामीण भाई हैं उनका जो घी का उद्योग है उसमें बढ़ोत्तरी होगी और गांव के अन्दर इस उद्योग को पनपने का फिर से मौका मिलेगा। गांव में और छोटे-छोटे कस्बों में भी पशु-पालन की तरफ ध्यान जायगा और इस तरह से लोग घी तैयार करेंगे और उसकी बिक्री करेंगे और उससे उनको लाभ होगा। गांवों में भी बेकारी फैलती जा रही है, क्योंकि खेती की समस्या से हमारी बेकारी दूर नहीं हो सकती।

खेती का तो भूमि के ऊपर वैसे ही दबाव बहुत काफी है, छोटी-छोटी खेती लोगों के पास रह गयी है, परिवारों की संख्या बढ़ गयी है, पपुलेशन बढ़ती जा रही है । ऐसी दशा में केवल खेती से हमारे यहाँ गांवों के अन्दर जो बेकारी फैल रही है वह दूर नहीं हो सकती । इस लिये उन उद्योग-धंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जो ग्राम-उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा । सौभाग्य से हमारे मंत्री स्वास्थ्य के भी मंत्री है और उद्योग के भी । इसलिये उनके दोनों विभागों पर इसका अच्छा असर पड़ेगा । मैं यह भी जानता हूं कि मूंगफली का तेल खाने के काम में भी लाया जाता है । बंगाल, मद्रास में खाली, मूगफली, तिल और कड़वा-तेल खाने में इस्तेमाल किया जाता है लेकिन कोई बुरा असर नहीं पड़ता, किंतु इसके अन्दर जो एसिड हानिकारक रसायनिक औषधियां मिलायी जाती हैं उनके द्वारा यह बिल्कुल जहर हो जाता है । हमारी सरकार एक तरफ तो यह मना करती हैं कि शराब पीने वालों को स्प्रिट में पानी मिला कर नहीं पीना चाहिये क्योंकि वह जहर है। लेकिन यह जहर जो खुले आम बाजार में बिकता है इसको किस प्रकार रोका जा सकता है यह सोचने की बात है । इसलिये मै पूरी आशा करता हूं कि जो घी, दूध खाता है उससे जो वीर्य तैयार होता है उसका अधिक आनन्द वही मनुष्य ले सकता है जो ब्रह्मचारी रहा हो और हमारे मन्त्री जी सौभाग्य से ब्रह्मचारी भी हैं इसलिये इसका उनको अनुभव भी है । मैं आशा करता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र जो जन कल्याणकारी गोवंश संवर्धन बिल बन कर के स्वीकार हुआ है उसी तरह यह डालडा विरोधक बिल नहीं है बल्कि गोरस संवर्धक संकल्प है यह भी स्वीकार होगा। इसलिये मैं माननीय रणंजय सिंह जी के संकल्प का अपने संशोधन के साथ पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---मुझे जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन दिये हैं उनको मौका देना है । जिस आर्डर में मेरे पास आये हैं उसी हिसाब से दे रहा हूं ।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री रणंजय सिंह जी के संकल्प में इस प्रकार का संशोधन देना चाहता हूं और इससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि "बिक्री पर प्रतिबन्ध" यह जो लिखा है इसके आगे "लगा दिया जाय" और बढ़ा दिया जाय । यह मेरा संशोधन है, यानी अब इस प्रकार से हुआ कि इस संकल्प की चौथी पंक्ति में शब्द "की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय" के स्थान पर यह शब्द रख दिये जायं---

"के कारखानों के मालि पर इतना बिक्री कर लगाकों दिया जाय कि बनस्पति घी असली घी से मंहगा पड़ने लगे"। श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, बनस्पति घी के सम्बन्ध में रंग के बारे में, जहां तक मैं भूल नहीं करता, लगभग १७, १८ साल हो गये लेकिन यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि अब तक कोई भी सज्जन ऐसा प्रदेश के अन्दर पैदा नहीं हुआ या इतनी योग्यता नहीं रखता कि जो किसी रंग को निकाल सके और जो त्रुटियां और कमियां हैं जिनसे हमारा प्रदेश ही नहीं बल्कि समस्त देश इसके लिये उतारू है कि बनस्पति घी में और असली घी में कुछ पहचान होनी चाहिये जिससे यह धोखादेही, लूटमार बन्द हो सके । इसके सिवा कोई और इलाज नहीं, कोई और इसका उपचार नहीं कि जिस चीज को समाप्त करना हो और जिससे बचना हो, यह प्रायः परिपाटी भी रही है पहले से भी और अब भी उस वस्तु पर टैक्स या कर लगा दिया जाया करता है । जो चीज हानिकारक हो, जो अपने देश के विरोध में पड़ती हो उस पर टैक्स बढ़ाया जाना चाहिये । अब इसके सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते कि यह प्रत्येक रूप से हानिकारक है । मैं उन ऐलोपैथिक डाक्टरों के सम्बन्ध में तो नहीं कहता जो कि इस बनस्पति घी को हानि-कारक नहीं बताते हैं । प्रायः देखा जाता है कि एक वर्ग ऐसा है जो कि इसके हक में चलता है और यह कहता है कि यह लाभदायक है । मैं नहीं समझता कि ऐसे सज्जन जो विदेशी बातों को पढ़े हैं वह किस प्रकार से ऐसी चीज को हितकर सिद्ध कर सकते हैं । यह बात पूछिये अपने वैद्यों से या हकीमों से वह इस बात को कहते हैं और कह रहे हैं कि बनस्पति घी हर तरह से हमारे देश के लिये

[श्री श्रीच द्र]

और सब जो इसको खाने वाले हैं उनके लिये हानिकारक है। दो मर्ज इससे पैदा होते हैं—टी०बी० (दिक का मर्ज) और सांस इत्यादि की जितनी भी बीमारियां हो रही हैं मुख्य कारण उसका यही है। इसके साथ ही जो मिलों की चीनी है, उसका तो यहां पर सम्बन्ध नहीं है लेकिन मैं इसको कहता हूं कि विशेषकर जो फेफड़ों से संबंधित मर्ज होते हैं वह इस बनस्पति घी से उत्पन्न होते हैं। इसके लिये पूरे प्रयत्न किये गये कि इसमें और खाने वाले घी में कोई फर्क हो लेकिन अब तक हम असफल रहे। मेरी समझ में कोई ऐसा उपाय नहीं सूझ पड़ता कि इसको किसी प्रकार से हम रोक सकें। कुछ दोष ऐसे हैं जो इस बनस्पति घी के कारण स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालते हैं। उनमें कुछ ऐसी कमियां हैं कि भ्रष्टाचार सम्बन्धी भी अवसर जनता में यह बात सुनने में आती है, मैं यह नहीं कह सकता कि कहां तक, किस सीमा तक वह सत्य है, लेकिन जहां जनता के अन्दर यह भावना फैली हो, तो उन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमको वह त्रुटियां दूर करनी हैं जिससे जनता आज जो चाहती है, उसके हित के अनुसार यह बात हो। जो सज्जन बनस्पति घी को अच्छा और लाभकर समझते हैं मैं समझता हूं वह वही सज्जन हैं जिनको बचपन से इसके खाने की आदत पड़ी हुयी है और वह ऐसे होंगे जो शहरों के रहने वाले हैं क्योंकि शहरों में गायें-भैंसें नहीं पाली जाती हैं और उनको बचपन से बनस्पति घी खाने की आदत पड़ी हुयी है। जिस प्रकार से कि यदि कोई तम्बाकू पीने लगे जोकि अत्यन्त हानिकारक है मगर फिर भी जब उससे उसको छुड़वाया जाय तो उसको छोड़ने में कठिनाई होगी, उसी तरह से उनका भी हाल है। इसके बजाय जो गांव का रहने वाला है वह कभी बनस्पति घी का प्रयोग नहीं करता। उसको जब कहीं कचौरी या मिठाई बनस्पति घी की बनी हुयी खाने को दी जाय उसको खांसी या और कोई रोग तुरन्त हो जायगा। यही पहिचान है कि यह हानिकारक है। जो प्रायः यह बात बतलाते हैं कि यह हानिकारक नहीं है वह इस चीज को नहीं समझते कि इसके अन्दर, इन बातों के नीचे, इसकी आड़ में अनेक बातें छिपी हुयी हैं। इसलिये मैं यह समझता हूं कि जो मैंने संशोधन रखा है यह संशोधन अत्यन्त आवश्यक है और जब तक यह लागू नहीं किया जायगा यह दोष कदापि नहीं कम हो सकता है बल्कि बढ़ता ही रहेगा। अभी हाल ही में कल एक अत्यन्त आवश्यक बिल पास किया गया है, मैं समझता हूं कि वह बिल इसमें पैदा होने वाली कमी को पूरा करेगा। मेरे मित्र यह समझेंगे यदि बिक्री कर लगा दिया जाय या कारखाने वालों पर भारी टैक्स लगा दिया जाय तो इसके बन्द होने पर काम नहीं चलेगा, कहां से घी आयेगा और किस घी की वह पूरी कचौरी, मिठाई खायेंगे? मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जो बिल कल पास हुआ है उसके अनुसार यदि दृढ़ता से काम किया गया तो अधिक से अधिक पांच वर्ष के अन्दर जितनी भी कमी इससे होगी, वह पूरी हो जायगी और कोई कष्ट किसी को नहीं होगा। यह नहीं है कि यदि हम डालडा को या बनस्पति घी को न खायें तो हमारा जीवन नहीं रह सकता है। इसकी जगह दूसरी और चीजें भी खायी जा सकती हैं। सरसों का तेल है, वह इस बनस्पति घी से कहीं ज्यादा अच्छा है, प्रायः देखने में आता है। मैंने स्वयं इस बनस्पति घी को बनते देखा है और मेरा विश्वास है जो भी सज्जन इसको बनते देखेंगे, उनको बड़ी घृणा हो जायगी इसको देखकर जिस प्रकार से कि यह स्वास्थ्य नाशक चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। जिस प्रकार से यह और चीजें भी मिला कर बनाया जाता है। जब इससे हमारे हृदय और फेफड़े ऐसी कोमल चीजों पर इतना बुरा प्रभाव इसका पड़ता है इससे सिद्ध है कि यह त्यागने के योग्य है। कदाचित् यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी प्रकार से भी इससे लाभ हो, इसलिये मैं श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, आप से यह निवेदन कर देना चाहता हूं, कि इस समय जो बनस्पति के रूप में कहा जाता है कि हमारे देश में उन्नति है और इसके बिना काम नहीं चलेगा, यह तो एक स्वार्थ की बात है और दूसरी चीज यह हो सकती है कि आदत और टेव पड़ गयी है जिसके कारण से यह बात कही जाती है। यदि इन बातों को छोड़ दिया जाय तो फिर असली घी और गौमाता और भैंसों के पालने की ओर अधिक ध्यान होगा और बनस्पति घी हमको मंहगा मिलेगा तो कौन ऐसा सज्जन होगा जो असली और बनस्पति को मिलायेगा और मंहगे होने से स्वयं ही बन्द हो जायगा और इस प्रकार इससे जो बुराइयां हमारे देश में फैली

हुयी है वह सब समाप्त हो जायंगी । हमारा चित्त एक ओर रहेगा और गोमाता और भैंस और अन्य दूध देने वाले जानवरों को पालने की ओर ध्यान अधिक होगा जिससे घी-दूध बढ़ेगा और घी की कमी समाप्त हो जायगी । वही दशा हो जायगी कि जिस प्रकार पुराने समय में हमारे यहां घी दूध की कमी नहीं थी हम सबने, मेरे सब मित्रों ने मिल कर इत्तफाक राय से यह सिद्ध कर दिया है कि एक बिल पास करके, सब सहमत ह कि हमारे देश म असली घी की बहुतायत हो और वही दशा हो जाय जैसा कहा जाता है कि हमारे देश में घी दूध की नदियां बहती थीं । उसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति पानी मांगे तो उसके लिये दूध दिया जाता था । अब भी मैं बहुत सी जगह देखता हूं कि यदि पानी मांगा जाता है तो दूध दिया जाता है । इस समय भी ऐसा है जहां गाय भैंसें काफी हैं । तो यही दशा हमारे देश की भी होगी । मैं समझता हूं कि बनस्पति घी के जो कारखाने हैं उनके कारण सब से बड़ी त्रुटि हमारे देश में यह आयी है कि हमारा घी दूध बन्द हो गया ।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार करके देश का हित किये जाने की कृपा की जाय ।

श्री रतनलाल जैन---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं संशोधन पेश करता हूं कि जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें से जो अन्त के शब्द हैं, आखिरी लाइन में शब्द "की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय" के स्थान पर शब्द "के विक्रेता को लाइसेंस लेना और दुकान पर साइन बोर्ड लगाना होगा एवं वनस्पति घृत विक्रेता वास्तविक घृत को नहीं बेंच सकेगा" रख दिये जायं । अब संशोधित होने पर वह इस प्रकार हो जायगा ---

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि बनस्पति घृत से वास्तविक घृत का भ्रम होता है और बनस्पति घृत स्वास्थ्य के लिये घृत के समान गुणकारी नहीं है, अपितु वह हानिकारक है । अतः जब तक बनस्पति घृत का रंग न बदल दिया जाय, समस्त राज्य में बनस्पति घृत के विक्रेता को लाइसेंस लेना और दुकान पर साइनबोर्ड लगाना होगा, उसमें बनस्पति घृत का विक्रेता वास्तविक घृत को नहीं बेच सकेगा" ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो पहले बताया गया है उससे मैं बिलकुल सहमत हूं कि वह जो बनस्पति घी है वह स्वास्थ्य के लिये अच्छा नहीं है । जितने भारतवर्ष के वैद्य तथा हकीम हैं उन्होंने तो इसको बुरा बतलाया ही है । एक मत से उनकी यह राय है कि यह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है । डाक्टरों में इसके सम्बन्ध में भिन्न मत हैं, कुछ अच्छा बताते हैं, कुछ बुरा बताते हैं । बहरहाल, जो भी कुछ हो इस बात को तो सभी पसन्द करेंगे कि घी हमें असली रूप में मिले । आज हमारे देश की यह अवस्था है कि शुद्ध घी का मिलना करीब-करीब असम्भव सा हो गया है । यह यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि यह घी शुद्ध है । गांवों में भी यह हो गया है कि गांव वाले बनस्पति घी को शहर से ले जाते हैं और फिर उसी को दूध में मिला कर पका देते हैं, उससे जो घी निकलता है उसकी पहचान बहुत मुश्किल से हो सकती है । आज देश की परिस्थिति यह हो गयी है कि कोई दवाई में भी अगर शुद्ध घी इस्तेमाल करना चाहे तो वह यकीन के साथ मिलना मुश्किल हो गया है । यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारी नैतिक अवस्था इतनी गिरी हुयी है कि हम इस चीज को शुद्ध नहीं बेंच सकते, धोखे से बेंचते हैं । दुकानदार ही नहीं, इसके पैदा करने वाले भी इसमें गड़बड़ करते हैं । जब हम दूसरे देशों को देखते हैं तो वहां पर मिलावट की बात बहुत कम है मगर हमारे देश में यह आम बात हो गयी है । इसलिये इस बात में तो कोई भी दो मत नहीं होंगे कि हर एक चीज शुद्ध दशा में ही मिले, मिलावट न हो । हमारे माननीय सदस्य श्री रामेश्वरलाल जी जो डालडा और बनस्पति घी को ठीक समझते हैं वे भी यह राय नहीं दे सकते कि घी हमें मिश्रित हालत में ही मिले । यह तो हर एक आदमी कहेगा कि घी, घी की हालत में मिले और वनस्पति घी बनस्पति घी की हालत में मिले ।

इसके अलावा मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि जितने भी बनस्पति घी हैं उन सब में डालडा घी सब से अच्छा बतलाया जाता है । मगर बनस्पति घी में बहुत से ऐसे हैं जो महुये या रेंडी के तेल या ऐसी चीजों से बनाये जाते हैं । उनको कोई भी जहां तक मैं समझता

[श्री रतनलाल जैन]

हूं अच्छा नहीं कहेगा। जो चीज जिस चीज से बनायी जाती है उसका असर तो उसमें रहेगा ही इसलिये यह मुमकिन है कि डालडा घी को वे अच्छा कहते हों मगर जो घटिया मेल के आते हैं उनको तो वे भी अच्छा नहीं कहेंगे। ऐसी सूरत में यह बिलकुल आवश्यक है कि अच्छा घी मिल सके और बनावटी घी से इसका भेद हो। लेकिन आज अगर हम यह कह दें कि इसको एकदम रोक दिया जाय तो उसके माने यह होते हैं कि हम उन मिलों को जो बनस्पति घी पैदा करते हैं बन्द कर दें। यह चीज ज्यादा अच्छी नहीं होगी क्योंकि आज हमारे देश में घी की, चिकनाई की कमी है। आज अगर इन मिलों को बन्द कर देते हैं तो बहुतों को चिकनाई ही नहीं मिलेगी, इसलिये ये भी रहनी चाहिये। मगर जो आदमी शुद्ध घी खाना चाहते हैं उनको शुद्ध घी मिल सके और जो बनस्पति खाना चाहते हों वे बनस्पति लें, इसके लिये रंग का होना जरूरी है। जब तक रंग का मसला तै नहीं होता है तब तक वह भी जारी रहे मगर ऐसा इन्तजाम कर दिया जाय कि मिलावट न हो। इसलिये मैंने संशोधन रखा है कि यह कर दिया जाय कि लायसेंस मुकर्रर कर दिया जाय। मैं माननीय मंत्री जी से माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा यह अर्ज करूंगा कि बनस्पति घी बेचने के लिये लायसेंस हो। (कुछ आवाजें--लायसेंस है।) अगर है तो ठीक है लेकिन मेरा ख्याल है कि आज कोई भी आदमी बिला लायसेंस के बनस्पति घी बेंच सकता है और इसमें यह बात रख दी जाय कि साइनबोर्ड लगावे और वह असली घी न बेंच सके। आज बहुतसे दुकानदार बिला लायसेंस के बेंच रहे हैं और न उनके यहां साइन बोर्ड लगता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि जब तक इसके लिये कोई रंग नहीं मिलता है उस वक्त तक कम से कम ऐसा कर दें कि रोक लगा दें कि वह धोखा न कर सके। यह तो बड़े दुख की बात है और खेद का विषय है कि हमारा देश जो इतना आगे बढ़ा हुआ है और विज्ञान में भी तरक्की कर रहा है, वह आज एक रंग नहीं निकाल सका जो पकने पर या और तरह से इस्तेमाल करने पर गायब न हो और जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक न हो और साथ में पक्का हो और घी में न मिल सके, इसका हमारे देश पर लांछन है। मैं तो माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसके लिय विशेष प्रयत्न करें कि अपने देश के खास-खास वैज्ञानिकों को ऐसा रंग निकालने के लिये कहें जो अहितकर न हो स्वास्थ्य के लिये और साथ में घी में न मिल सके और रंग पक्का हो। इन शब्दों के साथ मैं यह संशोधन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, मैं एक बात जानकारी के लिये जानना चाहता हूं कि कब तक अमेंडमेंट्स लिये जायेंगे और कितने आ चुके हैं?

श्री उपाध्यक्ष---अभी तीन-चार अमेंडमेंट्स और हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल---अभी भी लिये जा सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष---हां, देते रहिये अगर सदन को कोई दूसरा काम न करना हो"।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, क्या कोई बिना संशोधन दिये बोल नहीं सकेगा?

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इसके बाद वाद-विवाद होगा और उसमें सब बोल सकेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि संकल्प की पंक्ति २ व ३ में शब्द "अपितु यह हानिकारक है" निकाल दिये जायं तथा "अतः" के आगे "दिया जाय" तक निकाल दिया जाय और उसके आगे यह जोड़ दिया जाय "भारत सरकार से यह सदन पुरजोर शब्दों में अपील करता है कि बनस्पति घी पर शीघ्रातिशीघ्र रंग चढ़ा दिया जाय"।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मेरा संशोधन इस प्रकार हो जाता है कि:—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि बनस्पति घृत से वास्तविक घृत का भ्रम होता है और बनस्पति घृत स्वास्थ्य के लिये वास्तविक घृत के समान गुणकारी नहीं है । अतः भारत सरकार से यह सदन पुरजोर शब्दों में अपील करता है कि बनस्पति घी पर शीघ्रातिशीघ्र रंग चढ़ा दिया जाय" ।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह जो मेरा संशोधन है यह माननीय रणंजय सिंह जी को ही नहीं बल्कि सारे सदन को मान्य होना चाहिये । श्रीमन्, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कि यह कहते हैं कि डालडा फायदा पहुंचाने वाला है बल्कि परेशानी लोगों को यह होती है कि वह असली घी की जगह पर डालडा खरीद लेते हैं और जो लोग नहीं भी खरीदना चाहते हैं वह भ्रम में खरीद लेते हैं और नुक्सान उठाते हैं । असल में उद्देश्य यह होना चाहिये कि डालडा पर रंग चढ़ा दिया जाय और फिर जिसकी इच्छा हो वह खरीदे जिसकी इच्छा न हो वह न खरीदे और जहां तक मेरा ख्याल है कि भारत सरकार भी इससे सहमत है कि डालडा पर रंग चढ़ा दिया जाय । लेकिन किस प्रकार का रंग चढ़ाया जाय यह अभी विवाद का विषय ह । पता नहीं कब तक यह पूरा हो सकेगा ? इसलिये सदन से अपील करना चाहता हूं कि डालडा पर रंग चढ़ा दिया जाय । मैं समझता हूं कि शायद यह राज्य सरकार के बूते के बाहर का सवाल हो । इसलिये पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सरकार के बूते के अन्दर है कि इस तरह के प्रस्ताव आयें और सरकार उनको पूरा कर दे ।

श्री शिवनारायण—कोई आप रंग सजेस्ट करते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सही है कि डालडा नुक्सानदेह है लेकिन अगर लोगों को घी नहीं मिलता है तो सवाल सबके सामने आना चाहिये कि जब घी नहीं मिलता है तो कैसे घी का उपयोग करें । सब को भैंस गाय का घी मिलता नहीं है । सब को शुद्ध कड़ुवा तेल भी नहीं मिलता है और बहुत से लोग इस प्रदेश में और देश में शुद्ध घी के बदले में बनस्पति घी से अपना काम चलाते हैं । यह बात सही है कि यह घी स्वास्थ्य के लिये हानिकर है लेकिन लोग मजबूर होते हैं । उनको आवश्यकता होती है और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिये वह ऐसा करते हैं । आवश्यकता की पूर्ति के लिये मनुष्य बहुत बुरा काम भी करने के लिये तैयार हो जाता है । श्रीमन्, आप जानते हैं कि क़ै किया हुआ खाना किसी को नहीं खाना चाहिये लेकिन क्या सदन इसको नहीं जानता है कि बंगाल में अकाल पड़ा, उस समय लोगों ने क़ै किया हुआ चावल भी खाया । तो यह कहना बिल्कुल भ्रमोत्पादक है कि विवश हो कर आदमी अच्छा ही काम कर सकता है । मैं आप से निवेदन करूंगा इस प्रस्ताव की उस समय आवश्यकता नहीं होगी जिस समय हमारे देश में लोगों के लिये पूरा-पूरा घी पैदा हो सके और मिलने लगे । हमारे देश में आप जानते हैं कि ८ करोड़ के करीब गाय भैंस ह, इन ८ करोड़ गाय भैंस का दूध निकाला जाय और उस का घी तैयार किया जाय तो मैं समझता हूं कि वह दूध और घी भी हमारे देश के लिये बहुत ही कम होगा और वह सारे देश की आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकेगा । ऐसी हालत में यह पाबन्दी लगा देना कि डालडा की विक्री बन्द कर दी जाय यह मैं अनावश्यक समझता हूं क्योंकि कोई भी बात तथ्यपूर्ण होनी चाहिये और कोई भी संकल्प विचार पूर्ण आना चाहिये जो सर्वमान्य हो । यह सार्वदेशिक सवाल है । तो मैं ज्यादा वक्त न ले कर माननीय नियोजन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो हमारा यह संशोधन है वह सर्वमान्य है और उसको वह कृपा कर स्वीकार करें ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन भी उसी प्रकार का है जैसा कि रामसुन्दर पांडेय जी का है । उसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं ।

[श्री झारखंडे राय]

दूसरी पंक्ति में जो वाक्यांश है "घी के समान गुणकारी नहीं है" मैं समझता हूं इसमें "है" के बाद एक पूर्ण विराम लगा दिया जाय। उसके बाद के जितने शब्द हैं वे सब निकाल दिये जायं और उनकी जगह पर ये शब्द रखे जायं "इसलिये यह सदन केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करता है कि वह अविलम्ब वैज्ञानिक विशेषज्ञों की एक कमेटी नियुक्त करे जो शीघ्रातिशीघ्र डालडा को कलर्ड करने की व्यवस्था करें।" श्रीमन्, डालडा घी में सब से बड़ा दोष यह है कि जो आदमी घी खरीदना चाहता है वह घी के दाम दे कर डालडा मिश्रित घी या डालडा घी, उस में रंग न होने की वजह से पाता है। इसमें सबसे बड़ी हानि यही है। अगर घी के चाहने वाले को घी ही मिले और डालडा चाहने वाले को डालडा ही मिले तो कोई व्यावहारिक हानि नहीं होती है। किन्तु देश में यदि कोई डालडा को इस्तेमाल करना चाहता है तो उस को उस के इस्तेमाल करने की व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन घी के भ्रम में डालडा जो बाजारों में मिल रहा है उसके लिये रोक होनी चाहिये और उस को रोकना सरकार का कर्तव्य है और यह हमारे सुझाव का मूलविन्दु है। लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक कोई रंग नहीं निकल सका है जिससे शुद्ध घी में और डालडा में अन्तर किया जा सके। मैं समझता हूं कि दुनिया के आधे भाग में पूंजीवादी व्यवस्था है। और पूंजीवादी व्यवस्था के संचालकों ने उन दिमागों को भी खरीद लिया है जो वैज्ञानिक कहे जाते हैं। ऐसे लोग अपनी पूंजी के बल पर देश का शासन चलाते हैं। वनस्पति घी के विरुद्ध काम करने वालों को इसके कारखानेदार खरीद लेते हैं। यह सब पूंजी के बल पर होता है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार इसके जो वैज्ञानिक विशेषज्ञ हों उनकी एक कमेटी इस विषय में नियुक्त करे जो इस विषय में उस की जांच पड़ताल कर के ऐसे रंग का अन्वेषण करें जिससे घी और डालडा के रंग में फर्क किया जा सके।

जहां तक डालडा के बाजार में बिकने और उससे संबंधित कारबार तथा उसमें लगे हुये मजदूरों का ताल्लुक है, कृषकों के लाभ का प्रश्न है, उस विषय में माननीय रामेश्वर लाल जी ने सब बातें स्पष्ट कर दी हैं कि इसको बन्द कर देने से सचमुच हमारे देश एक प्रमुख उद्योग को हानि होगी। और उसमें लगे हुये हजारों लोग बेकार हो जायेंगे। इसलिये डालडा बनस्पति के खुले रूप में बिकने में मनुष्यों को जो मुख्य एतराज है वह यह है कि उसका और घी का रंग एक सा है। अगर इस चीज को दूर कर दिया जाय तो मुझे तो कोई हानि दीखती नहीं है। इसलिये मैं सदन का अधिक समय न ले कर यह चाहूंगा कि इसको कलर्ड करने के लिये केन्द्रीय सरकार से सिफारिस की जाय। आशा है माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

***श्री मोहनलाल गौतम** (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि मूल प्रस्ताव की दूसरी पंक्ति में "और वनस्पति घृत.....लगा दिया जाय" तक का वाक्यांश निकाल दिया जाय और यह शब्द जोड़ दिये जायं "इसलिये सरकार ऐसे नियम बनाये जिससे बनस्पति केवल लिक्विड रूप में रहे और जमे हुये रूप में न बनाया जा सके।"

अब इसका रूप यह हो जाता है —

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि बनस्पति घृत से वास्तविक घृत का भ्रम होता है इसलिये सरकार ऐसे नियम बनाये कि वह लिक्विड रूप में रहे और जमे हुये रूप में न बनाया जा सके।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में दो बातें हैं एक तो यह कि वनस्पति घी, शुद्ध घी में मिलाया जाता है और उससे भ्रम पैदा होता है। दूसरी बात यह है कि उससे हानि होती है यानी यह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, इसलिए इस को रंग दिया जाय और इसको बेचना बिल्कुल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बंद कर दिया जाय। हालांकि इस प्रस्ताव के जो दो हिस्से हैं उनमें आपस में विरोध है। लेकिन फिर भी जहां तक मूवर की इस बात का ताल्लुक है कि इसको रंग दिया जाय तो वह स्वास्थ्य के लिये अच्छा हो जायगा, इसलिये वह बिक भी सकता है और अगर रंगा न जाय तो वह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होगा, और इस पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण भी दे दिया यह दलील मेरी समझ में नहीं आयी। मैं उनकी इस चीज से सहमत हूं कि बनस्पति घी को शुद्ध घी में मिला कर बेचा जाता है किन्तु कुछ लोग प्रिजुडिस्ड हैं और बनस्पति घी के खिलाफ जो प्रचार किया गया है उसमें जरा साइन्टिफिक अप्रोच की कमी है। जब कि लोग कहते हैं कि वनस्पति घी हानिकारक है लेकिन अगर साइंटिफिक तरीकों से देखा जाय तो हम किसी दूसरे ही नतीजे पर पहुंच सकते हैं। और मंत्री महोदय जो स्वास्थ्य विभाग के हैं अगर वे उसकी जांच करायें तो उस जांच का नतीजा शायद यह निकलेगा कि वनस्पति एक रिफाइंड आइल है। कई तरह के तेलों से यह आइल बनाया जाता है लेकिन इसकी शक्ल तेल की नहीं रह जाती, उसका रंग साफ हो जाता है और वह जमा हुआ होता है। हो सकता है कि जिस तरह से गुड़ में जो गुण है वह डिस्टिल्ड शुगर में कुछ कम हो जाता हो, जिस तरह से क्रूड आयल यानी घानी के तेल में जो गुण है वह वनस्पति तेल में कुछ कम हो जाता हो। इतनी जानकारी तो मेरी है नहीं, ऐसा हो सकता है लेकिन वह इतना हानिकारक है कि उसका इस्तेमाल बिलकुल बन्द कर दिया जाय, अभी तक इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं कम से कम मैं अपनी ऐसी राय देने के लिये तैयार नहीं हूं। एक दिक्कत और भी है, दिक्कत यह है कि अगर आज वनस्पति घी को बिल्कुल बन्द कर दिया जाय सारे हिन्दुस्तान में तो उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि घी उतना काफी नहीं है जितना कि हम चाहते हैं। घी और दूध हमारे देश में बहुत नाकाफी है, बहुत कम हैं। दूध हमको उतना नहीं मिलता जितना कि हम दूध पीना चाहते हैं या जितना कि हमको पीना चाहिये। घी उतना है नहीं जितना कि हमारे देश को चाहिये। फिर हमारे लिये रास्ता केवल यह रह जाता है कि घी जब न हो तो हम तेल इस्तेमाल करें। तेल इस्तेमाल करने में बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं। मैं नहीं जानता कि सारी फौज के लिये हम शुद्ध घी दे सकेंगे या नहीं, और अगर घी नहीं दे सकते और बनस्पति घी बन्द हो जाय तो क्या हम उनको तेल दे कर सन्तुष्ट रख सकेंगे या नहीं? अगर यह सवाल मेरे सामने आवे तो मैं एकाएक यह कह सकूंगा कि वनस्पति घी इस वक्त बिलकुल बन्द हो जाय या उस का तैयार होना बन्द हो जाय। आज बहुत से गरीब आदमी हैं जो अपने मेहमानों को, जब वे उनके घर आते हैं तो घी तो वे खिला नहीं सकते क्योंकि घी है नहीं और अगर तेल की पूड़ी खिलाते हैं तो इसमें अपनी इज्जत में कमी समझते हैं और इस तरह से वनस्पति घी पर ही वे अपना गुजारा कर लेते हैं और जमाना जिस तरह से चल रहा है उसमें उनकी भी गुजर हो जाती है। कम से कम वे समझते हैं कि उनकी बेइज्जती नहीं हो रही है। आज वनस्पति घी को अगर रंगा जाय और अगर एलान कर के रंगी हुई पूड़ी खिलायी जाय कि हम तुमको रंगी हुई पूड़ी खिला रहे हैं तो बड़ी मुश्किल हो जायगी क्योंकि जो गरीब आदमी हैं वे घी की अदम मौजूदगी में अपने मेहमानों को तेल की पूड़ी खिलाते नहीं है बल्कि वनस्पति घी की पूड़ी खिलाते हैं और उसमें अपनी इज्जत बची हुई समझते हैं। रंगी हुई पूड़ी और रंगी हुई मिठाई खिलाने से कम से कम दिमाग साइकोलाजिकली सेटिस्फाइड नहीं होगा फिर रंग भी ऐसा होना चाहिये जो नुक्सान न दे, यह भी मुश्किल है। फिर जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि अगर रंगा जा सका तो साइंस हमारा इतना पीछे नहीं है कि उसका डिकलराइजेशन न हो, रंग को हटाया जा सकेगा तो इससे सिवा इसके और कुछ नहीं होगा कि आप एक इंसेंटिव और लोगों को बेइमानी करने का मौका दें। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिये मेरा यह संशोधन केवल इसलिये है कि एडल्ट्रेशन को दूर करने की जो बात है वह इस वक्त प्रैक्टिकल प्रपोजीशन नहीं है, वह अमल में नहीं आ सकता है जब तक कि हम बहुत ज्यादा गाय और भैंस पाल कर अधिक घी दूध न पैदा करें। यह एक दो साल का सवाल नहीं है, एक दो पंच वर्षीय योजना तक भी शायद काफी न होगा। जब तक कि वह जमाना न आये, जब

[श्री मोहनलाल गौतम]

तक कि घी दूध काफी न हो तब तक वनस्पति घी का बनना रोका नहीं जाना चाहिये और उसका रंगना गलत होगा। लेकिन इतना जरूर है कि उसको घी में मिलाने का अधिकार न होना चाहिये। चूंकि मैं समझता हूं कि हो सकता है कि कोई और रास्ता निकले लेकिन मेरे संशोधन का मुख्य अंग यह है कि कोई रास्ता ऐसा निकाला जाय कि उसे शुद्ध घी में न मिलाया जाय। जो शुद्ध घी खाना चाहे उसको घी मिले और जो वनस्पति घी खाना चाहे उसको बनस्पति घी मिले। आज हालत यह है कि दाम तो शुद्ध घी का दिया जाता है और खाने को बनस्पति घी मिलता है, यह चीज बहुत गलत है। जो चीज मैं समझ सका हूं वह यह है कि इसका रोकना बहुत मुश्किल है और मुनासिब भी नहीं है। लेकिन इसको लिक्विड फार्म में ही रखा जाय, सालिड फार्म में न बनाया जाय। इससे शायद असली घी में मिलाना मुश्किल होगा और इस तरह से जो घी में एडल्ट्रेशन होता है वह बन्द हो जायगा,। मेरे संशोधन का केवल इतना ही उद्देश्य है। अगर इतना हम कर दें तो मेरे ख्याल से घी शुद्ध मिलेगा और वेजिटेबिल और तेल भी अपनी जगह पर बिकें और जो जिस चीज को खाना चाहे वह खावे। अब रही स्वास्थ्य के लिये लाभ या हानि पहुंचाने की बात, तो यह प्रश्न स्वास्थ्य का ऐसा है कि जिसके लिये मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं केवल एक लेमैन हूं, इस हाउस में शायद दो चार डाक्टर हैं शायद उनको भी इस विषय में ज्ञान है या नहीं यह मैं नहीं कह सकता लेकिन हम इस विषय में कोई राय नहीं दे सकते हैं। यह तो स्वास्थ्य विभाग का काम है कि वह देखे कि जो भी खाने की चीजें बिकती हैं वह ऐसी न हों कि जिनसे नुक्सान हो। मैं समझता हूं कि इस विषय में रिसर्च की जाय और अगर नुक्सान होता है तो उस खराबी को दूर तो होना चाहिये, अगर उस में कोई ऐसी गैस भर दी जाती है कि जिससे नुक्सान पहुंचता है तो उस को भरने की इजाजत मिल मालिकों को न दी जाय, लेकिन बगैर जांच किये ही यह कहना कि वह नुक्सानदेह है, वह हम लोगों के लिये मुनासिब नहीं है। उस के खिलाफ़ कुछ ऐसा प्रिजुडिस है कि लोग उसको बुरा समझते हैं और हमारे दिमाग में ऐसी चीज भर गई है। मैं भी बनस्पति घी नहीं खाता, गुप्ता जी भी शायद नहीं खाते हों, वह भी शायद दावत में डलाडा हो तो जाना पसन्द न करें। यह तो अपनी राय है लेकिन उनके बारे में यह कहना कि उसे कोई न खावे, यह एक प्रेक्टिकल प्रोपीजीशन न होगा और उस से बहुत सी दिक्कतें और कम्पलीकेशन्स पैदा हो सकती हैं। इस वास्ते हमें इसी चीज पर कन्सेन्ट्रेट करना चाहिये कि वह घी में न मिलाया जाय और उस सम्बन्ध में जो उपाय बतायें जायं उन पर सरकार गौर करे, इतना ही मुझे कहना है।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि जो मूल प्रस्ताव है उसकी तीसरी लाइन में शब्द "अतः जब तक..... लगा दिया जाय" निकाल दिये जायं और उन के स्थान पर यह शब्द जोड़ दिये जायं "इसलिये सरकार इसको घी के नाम से न बिकवा कर अन्य तेलों की भांति बिकवाये।"

जैसे कि अन्य माननीय सदस्यों ने बताया इस प्रस्ताव के कई अंग हैं। इस बात पर कि डालडा से असली घी का भ्रम होता है इस सदन में दो रायें नहीं हैं। सब जानते हैं कि आजकल डालडा घी का असली घी में एडलट्रेशन होता है और कहीं कहीं-खुले हुये पीपों में से असली घी के नाम से व्यापारी बेच लेते हैं जिससे आम जनता को बड़ा धोखा और भ्रम होता है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वह यह है कि वह स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद है या नहीं, इस विषय में भी लोगों के भिन्न-भिन्न मत हैं। इस विषय में एक बार केन्द्रीय सरकार ने कुछ डाक्टरों की एक कमेटी बिठाई थी और उस कमेटी की पहली रिपोर्ट में यह था कि डालडा या जो अन्य वेजिटेबिल घी हैं वह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं। इस के बाद कुछ देश के वेस्टेड इन्टेरेस्ट्स के असर से बाद में एक और कमेटी इस काम के लिये बिठाई गई और उस की रिपोर्ट से साबित हुआ कि वेजिटेबिल घी स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नहीं हैं। वह दो भिन्न किस्म की एलोपैथिक डाक्टरों की राये हैं। परन्तु हमारे

वैद्यों और हकीमों का तो यह निश्चित मत है कि वनास्पति घी स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। मैं इस चीज में जाना नहीं चाहता, मैं इसको इस पहलू से देखता हूं कि जहां हमारे प्रदेश में और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें से यह भी हमारी एक इंडस्ट्री है। मैं नहीं जानता कि इसको वेजिटेबिल घी नाम किस तरह से मिला। परन्तु अब माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि अब इस का नाम बजाय घी के तेल हो गया है, तब तो मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन ही खत्म हो जाता है। अब मैं घी की बात न कह कर यह कहूंगा कि यह हमारी तेल की इंडस्ट्री है और हमारे देश में ऐसे काफी लोग हैं जो तेल खाना पसन्द करते हैं और खाते हैं और कुछ लोगों में तो ऐसे कस्टम्स हैं कि वह तेल ही खाते हैं--जैसे बंगाल में और बिहार में कुछ लोग अपनी आर्थिक स्थिति के कारण तेल खाते हैं और उनकी हालत एसी नहीं है कि वह घी खा सकें। और विशेष कर आज के समय में जब कि गाय और भैंसों की स्थिति इस प्रदेश में इतनी खराब है कि घी की उत्पत्ति बहुत कम है और यह क़ीमती बैठता है तो मैं समझता हूं कि लोगों को इसको तेल समझ कर इस्तेमाल करने की इजाज़त रहनी चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि हम बाजार में जायें तो घी खरीदने और ५ व ६ रुपया सेर का दाम दें लेकिन उस में मिला हो आधे से अधिक वनस्पति तेल! तो इस सम्बन्ध में मेरा यही कहना है कि यह जो इसका हाइड्रोजिनेशन होता है उसको बन्द कर दिया जाये और इसको लिक्विड फार्म में ही रक्खा जाय तो ऐडल्टरेशन करने में काफी कठिनाई होगी।

एक बात यह कही गयी कि इसकी बिक्री पर प्रतिबन्ध हो। मुझे शक है कि इस बात का अधिकार भी इस सरकार को है कि वह वेजिटेबिल घी की बिक्री पर कोई प्रतिबन्ध लगाए, क्योंकि संविधान की धारा १०९ ऐसी है जिसमें फ्रीडम आफ ट्रेड हैं। कुछ साथी शायद यह कहें कि स्टेट गवर्नमेंट्स को यह भी अधिकार दिया गया है कि यदि वह जनहित में चाहे तो कुछ व्यापारों पर प्रेसीडेंट की राय से प्रतिबन्ध लगा सकती है, मगर जहां तक वनस्पति तेल का सम्बन्ध है वह इसमें आता नहीं इसलिये इसका प्रश्न नहीं उठता। इसके साथ साथ हमको यह भी सोचना चाहिये कि इस इंडस्ट्री के अन्दर सकड़ों और हजारों मजदूर काम करते हैं। यदि हम इसको बन्द करते हैं तो हम उनकी बेकारी बढ़ायेंगे। जब तक हम उनके लिये भी कोई प्रबन्ध न करें तब तक इसकी बिक्री को बन्द करने की बात सोचना उचित नहीं है।

जहां तक रंग देने की बात है मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों की भी यही नीति है कि जल्द से जल्द यदि कोई प्रादेशिक या देश के वैज्ञानिक रंग दे सकें जो कि बाद में हटाया न जा सके और जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक न हो तो वह चाहते हैं कि इसको रंग दिया जाय ताकि ऐडल्टरेशन न हो। मैं नहीं जानता कि इस वैज्ञानिक युग में ऐसी बात क्यों नहीं हो पा रही है, लेकिन ऐसी अफवाह है कि इस प्रदेश के और देश के उद्योगपतियों का इसमें हाथ है जो इस तरह की बात नहीं होने देना चाहते। मैं समझता हूं कि सरकार का यह फर्ज है कि इस भ्रान्ति को दूर करे कि क्यों सरकार की नीयत अच्छी होते हुए भी उद्योगपतियों की साजिश है जो सरकार की इस नीति को कामयाब नहीं होने देती। सरकार को इस बात को साफ करना चाहिये और कम से कम इस बात का आश्वासन होना चाहिये लोगों को जिससे इस तरह की बात न हो और लोग समझने लगें कि सरकार इस ओर प्रयत्नशील है कि कम से कम ऐसा रंग जल्दी से जल्दी निकाला जाय। अन्त में मैं प्रस्ताव के पहले हिस्से का समर्थन करता हूं कि ऐडल्टरेशन की बात खत्म हो जाय। जो वनस्पति तेल खाना चाहें वे वनस्पति खावें और जो असली घी खाना चाहें वे असली घी खावें लेकिन मैं इसके दूसरे भाग का विरोध करता हूं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्ज़ापुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि संकल्प की दूसरी पंक्ति में "गुणकारी नहीं है" के पश्चात् का सारा वाक्यांश निकाल कर उस के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय:

"अतः यह सदन भारत सरकार से प्रार्थना करता है कि वह जमाये हुए मूंगफली व तिल के तेल का घी से विभेद करने के लिये उस के रंगने के संबंध

[श्री ब्रजभूषण मिश्र]

में शीघ्र कोई ठोस कार्यवाही करे जिससे इस संबंध में कानून बनाया जा सके।"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन का सीधा सा अर्थ तो यह है कि इस समय जो पेचीदिगियां पैदा हो गयी हैं, उनका कुछ समाधान निकाला जाय। यह कहना कि वनस्पति घी स्वास्थ्य के लिये गुणकारी है दिन को रात बताना है। दुनिया में ७ आश्चर्य थे लेकिन यह ८ वां आश्चर्य है! अगर कोई यह कहे कि डालडा स्वास्थ्य के लिये गुणकारी है, यह कदापि गुणकारी नहीं है, यह बात स्वयं सिद्ध है। जैसा कि मेरे पूर्ववक्ता ने बतलाया कि जो लोग डालडा बनाते हैं, जो बड़े बड़े कारखाना चलाते हैं वे स्वयं डालडा का इस्तेमाल नहीं करते। वे अपने लिये तो भैंसें रखते हैं और मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो डाक्टर साहबान इसकी राय देते हैं कि स्वास्थ्य के लिये यह हानिकारक नहीं है वे स्वयं इसको इस्तेमाल नहीं करते और यदि वे इसका इस्तेमाल करते हैं या स्वास्थ्यवर्धक मानते हैं तो मैं कहूंगा कि यह उन्हीं को मुबारक हो। हमारे देश की जनता को तो इस से बचाया जाय। मैं तो यह मानता हूं कि चाय और डालडा ये दोनों चीजें हिन्दुस्तान की गरीबी और दारिद्र्य की निशानी हैं। ये दोनों हमारी गरीबी का खुला विज्ञापन है। ज्यों-ज्यों हिन्दुस्तान में गरीबी बढ़ती चली जाती है त्यों त्यों इसका प्रचार अधिक होता जाता है। लोगों ने कहा कि हम ब्याह शादी में पूड़ी बनाते हैं और उन्हें खिला कर अपनी इज्जत बचाते हैं। जहर खिला कर इज्जत बचाना कोई इज्जत बचाना नहीं है! हमारे एक साथी ने कहा कि इसके कारखानें में लाखों गरीब मजदूरों को रोजगार मिलता है। मैं पूछता हूं कि कुछ लोगों को रोजगार दे कर १०,२०, ५० गुना लोगों को जहर खिलाना यह किसी प्रकार उपयुक्त नहीं हो सकता, मान्य नहीं हो सकता। मुझे तो उधर के भाषण सुन कर कुछ अजीब सी उलझनें पैदा हो गईं। आज माननीय रामेश्वर लाल जी और एक अन्य सदस्य ने जो भाषण किये हैं और डालडा के प्रति जो प्रेम दिखलाया है तो मैं उनसे पूछता हूं कि यह डालडा के प्रति प्रेम उनका है या डालडा के कारखानेदारों के प्रति। मेरी समझ में कुछ बात आई नहीं इसलिये मैं उनसे पूछता हूं कि कृपा कर के वे ही बतलायें कि यह प्रेम उनका किसके प्रति है?

श्री जगन्नाथ मल्ल—वहां के मजदूरों के प्रति।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—मेरी आशंका है कि सम्भव है कि जो इलेक्शन आने वाले हैं उनको दृष्टि में रख कर कारखानेदारों की खुशामद कर के उनको प्रसन्न रखने के लिये उनकी यह भूमिका हो। इस रूप में तो मैं मान सकता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि यह उनके विश्वास की बात नहीं है जो उन्होंने कहा है अगर वह यह मानते हों कि यह शरीर के लिये स्वास्थ्यवर्धक है तो अपने शरीर में तो वे चाहे भले ही स्वास्थ्य वर्धक सिद्ध कर रहे हों पर बुद्धि से तो उन्होंने इसे स्वास्थ्य-वर्धक सिद्ध नहीं किया। इसलिये यह कहना कि डालडा किसी प्रकार के स्वास्थ्य के लिये लाभदायक है दुनियां का ८ वां आश्चर्य ही है! रामेश्वरलाल जी ने यह कहा कि सैकड़ों बुरी चीजें चल रही हैं तो एक इसको भी चलने दिया जाय। मैं इसका यही मतलब समझता हूं कि अगर किसी की एक टांग टूटी हो और एक टांग बची हो तो उसे भी तोड़ दी जाय। एक भी रख कर क्या होगा? एक रुपये में ४ चवन्नी होती हैं, अगर तीन खो गयी और एक बच रही तो एक चवन्नी भी ले कर क्या करोगे, उसे भी फेंक दो, यह कोई दलील नहीं है। १०० चीजें बुरी चल रही हैं लिहाजा यह चीज भी चलने दी जाय यह कोई दलील नहीं है। एक सज्जन ने कहा कि दुर्भिक्ष होने पर लोग कै किये हुये चावल तक खाते हैं। उन्होंने स्वयं अपने तर्क से, दलील से, उदाहरण से यह सिद्ध किया कि वे कितनी दूर तक जा सकते हैं और डालडा को कितना बुरा मानते हैं जबकि उन्होंने कहा कि कहतसाली में मनुष्य कै का चावल भी खाता है, इसलिये डालडा भी खा लेना चाहिये! यह रामसुन्दर पांडेय जी ने कहा था, वह कहते-कहते स्वयं भूल गये और ऐसी बात कह गये जिसने उनकी जमीन को ही गायब कर दिया। इस तरह यह सब तरह से सिद्ध है कि यह

स्वास्थ्य के लिये लाभदायक नहीं है, हानिकारक है । वकील और डाक्टर, उनके प्रति पूरा सम्मान रखते हुये मैं इतना बताना चाहता हूं कि वकीलों ने मुकदमेबाजी और बेईमानी फैलायी और डाक्टरों ने मर्ज और बीमारी फैलायी ! इस वास्ते जो मैंने संशोधन पेश किया है वह इसलिये कि भारत सरकार से प्रार्थना की जाय क्योंकि उसमें बहुत सी कानूनी अड़चनें हैं, हम यह जानते हैं कि हमारी सरकार कहां तक जा सकती है और कहां तक सम्भव हो सकता है । आदर्श की चीजें दूसरी होती हैं लेकिन आदर्श को व्यवहार का जामा पहिनाना पड़ता है । इस वजह से मैंने यह संशोधन रखा है कि भारत सरकार से प्रार्थना की जाय । मैं चाहता हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश इस सम्बन्ध में अगुआयी करे और भारत सरकार को राय दे कर जोर डाले कि इसे बन्द करने के लिये जल्द कदम उठाया जाय । डालडा पर रंग चढ़ाने की व्यवस्था की जाय । जब रंग चढ़ाने की व्यवस्था हो जायगी तभी हम को आगे चल कर कानून के जरिये से इसको रोकने का आधार मिलेगा और सुविधा प्राप्त होगी । इस तरह से मैं चाहता हूं कि जो मेरा संशोधन है उसको स्वीकार किया जाय । डालडा के पक्ष में जो यह कहा जाता है कि यह स्वास्थ्य-वर्द्धक है, वह थोथी बातें हैं । इन बातों की भूलभुलइया में नहीं पड़ना चाहिये और ईमानदारी के साथ सामने आना चाहिये । मंत्री हों या डाक्टर हों या कोई हों जो विश्वास करते हों उसे जनता के सामने साफ-साफ कहना चाहिये । उसको मान करके चलना चाहिये और उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को उपस्थित करता हूं ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि संकल्प की पंक्ति ३ व ४ में शब्द "समस्त राज्य" के बजाय "उत्तर प्रदेश" रख दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत से भाषण इस सदन में सुने । माननीय ब्रजभूषण जी को सुन कर तो मुझे यह खयाल आया कि अगर कभी इस सदन के अन्दर कोई किसी मिल के किसी कपड़े की बात कर दे कि वह अच्छा है या बुरा है तो उससे मतलब लगाया जा सकता है कि कुछ मिल मालिकों से एलेक्शन के लिये रुपया लेते हैं । उन्होंने कुछ अभी आक्षेप सा किया । हमारे रामेश्वरलाल जी ने ऐसी बातें कहीं, उसकी तारीफ की, तो किसी मिल वाले से मिल गये या एलेक्शन आगे लड़ने की बात करते हैं । मैं इसके आगे क्या कहूं । 'जाकी रही भावना जैसी' इसके आगे मैं क्या कहूं । लेकिन मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब तब हुआ जबकि गौतम जी का संशोधन आया । समझ में नहीं आया वह क्या कह रहे हैं ! गरमी के दिनों में क्या होगा उसका ? घी भी पिघल जाता है उस वक्त क्या होगा ? तो गर्मियों में न मिलाये जाड़ों में मिलायें जब वह जम जाय । हो सकता है जैसा कि मैंने बोलने के लिये अमेंडमेंट रखा है वैसे माननीय गौतम जी ने भी रखा हो ।

श्री मोहनलाल गौतम---किसी भी अवस्था में अगर डालडा घी में मिला होगा, जब जम न सकेगा तो उसको जमा कर देखा जा सकेगा, घी अलग हो जायगा और लिक्विड अलग हो जायगी ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---इसमें हो सकता है कि कोई आदमी डालडा को अच्छा भी बता सकता है । लेकिन आज इस देश में सारे लोगों की यह राय है कि डालडा हानिकारक है । डालडा से मेरा मतलब नहीं है---डालडा के नाम से सारे बनस्पति तेलों को कहा जाता है । अगर बाजार से बनस्पति घी लाना हुआ तो कहते हैं कि डालडा ले आना । इसलिये यह बनस्पति घी जो है, उसे कोई डालडा के नाम से पुकारता है और कोई किसी नाम से, वह किसानों को, मजदूरों को और आम साधारण जनता को मजबूरी से खाना पड़ता है और सभी समझते हैं कि इसमें कुछ अच्छाई नहीं है, इससे देश का भला होने वाला नहीं है । बहुत से लोग ऐसा भी कह दिया करते हैं कि आज बनस्पति घी से चाहे कोई बुरा असर न पड़ता हो लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि तीसरी संतान

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

जब पैदा होगी, उसके जो बच्चे पैदा होंगे वह अंधे हो जायेंगे ! ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। मेरे गांव में भी लोग ऐसा ही कहते हैं कि आगे की संतान इसके खाने से अंधी हो जायगी,लेकिन मजबूरी इस बात की है कि बाजार में घी भी नहीं है और लोग मजबूरी में अपनी इज्जत रखने के लिये इस बनस्पति घी को खाते और अपना खाना इसमें बनवाते हैं। मैं समझता हूं कि इसका रंगा जाना बहुत आवश्यक है और रंग करके इसको बेचा जाना चाहिये। यह बड़े दुःख की बात है कि जब हमारे बड़े-बड़े साइंटिस्टों ने एक बात शुरू की कि इसका रंग बदलना चाहिये तो वह अभी तक पूरी क्यों नहीं हो पाती। जैसा कि बसन्तलाल जी का कहना है कि उनके पास भी पूंजीपति पहुंच जाते होंगे कि सारा मामला ही चौपट हो जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि कम से कम वह अपनी राय तो दे दें कि यह बुरा है या भला है। अगर वह लोग जनरल तरीके पर यह कह दें कि यह डालडा बुरा है मैं तो समझता हूं कि कोई सरकार भी शायद इसका बनना और बेचा जाना बरदाश्त न कर सके। मजबूरी से जो डालडा खाना चाहता है उसको डालडा खाने दीजिये लेकिन जो असली घी खाना चाहते हैं उन लोगों को आज तो असली घी नहीं मिल पाता है ! असली घी में बनस्पति मिला हुआ रहता है। जब तक कि कोई व्यक्ति अपने घर में गाय या भैंस न रखे तब तक उसको इस बात का इतमीनान नहीं होता कि जो घी हम खा रहे हैं उसमें बनस्पति मिला हुआ नहीं है। तो इस बात को पूरा करने के लिये गाय या भैंस रखने की बात तो है ही लेकिन साथ-साथ मैं यह चाहूंगा कि इसकी कोई रोकथाम हो। एक रोकथाम माननीय रतनलाल जी ने बतायी। उन्हें शायद पता नहीं है कि एडल्ट्रेशन ऐक्ट जो बना हुआ है उसमें साफ लिखा है कि अगर आप डालडा से खाना बनाते हैं तो लिख दीजिये कि यह डालडा का खाना है। आज कल तो सारे दुकानदारों के घी का इंस्पेक्शन किया जाता है। उनके घी का सेम्पल लिया जाता है और अगर उसमें मिलावट निकलती है तो अदालत में जुर्माना होता है। यह तो एडल्ट्रेशन की बात है, मगर मैं चाहता हूं कि घी सचमुच में अच्छा मिले। अगर हम घी खाना चाहते हैं तो घी खायें और बनस्पति खाना चाहते हैं तो बनस्पति खायें। और इसका एक ही तरीका है कि इसके ऊपर आप रंग कर दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको अपना एक तजुर्बा बताऊं कि मैं घी का बड़ा शौकीन था। मैंने अपने यहां एक गांव वाले से कहा कि आप मेरे लिये अच्छा घी ला दीजिये, उसने कहा कि मैं आपको प्योर घी ला दूंगा। हमारे यहां दूर-दूर गांवों में जो हालत है वह मैं आपको बता रहा हूं। उसने कहा कि बहुत अच्छा घी लाऊंगा। कुछ दिन बाद एक दूसरे मेरे दोस्त मुझे मिले और उन्होंने कहा कि तुम उससे घी लेते हो वह तो घी में डालडा मिलाया करता है। और अगर आप तरकीब देखना चाहते हैं तो उसकी गैरहाजिरी में एक दिन उसके घर चलिये, मैं आपको दिखाऊंगा कि यह घी कैसे बनाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दिन जब वह गैरहाजिर था अपने दोस्त के साथ उसके घर गया। वहां जाकर मैंने देखा कि डालडा के टीन रखे हुये हैं, दूध उबल रहा है और दूध में डालडा मिलाया जा रहा है। घी को वह लोग इस तरह से बनाते हैं कि पता नहीं चलता कि यह असली घी है या डालडा। तो मैं कहना चाहता हूं कि आखिर जब यह पब्लिक ओपीनियन है कि यह बुरा है तो इस ओर कोई कदम उठाना जरूर चाहिये। एक रास्ता तो इस सिलसिले में यह है कि जानवर पाले जायं और उनसे हर एक आदमी असली घी प्राप्त करे। लेकिन यह रास्ता तो मुश्किल सा है अगर ऐसा भी हो तो जो मजबूरी में खाना चाहते हैं उन्हें बचाने के लिये एक ही कायदा हो सकता है और वह यह कि इसको रंगा जाय। अब यह रंगने का काम जैसा माननीय राम सुन्दर पांडेय ने कहा कि हमारी जो गवर्नमेंट आफ इंडिया है उससे रिक्वेस्ट करें कि कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे जहां फैक्ट्रीज हैं वहीं पर कोई रंग डाला जाय जिससे डालडा की पहिचान हो जाय, घी और डाल्डा अलग-अलग पहिचाना जा सके।

अब उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अन्दाज नहीं कि किसके रिजोल्यूशन का समर्थन करूं। मेरी तो इच्छा यह है क्योंकि बहुत से अमेंडमेंट ऐसे पेश हुये हैं जो खाली बोलने के लिये हुये हैं, तो जो मेरा अपना अमेंडमेंट है उसको तो मैं वापस लेता हूं, वह तो मैंने बोलने के लिये रखा था

और जो संशोधन माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने रखा है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया को हम ऐप्रोच करें, स्टेट गवर्नमेंट ऐप्रोच करे, और यह बताते हुये कि यह हमारे लिये हानिकर है और उसको डिस्क्रिमिनेट करने के लिये कोई ऐसा रास्ता निकाला जाय जिससे पता चल सके कि डालडा कौन है और अच्छा घी कौन है ? इन शब्दों के साथ मैं राम सुन्दर पांडेय जी के अमेंडमेंट का समर्थन करता हूं ।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---अभी २ अमेंडमेंट्स हैं।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि संकल्प की अंतिम पंक्ति में "बिक्री" से पूर्व "उत्पत्ति और" शब्द बढ़ा दिये जायं ।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश की जनता सरकार से जिन बातों की तत्काल आशा करती थी उनमें से एक यह भी थी कि जो विलायती घी है इसका भी विलायती सरकार के साथ-साथ मुंह काला हो जायगा । पर आज ८ साल के बाद भी इस सदन को यह विचार करना पड़ रहा है कि इसमें रंग मिलाया जाय तथा इसकी बिक्री और उत्पत्ति पर प्रतिबन्ध लगाया जाय । किसी लोकोक्ति के अनुसार ठीक है कि 'प्रथम सुख निर्मल हो काया' किसी भी स्वतंत्र देश के लिये यह सबसे आवश्यक है कि वहां के निवासियों का स्वास्थ्य अच्छा हो, यह सब से पहली बात आवश्यक है । हमारी सरकार भी हर साल बजट में स्वास्थ्य की रक्षा एवं उन्नति के लिये करोड़ों रुपया खर्च करती है। कहीं ऐन्टी मलेरिया, कहीं ऐन्टी टी० बी०, बी० सी० जी० ड्राइव्ज इत्यादि-इत्यादि मनुष्यों और पशुओं के लिये । तो एक तरफ तो स्वास्थ्य की रक्षा के लिये खर्च हो काफी रुपया और दूसरी ओर ऐसी बातों को प्रचलित रखा जाय जिनसे स्वास्थ्य गिरता हो तो वह खर्च निरर्थक ही रहता है । इसलिये जहां कि माननीय गुप्ता जी जैसे स्वास्थ्य मंत्री हों जो भारतीयता और भारतीय संस्कृति के पुजारी ही न हों बल्कि अपने जीवन में उसे अमल में भी लाते हों वहां स्वास्थ्य के लिये सब प्रकार से हानिकारक बनस्पति घी आदि जो हैं यह प्रचलित रहे यह कुछ बात समझ में नहीं आती । डाक्टर लोग इसके लिये क्या कहते हैं ? अभी मुझसे पहले कई माननीय सदस्यों ने इसके बारे में बताया कि वे चाहे कुछ भी कहते हों लेकिन जो हमारा जनमत है वह यह कहता है कि यह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है । जब यह हानिकारक है तो संविधान के अनुसार हमारी सरकार इसके लिये नियम बना सकती है कि अपने यहां इसकी बिक्री या उत्पत्ति बन्द कर दे । तो क्यों नहीं जब तक केन्द्रीय सरकार इसके लिये रंग मिलाने की बात करे तब तक हम अपने प्रदेश में इसकी बिक्री या उत्पत्ति पर प्रतिबन्ध लगायें । कल ही इस आदरणीय सदन ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण गोवध निवारण विधेयक पास किया है । उसके पास होने के बाद जिस तरह कि वह हमारे देश के प्रत्येक मनुष्य के लिये, पशु और भूमि के लिये, एक उन्नति की बात हुई उसी प्रकार यह हमारे यहां के प्रत्येक प्राणी के लिये, उसके स्वास्थ्य के लिये, आवश्यक है कि इसको पास किया जाय। उत्तर प्रदेश जो सर्वदा अग्रणी रहा है इस तरह की बातों में, मैं आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में भी वह एकरास्ता दिखलायेगा सारे देश के लिये इस घी जैसे अहितकर और अस्वास्थ्यकर वस्तु को अपने यहां से बिलकुल निकाल कर ! जहां तक रंग का सम्बन्ध है कई बार जैसा कि अभी बताया गया पहले कुछ सम्मत्ति आयी और बाद को कुछ सम्मति आयी । मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे पास मैन्चेस्टर से एक विद्यार्थी का जो कि यहीं इसी प्रदेश का रहने वाला है, पत्र आया है जिसमें उन्होंने मुझसे यह पूछा है कि सरकार ने कोई इनाम घोषित किया था ऐसे रंग को निकालने वाले के लिये जो कि बनस्पति घी में मिलाया जा सके, तो क्या सचमुच वह इनाम दिया ही जायगा । उन्होंने लिखा है कि उन्होंने इस पर खोज की है और खोज अभी भी कर रहे हैं और उम्मीद है कि वह किसी ऐसे रंग को निकाल सकने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे । मैं चाहता हूं यदि माननीय मंत्री जी आवश्यक समझें तो मैं उनको उस विद्यार्थी

[श्री कृष्णशरण आर्य]

का पता दे सकता हूं, वह उनसे मालूम करें कि वह इस रंग को खोज पाये या नहीं। अगर वह ऐसा कोई रंग निकाल पायें तो बड़ा अच्छा है, हमारी सरकार को ही इसका श्रेय मिले कि उत्तर प्रदेश के ही विद्यार्थी ने ऐसा रंग निकाला। इन शब्दों के साथ मैं माननीय रणंजय सिंह जी के संकल्प का जो उन्होंने उपस्थित किया है माननीय बसन्त लाल जी के संशोधन तथा अपने संशोधन के साथ समर्थन करता हूं।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं :—

पंक्ति २ में शब्द "और बनस्पति घृत" से लेकर "हानिकारक है" तक निकाल दिये जायं। पंक्ति ३ में शब्द "वनस्पति घृत" से लेकर "जाय" तक के स्थान पर यह शब्द रख दिये जायं "ऐसा प्रबंध न हो कि यह घृत में मिलाया न जा सके"।

मेरे संशोधन के बाद यह संकल्प इस प्रकार पढ़ा जायगा : इस सदन का यह निश्चित मत है कि बनस्पति घृत से वास्तविक घृत का भ्रम होता है अतः जब तक ऐसा प्रबंध न हो कि यह घृत में मिलाया न जा सके समस्त राज्य में बनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय।

इस संकल्प के दो ही अंग थे : एक तो यह दलील थी कि इससे भ्रम होता है और यह घी में मिलाया जा सकता है। जहां तक इसका प्रश्न है मैं समझता हूं कि जितने माननीय सदस्य बोले हैं और अन्य सदस्य भी, जनता भी यह महसूस करती है कि यह मिलाया जाता है घी में और वास्तव में इससे भ्रम उत्पन्न होता है, और इसको रोकना चाहिये। दूसरी इसकी दलील यह है कि यह हानिकारक है, इस पर बहुत वादविवाद हुआ है। माननीय रामेश्वरलाल जी ने एक बात कही और मैं माननीय गौतम जी के विचार से सहमत हूं कि हमारा साइंटिफिक ऐप्रोच कम है, इसके निश्चय करने का अधिकार हमको नहीं है कि अमुक वस्तु हानिकारक है या लाभदायक है, इसके निश्चय करने का अधिकार तो डाक्टर को या साइंटिस्ट्स आदमियों को ही है। अतः मैंने यह संशोधन इसमें रखा है कि इन शब्दों को जिनमें कि यह कहा गया है कि यह हानिकारक है, निकाल दिया जाय। दूसरा अंग इसका यह है कि यह समस्त राज्य में उस समय तक रोक दिया जाय जब तक कि इसमें रंग न मिलाया जाय। रंग मिलाने का एक ही कारण था कि यह घी में न मिलाया जा सके। हानिकारक है या नहीं है यह जो इसका अंग है यह तो एक समस्या है। जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा—एकबार पत्रों में भी निकला था, कि चूहों पर इसका प्रयोग किया गया और यह देखा गया कि तीन पीढ़ी के बाद वह अन्धे हो गये और अपने मां को वह नहीं पहचान सके। दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं—गवर्नमेंट आफ इंडिया के जिम्मेदार आदमियों के ऐलान कि डाक्टरों की यह राय है कि यह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नहीं है। तो ऐसी अवस्था में हमें यह कहना बड़ा कठिन हो जायगा कि यह हानिकारक है या नहीं है। तो इसलिये तो इसमें रंग मिलाने का प्रश्न उपस्थित होता नहीं। यदि अन्त में सिद्ध हो जाय कि हानिकारक है तो मैं माननीय सदन के सामने यह निवेदन करूंगा कि इसको रखना ही निरर्थक होगा। हम तो स्पष्टतया कहेंगे कि इसको बन्द किया जाय और उसका प्रयोग देश के अन्दर बिलकुल न किया जाय। केवल एक ही बात रह जाती है जिसके कारण हम रंग मिलाना चाहते हैं और वह यह है कि उसे दूसरी चीजों में, घी में मिलाया न जा सके।

वादविवाद में यह चीज भी सामने आयी कि कोई रंग ऐसा नहीं निकाला जा सका जो मिलाये जाने पर न निकाला जा सके। गौतम जी ने यह कहा कि इसको लिक्विड फार्म में रक्खा जाय, लेकिन मेरा अपना विचार यह है कि ६–७ महीने तक हमारे प्रदेश में घी भी लिक्विड फार्म में रहता है। यदि यह कहा जाय कि घी जो जमा कर देखा जा सकता है तो कितने स्थान ऐसे होंगे, लखनऊ, इलाहाबाद में भले ही ५, ७, १० व्यक्ति उसको जमा सकें, रेफ्रीजरेटर में लेकिन कितने व्यक्तियों के पास रेफ्रीजरेटर हैं जो उस घी को जो लीक्विड फार्म में हैं जमा कर देख सकें। तो उसको लिक्विड करना भी व्यर्थ हो जायगा।

मेरे प्रस्ताव के अन्दर सब आ जाता है। लीक्विड करके न मिलाया जा सके और जब तक कोई रंग या खुशबू ऐसी न मिल जाय जो उसमें से निकाली न जा सके तब तक इसकी बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय और कोई ऐसा प्रबन्ध हो जाय तो हम उस प्रतिबन्ध को हटा दें।

अध्यक्ष महोदय, एक चीज से मैं सहमत नहीं हूं, मजाक में जैसी चीज गौतम जी ने कही कि असली घी नहीं मिलता तो गरीब लोग सस्ता घी खिलाकर संतोष कर लेते हैं कि उन्होंने घी खिलाया। वह तो एक सेन्टीमेंट की बात है। मैं समझता हूं कि अगर गरीब है तो ईमानदारी से तेल की पूरी खिलाना बहुत अच्छा होगा बनिस्बत इसके कि धोखा देकर वैसा घी खिलाया जाय।

एक दलील माननीय रामेश्वर लाल ने दी कि बनस्पति से बहुत से आदमियों को रोजगार मिलता है। तो मैं यह कहूंगा कि हमें यह अवश्य देखना होगा कि जिस उत्पादन में उन व्यक्तियों को लगा रहे हैं वह समाज के लिये हानिकारक है या लाभदायक है। हिटलर ने भी द्वितीय पंच वर्षीय योजना में प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार ही नहीं दिया था बल्कि यह सोचना पड़ा कि आबादी कम हो गयी और आज्ञा दी जाय कि प्रत्येक व्यक्ति शादी करे। तो क्या हम भी उसी प्रकार का नियोजन करने जा रहे हैं। यदि आज हम जनता को रोजगार देने जा रहे हैं तो हमें देखना होगा कि वह समाज के लिये लाभकारक है या हानिकारक है। इन सब विचारों से मैं आपके सामने यह संशोधन पेश करता हूं और आशा करता हूं कि मेरा संशोधन माननीय गौतम जी के संशोधन की पूर्ति करता है और माननीय रणंजय सिंह जी के संकल्प को भी पूरा करता है। आशा है कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जायगा।

श्री जगदीश सरन (जिला बरेली)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि तीसरी पंक्ति में "हानिकारक है" शब्द के आगे के सारे शब्द निकाल कर नीचे लिखे शब्द जोड़ दिये जायं:---

"अतः सरकार पुनः यह यत्न करे कि शीघ्रातिशीघ्र बनस्पति तेल में कोई ऐसा रंग मिल सके या उसका ऐसा रूप रह सके जिस से उसको असली घी में मिलाकर बेचना सम्भव न हो सके।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस संशोधन को प्रस्तुत करते समय इस बात को ध्यान में रखने का यत्न किया है कि क्या होना सम्भव है। हमारी इच्छायें कुछ भी हों, लेकिन वह सम्भव भी हों। इस बात को विचार कर मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। मेरा यह विचार है कि इस संशोधन द्वारा जो मूल प्रस्ताव है उसका उद्देश्य भी किसी अंश में भी परिवर्तित नहीं होता। मूल प्रस्ताव को पढ़ने से हमें पता लगता है कि श्री रणंजय सिंह जी का केवल यह उद्देश्य है कि वे यह चाहते हैं कि डालडा में यदि रंग मिल सके या कोई दूसरा ऐसा सक्रिय साधन निकल सके जिससे उसका मेल असली घी में असम्भव हो जाय तो उनको कोई आपत्ति नहीं होगी और मेरे इस संशोधन से उस उद्देश्य की पूर्ति होती है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह विषय देखने में कितना ही छोटा मालूम पड़े लेकिन वास्तव में इसका बड़ा महत्व है। एक विदेशी सरकार इस बात से उदासीन रह सकती थी कि जनता क्या खाये या किस चीज के खाने से उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़े लेकिन हमारी सरकार न इस विषय में उदासीन है और न रह सकती है। अभी जो सारगर्भित महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस सदन के समक्ष सरकार ने प्रस्तुत किया था जिसमें सदन ने अपने साढ़े तीन अमूल्य दिन लगाये उससे यह साफ हो गया है कि उनकी यह इच्छा है कि हमारे प्रदेश में पौष्टिक पदार्थों की उन्नति हो जिससे हमारी सन्तति की उन्नति हो सके और हमारे स्वास्थ्य की वृद्धि हो सके। आज यह प्रस्ताव जो सदन के समक्ष है उससे भी उस उद्देश्य की पूर्ति में सहायता मिलती है। यदि हम इस प्रस्ताव द्वारा ऐसे साधन प्रस्तुत कर सकें कि हमें असली घी मिलना सम्भव हो जाय तो उस उद्देश्य की बड़ी पूर्ति होगी। यह तो निर्विवाद सत्य है कि आज इस डालडा घी का उत्पादन हमारे देश के

[श्री जगदीश सरन]

पूंजीपतियों के हाथ में है। उनके पास बड़े बड़े साधन हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक उनके नौकर हैं, उनके इशारे, उनकी आज्ञा पर जैसा वे चाहते हैं वे विज्ञापन देते हैं और अपना परामर्श देते हैं। इस सदन के सारे माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि रोज समाचार-पत्रों में नये नये विज्ञापन आते हैं जिनमें हमें यह बताया जाता है कि इस डालडा घी में इतना अधिक बाहुल्य फलों के विटामिन्स का है और उसमें ये गुण हैं। मैंने कल, परसों देखा कि एक पहेली भी निकल रही है डालडा घी वालों की तरफ से और उसमें यह देख कर मुझे आश्चर्य हुआ कि एक ओर तो प्रथम पारितोषिक है २५ हजार रुपये और वहीं पर लिखा था कि इसमें २१ हजार रुपये धर्मार्थ दिये जायेंगे। तो यह तो पूंजीपतियों की रीति है, धर्म और अर्थ साथ साथ चलता है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ श्रीमन्, आज इस सदन के एक माननीय सदस्य की एक बात सुन कर। उन्होंने वह दलील दी जो आज तक उक्त विज्ञापनों में भी देखने को नहीं मिली और वह यह कि उन्होंने कहा कि हमारे देश में यदि हमने इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया तो हमारे लाखों कृषक बेकार हो जायेंगे। मुझे और भी आश्चर्य हुआ जबकि यह बात सामने आयी सदन के उस कोने से जहां से इसकी आशा नहीं थी। माननीय उपाध्यक्ष जी, मै यह कहना चाहता हूं कि मेरे उन माननीय सदस्य ने इस बात पर विचार करने का कष्ट नहीं किया कि यदि यह मान लिया जाय कि यह सम्भव हो सके कि डालडा की उत्पत्ति और उसकी बिक्री पूर्ण रूप में बन्द कर दें तो होगा क्या। आखिर उसके बदले में लोग क्या चीज खायेंगे। क्या घी के एवज में कोई चीज खाना बन्द हो जायगा। उसका प्रत्यक्ष परिणाम तो यही होगा कि या तो असली घी का उत्पादन और प्रयोग बढ़ेगा या अधिक अंशों में हम तेल से गुजारा करेंगे। तब फिर उनकी वह आशंका बिल्कुल निर्मूल हो जाती है। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इस सदन के समक्ष यह सुझाव भी दिया गया कि अगर लिक्विड फार्म में इसको रखा जाय तो भी इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। जहां तक मेरा विचार है, यदि इस उद्देश्य की पूर्ति हो सके तो बड़ी सुन्दर बात है लेकिन व्यक्तिगत रूप में मैं भी थोड़ा सा घी के बारे में जानता हूं और उसी अनुभव से म कह सकता हूं कि यह सम्भव नहीं है। लेकिन यदि वैज्ञानिक खोज यह बतला सके तो सम्भव है कि इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है और मैंने जो यह श्रीमन्, संशोधन इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसमें इसके लिये गुंजाइश है। मैंने यह निवेदन किया है कि ऐसा यत्न किया जाय कि बनस्पति तेल में कोई ऐसा रंग मिल सके या वैसे ही उसका ऐसा रूप रह सके जिससे असली घी में मिलाकर बेचना सम्भव न रह सके तो इसमें इस सम्भावना के लिये दरवाजा खुला हुआ है। इसके अतिरिक्त मेरे एक मित्र ने यह भी कहा कि इस डालडा घी के रोकने में एक कठिनाई यह भी होगी कि डालडा द्वारा गरीब किसान, गरीब व्यक्ति अपनी लाज ढक लेता है। यदि उसकी सामर्थ्य नहीं है कि वह असली घी के से अपने मेहमान का सत्कार कर सके तो इसके द्वारा ही उसकी लाज ढक जाती है। मैं बड़ी नम्रता और आदर के साथ कहना चाहता हूं कि इसमें बड़ा भारी भ्रम है और ऐसा करके हम अपने मेहमान के प्रति कितना गलत व्यवहार करते हैं। अभी जैसा माननीय गौतम जी ने कहा कि उन्हें डालडा खाने से तकलीफ होती है। मान लीजिये कि मैं उनकी दावत करूं और डालडा के अतिरिक्त असली घी की चीजें खिलाने कि मेरी शक्ति नहीं है तो मैं इस तरह से उनको डालडा खिलाकर धोखे में रखूं तो उनके प्रति कुछ अच्छा कर्त्तव्य नहीं करूंगा।

वास्तव में साफ बात यह है कि या तो असली घी का प्रयोग करें या फिर तेल का प्रयोग करें। लेकिन इसके बाद श्रीमन्, एक बात और यह है कि यह प्रस्ताव जिस रूप में उपस्थित है उसमें सारे दरवाजे खुले हुये ह। कौन कहता है कि डालडा को कतई बंद कर दिया जायगा मुझे ताज्जुब है, आश्चर्य है कि श्री रामेश्वर लाल जी ने यह कहा कि मेरी तन्दुरुस्ती किसी से कम नहीं है यद्यपि मैं डालडा खाता हूं। मैं इस कथन का खंडन नहीं कर सकता हूं और न सदन के समक्ष कोई साधन ही है जिसमें इसकी परीक्षा हो सके। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आदर के साथ कि अगर वह वास्तव में डालडा खाते हुये इतने स्वस्थ हैं तो भगवान को उन्हें धन्यवाद

देना चाहिये। यदि वह डालडा को छोड़कर असली घी खाना शुरू कर दें तो वह और भी अच्छे हो जायेंगे। यदि वह यह समझते हैं कि डालडा खाने से उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा है तो यह उनका भ्रम है।

वैज्ञानिक खोज के आधार पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस दिशा में काफी खोज हो चुकी है। यह ठीक है कि इसके सम्बन्ध में कोई निश्चित राय नहीं मिल सकी। इसमें हमारा और आपका ही दोष है।

इस युग में जब कि एटम बम का अविष्कार हो सकता है तो क्या ऐसा कोई साधन नहीं निकाल सकते जिसके द्वारा यह समस्या हल कर लें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बरेली में वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वह इस देश में ही नहीं बल्कि एशिया का सब से बड़ा इंस्टीट्यूट है। उसमें कुछ प्रयोग हुये थे और सौभाग्य से मुझे वहां जाने का अवसर मिला और मैंने वहां जाकर देखा कि वह प्रयोग आदमियों पर नहीं, मनुष्यों पर नहीं बल्कि चूहों पर हुआ था और यह बतलाया गया था कि जितने चूहों ने डालडा खाया था वह अंधे हो गये, कमजोर हो गये और जो चूहे असली घी पर रखे गये वह अच्छे रहे। तो यह तो आंखों देखी हुयी प्रत्यक्ष बात है। यह अपने देश का ही इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि एशिया का सब से बड़ा इंस्टीट्यूट है। इसमें संदेह का स्थान नहीं हो सकता है। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि जब सदन का मत है और करीब करीब एक मत है कि डालडा हमारे स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है तो सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इस पर पूरा ध्यान दे।

श्रीमन्, मैं इतना और निवेदन करूंगा कि यहां पर कई मित्रों ने कहा और लोगों का यह खयाल है कि वैज्ञानिक खरीद लिये जाते हैं। मैं इस हद तक तो जाना नहीं चाहता हूं, मैं नहीं जानता कि क्या होता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर किसी तरह से हम संतोषजनक नतीजे पर न आ सकें और जनता को ऐसा भ्रम हो तो वह क्षम्य है। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से माननीय रणंजय सिंह जी के संकल्प में यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि जहां जहां पर "वनस्पति घृत" शब्द आया है वहां वहां "वनस्पति तेल" रख दिया जाय। संकल्प के अन्त में "समस्त राज्य में वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय" इस वाक्यांश के स्थान पर "सर्वाधिक्य टिकाऊ अस्थायी रंग द्वारा रंग दिया जाय" रख दिया जाय।

इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि अगर वास्तव में देश की आवाज सुनी जाय और जनता की आवाज परखी जाय तो यही आवाज सुनाई पड़ेगी कि डालडा के पक्ष में कोई नहीं है। यही सब जगह सुनाई देता है। अधिकांश लोग इसके विरोध में हैं। इस सम्बन्ध में मैं मानता हूं कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से भी और शायद प्रान्तीय सरकार की तरफ से भी खोज की गयी, अनुसन्धान किया गया और हमारे देश के डाक्टरों ने इस पर यह निर्णय दिया कि यह हानिकारक नहीं है। जहां तक उनके निर्णय की बात है इस सम्बन्ध में उस राय को काटने की तो हमारी हिम्मत नहीं है लेकिन हम इस बात के लिये भी तैयार नहीं हैं कि डाक्टरों के इस निर्णय पर हम अपनी जिन्दगी को उनके हवाले कर दें। उनकी यह राय ठीक हो सकती है। इस आधार पर डालडा का जितना उपयोग वह कर सकें अपने दैनिक जीवन में करें लेकिन देश को इस मत के लिये सलाह दें कि यह हानिप्रद नहीं है इसको मैं ठीक नहीं समझता हूं। अगर आप देखेंगे तो सर्व सेवा संघ और गो सेवा संघ ने इस संबंध में कई बार प्रस्ताव पास कर के इसके हानिप्रद होने को दोहराया है और सरकार से बराबर मांग की है कि इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। सर्व सेवा संघ और गोसेवा संघ में हमारे देश के चोटी के लोग शामिल होते हैं। इसमें आचार्य विनोबा भावे जैसे लोग हैं। गो सेवा संघ में महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ऐसे लोगों ने इस सम्बन्ध में कह दिया है और बराबर मांग की है कि डालडा पर प्रतिबन्ध लगाया जाय।

[श्री नागेश्वर द्विवेदी]

आखिर उनकी राय का भी यदि कुछ वजन है तो उसकी भी कुछ क़दर की जाय। गांव के अन्दर न तो साधारणतः डाक्टर रहते हैं और न बड़े-बड़े विद्वान ही रहते हैं। लेकिन गांव वालों का यह अनुभव है और गांव वालों ने इस बात को अनुभव से देखा है कि यह महान हानिप्रद है। भोज के अवसरों पर डालडा का उपयोग करना उन्होंने ठीक नहीं समझा है। जब भी हमारी ओर किसी भोज केअवसर पर डालडा की पूरी बनायी गयी तो लोग भोज से उठ कर चले गये, भोजन नहीं किया। इस तरह गांव वालों का अनुभव है कि जिसने उस डालडा को खाया है या तो उसका पेट फूल गया है या पतली दस्त शुरु हो जाते हैं। इस प्रकार से डालडा के संबन्ध में ग्रामीण जनता को कटु अनुभव रहा है। इसलिये अपने दैनिक जीवन में जिन्होंने इस बात को अनुभव करके देखा है कि वह हानिकारक है और नुक्सान देता है उनसे डाक्टर यह कहें कि वह नुक्सान-देह नहीं है इस बात को कम से कम जिन्होंने स्वयं अनुभव किया है वह तो नहीं मान सकते हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि यह नुक्सानदेह है। वह अगर अपनी राय इस सम्बन्ध में इस तरह से रखते हैं तो यह उनके लिये ठीक हो सकता है। एक बात यहां पर यह बतलायी गयी कि यह जो डालडा है यह वनस्पति घी वास्तव में तेल नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर यह घी नहीं है तो शुद्ध तेल भी नहीं है क्योंकि इसमें तेल के अलावा और भी चीजें मिलायी जाती हैं जो कि स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होती हैं अगर तेल में मिलावट की जाती है और फिर तेल के नाम से बिकता है इस मिलावट के आधार पर माननीय मंत्री जी के पास कानून मौजूद है जिसके द्वारा वे इस प्रकार मिलावट करने वालों पर मुकदमा चला सकते हैं।

कुछ लोगों ने कहा कि उद्योग धंधे की दृष्टि से यह लाभकर चीज है और इससे कुछ लोगों को उद्योग मिलता है। यह ठीक है कि इससे कुछ लोगों को उद्योग मिलता है लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमारे स्वास्थ्य की हानि होती है। डालडा ने लोगों को रोगी बनाया जिससे अस्पतालों में रोगियों की संख्या बढ़ी फिर इससे डाक्टरों की संख्या बढ़ानी पड़ी जिसका नतीजा यह हुआ कि डाक्टरों को रोजगार मिल गया, यदि यह कहा जाय तो ऐसे रोजगार से तो हम बेरोजगार ही अच्छे हैं। यह कोई रोजगार नहीं है। इस पर जितनी जल्दी नियंत्रण लगाया जाय उतना अच्छा होगा। यह कहा गया है कि जो लोग इसे घी मान कर खाना चाहें खावें और जो तेल मान कर खाना चाहें खावें। प्रतिबन्ध न लगाया जाय। मैं भी चाहता हूं कि चाहे यह तेल के, चाहे घी के नाम पर बिके लेकिन इसका रुप ऐसा कर देना चाहिये जिससे उन लोगों के सामने धोका देने के लिये यह न आ सके जो शुद्ध घी खाना चाहते हैं। यदि कोई स्थायी रंग इसका नहीं मिलता है तो अस्थायी रंग ही काम में लाया जाय और इसके लिये ही मेरा संशोधन है कि जो रंग अभी तक मालूम हुआ है उसे ही तब तक इस्तेमाल किया जाय जब तक टिकाऊ रंग न मिले। ऐसे चालाक वैज्ञानिक हो सकते हैं जो इस अस्थायी रंग को दूर कर देंगे मगर टीन में तो यह रंगा रहेगा ही और उसी समय दूर किया जा सकेगा जब कि इसे खाने के लिये निकाला जायगा। तो हर जगह तो वैज्ञानिक पहुंच नहीं सकेगा और जब तक प्रत्येक विक्रेता इस बात को जानें तब तक स्थायी रंग भी मिल जायगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय रणंजय सिंह जी मेरे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे और सरकार भी इस संकल्प को मानने की कृपा करेगी।

श्री शिवनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन रखता हूं कि संकल्प की पंक्ति ३ में से शब्द "जब तक वनस्पति घृत का रंग न बदल दिया जाय" निकाल दिये जायं। मेरे संशोधन के बाद संकल्प इस प्रकार हो जायगा कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि बनस्पति घृत से वास्तविक घृत का भ्रम होता है और बनस्पति घृत स्वास्थ्य के लिये घृत के समान गुणकारी नहीं है अपितु वह हानिकारक है, अतः समस्त राज्य में बनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय"।

मैंने कल ११ बजे से लेकर अब ४–६ मिनट तक इसके ऊपर बहुत सी स्पीचेज सुनीं और सब ने इनडाइरेक्टली डालडा का समर्थन किया। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं और मैं अपनी सरकार से और भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि डालडा को सलाम कर दिया जाय। मैंने चपरासी से आज ही पता लगाया और उसने कहा कि हम सूखी रोटी खाने के लिये तैयार हैं मगर डालडा की नहीं। हमारे फूड मिनिस्टर साहेब भी कहते हैं कि वह उसे सलाम करते हैं। लोगों ने बताया कि चूहे इससे अन्धे हो गये। अरे, आज हम जितने यहां बैठे हुये हैं सब के सब अन्धे हुये जा रहे हैं। किसी के २० वर्ष से और किसी के ३० वर्ष से चश्मा लगा हुआ है और छोटे छोटे बच्चों और लड़कियों के चश्मा लगा है। इसका कारण ही डालडा है। सिनेमा में देखते हैं कि वहां भी डालडा का चित्र दिखाया जा रहा है। जनता जनार्दन आज इसका विरोध कर रही है। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार भारत सरकार से कहे कि इसे बन्द किया जाय। हम लोग पानी के साथ खा लेंगे, वह ज्यादा अच्छा है। आज चाय की दूकान पर जाइये तो अच्छा दूध भी नहीं मिलता है। वह भी मिलावट का मिलता है। पिछले अगस्त में जब मैं यहां आ रहा था तो मेरी ७०, ८० वर्ष की बुढ़िया मां इतने पानी में जा कर घी लाई मगर वह भी काला निकला। जैसा मदन मोहन ने कहा मैं भी कहता हूं कि क़दम क़दम पर ४२० है और बेईमानी है। इसका एक ही उपाय है कि डालडा को सलाम किया जाय। रामराज्य तभी होगा और तभी हम अभिमन्यु और राम लक्ष्मण जैसे वीर पैदा कर सकेंगे। आज कहीं शुद्ध चीज मिलती ही नहीं है। अमरीका ने हमारे पास मक्खन भेजा है और हम उसे धन्यवाद देते हैं लेकिन यह हम नहीं सोचते कि उसने अपना उतरा हुआ मक्खन हमारे बच्चों के लिये भेजा है। वह रिजेक्टेड मक्खन होता है।

मेरे भाई रामेश्वर लाल ने कहा कि यह अच्छी वस्तु है और इसका समर्थन किया। ह्विप साहेब ने भी कहा कि इससे लोगों को रोजगार मिलता है। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि चलिये सन् ५७ आ रहा है, इसी ईश्यू पर हम और आप इलेक्शन लड़ लें और देखें कि आप लौट कर आते हैं या मैं लौट कर आता हूं। गाल बजाने से या ब्लफ़ करने से काम नहीं चलता है। सही बात कहने की आवश्यकता है। कहा गया कि डाक्टरों ने इसे अच्छा बताया है। मैं कहता हूं कि हमारे इन डाक्टरों की बात का इंग्लैन्ड के उन डाक्टरों की बात से मुक़ाबला कीजिये जिन्होंने खोज कर के यह कहा कि डालडा से चूहे अन्धे हो गये। उन डाक्टरों को मुअत्तल किया जाय। मुझे मालूम है, लखनऊ में एक केस हुआ जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। लोग नाना प्रकार की आवाजें उठाते हैं और हमारी आने वाली जनता के लिये यह नमूना है। यह आदर्श हमारे देश में है। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सही मानों में अगर वह देश का कल्याण चाहती हैं, अपनी संतानों को अनुभवी और विद्वान बनाना चाहती हैं तो उसको डालडा खत्म करना चाहिये। दफ्तर के बाबू लोगों ने बताया कि डालडा के कारण उनको चक्कर आते हैं, हमसे काम अच्छी तरह से नहीं होता। हर गवर्नमेंट सर्वेंट कहता है कि उस को शुद्ध घी और दूध नहीं मिलता है। जब उनको शुद्ध घी नहीं मिलता है, दूध शुद्ध नहीं मिलता है और न मकान ही मिलता है तो जब आप उनको शुद्ध खाना पीना भी न दें तो फिर आपको बलिष्ट लोग कहां से मिल सकेंगे। मैं अपने फूड मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि यद्यपि इस पर रोक लगाना हमारे अधिकार में नहीं है लेकिन आप सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख तो सकते हैं ताकि वह उस पर उचित कार्यवाही कर सके। हमारा प्रान्त, उत्तर प्रदेश सब अच्छे कामों में अग्रणी रहा है, हमेशा औरों को लीड देता रहा है तो फिर आज भी आप अपना क़दम उठाकर कहिये कि आज हमारे देश की सवा छः करोड़ जनता की यह मांग है। मैं रामेश्वर लाल जी से कहता हूं वे कहते हैं कि वे बलिष्ट हैं लेकिन लोगों के स्वास्थ्य की क्या गति हो रही है। लोग टी० बी० के मरीज हैं, संग्रहणी के मरीज हैं, अन्य अनेक रोगों के मरीज हैं। डा० शर्मा इससे परेशान हैं। कारण क्या है? हमें शुद्ध घी, दूध और तो क्या मट्ठा भी नहीं मिलता। कल ही हमारी सरकार ने यह तय किया है कि गोवध बंद किया जाय लेकिन मैं तो उनसे यह भी कहूंगा कि आप इस डालडा को भी सलाम कीजिये। आज सिनेमों में जो डालडा का एडवर्टिजमेंट होता

[श्री शिवनारायण]

है वहां मोटे-मोटे गाय और बैलों का ऐडवर्टिजमेंट होना चाहिये। (श्री मदनमोहन उपाध्याय से) आप को भी गाय सप्लाई कर दी जायगी। भैंसे और सांड़ वगैरा आप को भी मिल जायेंगे। मदनमोहन को भी हरियाना वाले सांड भेज दिये जायेंगे ताकि उनको भी शुद्ध दूध मिल जाय। लेकिन उनको तो जो उनका डालडा का बिजनैस है वह कहीं खत्म न हो जाय इसका अन्देशा है। कहा गया है--

"हानि नहीं वित हानि की जो न होय हित हानि"

आज आप सारे देश के हित को देखिये, अपने लाभ को न देखिये, जनता जनार्दन की हानि को देखिये। मैं माननीय फूड मिनिस्टर महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखें कि वे डालडा को बन्द कर दें।

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)--अध्यक्ष महोदय, बहुत दिनों से हमारे मुल्क में हम लोगों के सामने यह मसला है कि विजिटेबिल आयल से शुद्ध घी को कैसे अलग रक्खा जाय। यह बात सही है कि खाने पीने की चीजों में ही नहीं बल्कि और किसी चीज में भी इंसान कोई एडल्टरेशन नहीं पसन्द करता है। घी में और विजिटेबिल आयल की शक्ल में कोई फर्क नहीं है और वह आसानी से उसमें मिल जाता है इसलिये लोग उसको और भी नापसन्द करते हैं। रेशम में जब गलत आर्टिफिशियल रेशम मिला दी जाती है तो लोग उसको पसन्द नहीं करते। लकड़ी में भी जब गलत आर्टिफीशियल लकड़ी मिला दी जाती है तो लोग उसको भी नापसन्द करते हैं। लेकिन हमारे सामने मसला यह है कि हम एडल्टरेशन को कैसे रोकें। यह जो हमारे यहां बहस हो रही है वह सिद्धांत रूप से इस बात पर हो रही है कि इस मिलावट को कैसे रोका जाय। वेजिटेबिल के रोकने का सवाल इतना नहीं है जितना कि मिलावट को रोकने का सवाल है। पुराने जमाने से हमारा यह देश एक खेतिहर देश रहा है। हमेशा से लोग गांवों के रहने वाले रहे हैं। जमीन की कमी नहीं रही। लोग खूब जानवर पालते थे, भैंस, गाय, बकरियां आदि और घी दूध खूब होता था। लेकिन ज्यों-ज्यों आबादी कम होती गयी, चरागाह कम होते गये और जानवर कम होते गये। नतीजा यह हुआ कि घी दूध की कमी हो गयी और लोगों की तन्दुरुस्ती भी खराब हो गयी। ऐसे मौके में यह एक साधारण सी बात थी जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है "नेसेसिटी इज दि मदर आफ इन्वेंशन" लोगों ने इस बात की कोशिश की कि कोई ऐसी चीज बनायी जाय जो घी की शक्ल की हो। लिहाजा विजिटेबिल आयल हमारे मुल्क में आया। अगर यह देखा जाय कि हमारे मुल्क के अन्दर कितने प्रदेश ऐसे हैं जहां के लोग घी नहीं खाते। जैसे बंगाल में, उड़ीसा में, मद्रास में, बिहार में लोग तेल ही ज्यादा खाते हैं, घी कम खाते हैं। घी खाने का रिवाज तो उत्तर प्रदेश और जितने उत्तर के भाग हैं जैसे पंजाब और उत्तर प्रदेश से मिले हुये जो इलाके हैं, गुजरात आदि में घी खाने का रिवाज है यह एक बड़ी भारी समस्या हमारे सामने है कि घी को कैसे अलग किया जाय जिसमें मिलावट न हो सके। इस मामले में साइंटिस्ट्स का अलग-अलग मत रहा है। बहुत से लोगों ने इस मामले में एक्सपेरिमेंट किया है। कितनों का कहना है कि विजिटेबिल आयल अच्छा है कितनों का कहना है कि बुरा है। इज्जतनगर शहर में जैसा कि एक भाई ने कहा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया का एक बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहां पर इसका एक्सपेरिमेंट हुआ। गिनी पिग्स के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया गया। उनको डालडा खिलाया गया और तीसरे जैनेरेशन में जाकर उन गिनी पिग्स की आंखें अंधी हो गयी और उनके बाल भी गिर गये। दूसरे ऐसे भी गिनी पिग्स थे जिनको शुद्ध घी खिलाया गया और वे बड़े मोटे ताजे रहे। फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें गिनी पिग्स को डालडा खिलाया गया और उसके साथ ही उनको हरी सब्जी भी खिलायी गयी। तो वे गिनी पिग्स भी वैसे ही मोटे ताजे रहे जैसे कि शुद्ध घी खाने वाले थे। इससे यह साबित हुआ कि अगर विजिटेबिल आयल के साथ हरी सब्जी खिलायी जाय तो वह नुक्सानदेह नहीं साबित होगा। मुझे यह कहते हुये खुशी है कि जो ४ हजार फीट या उससे ऊंची जगह पर रहा करते हैं उनके लिये तो यह डालडा या जमाया हुआ वनस्पति तेल बिल्कुल

नुक्सानदेह नहीं होता। इससे तो माननीय मदन मोहन जी और उनके साथियों को खुश होना चाहिये और वे इत्मीनान के साथ उसको खा सकते हैं। इस संबंध में साइंटिस्ट्स के अलग-अलग मत रहे हैं क्योंकि वक्तन फवक्तन उनके मत निकलते रहते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एक बयान निकाला था कि यह नुक्सानदेह नहीं है। कुछ तो कहते हैं कि डालडा स्वास्थ्य के लिये नुक्सानदेह नहीं है और कुछ कहते हैं कि नुक्सानदेह है। साइंटिस्ट्स के लिये यह कहना मुनासिब नहीं है कि उनको बिजिटेबिल आयल वाले अपने पैसे से खरीद लेते हैं। क्योंकि यह एक रिफ्लेक्शन है उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर। यह भी तो हो सकता है कि कोई साइंटिस्ट ऐसा हो जो उसके लिये रंग निकालता हो लेकिन दूसरा साइंटिस्ट ऐसा हो जो उसको उड़ाने वाली चीज निकाल देता हो। मुल्क के अन्दर कई जमातें ऐसी हैं जिनके अन्दर अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं लेकिन यह कहना बड़ी गलत बात होगी कि साइंटिस्ट्स ईमानदार नहीं है। तो यह दिक्कत है, और इसके लिये कोई अधीर होने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर खोज हो रही है और कोई न कोई बेहतर तरीका निकल ही आयेगा। जो चीज अच्छी होती है उसका एक बुरा पहलू भी होता है। जो एटम पर रिसर्च हो रहा है तो जहां तक लोगों के मारने का ताल्लुक है उससे दुनिया को फायदा भी हो सकता है और उसकी बड़ी खतरनाक हालत भी है। जब हम एटम की शक्ति को मनुष्य की तरक्की में लगाते हैं तो उससे बेइन्तहा फायदा भी हो सकता है जो चीज हजार सौ साल में नहीं हो सकती थी वह साल भर के अन्दर हो जायगी, जिस चीज को हम कभी कर ही नहीं सकते थे उसको भी इसके जरिये पूरा कर लेंगे। तो इस नजरिये से हमें इस चीज को देखना चाहिये। इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य इस बात पर जोर देते हैं कि डालडा को इसलिये बन्द कर दिया जाय कि वह मनुष्य की तन्दुरुस्ती के लिये नुक्सानदेह है। इस पर भी बहुत से लोगों ने अपनी अलग-अलग राय दी है। बहुत से कहते हैं कि मैं बराबर डालडा खाता आ रहा हूं और वे इतने हट्टे-कट्टे हैं कि क्या कहा जाय। बाज तो ऐसे मोटे ताजे हैं कि जिनके अन्दर लोहे की सींक भी घुसेड़ी जाय तो उसका कोई असर न हो।

(इस समय ४ बजकर २० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

बाज ऐसे हैं जैसे हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को डालडा की हवा लग जाय तो परेशान हो जाते हैं और वह उन को नुक्सान पहुंचाता है, बहुत से ऐसे हैं कि जो तेल खाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन को घी भी मुवाफिक नहीं आता। यह सब तो अपने अपने टेम्परामेंट की बात है, इस में कोई जनरल बात नहीं है, अलग अलग आदत की बात है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि हमें यह कोशिश जरूर करनी चाहिये कि हमें घी अपनी असली शक्ल में बाजार में मिले और विजिटेबिल आयल अलग अपनी शक्ल में मिले, जो तेल हो वह तेल की शक्ल मे मिले, यह नहीं होना चाहिये कि लोगों को शुभा बना रहे हैं कि दाम तो घी के दिये हैं पता नहीं कि घी खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, ऐसी बात न होनी चाहिये। इस से दिमाग में भी परेशानी होती है। इस चीज को जरूर बन्द होना चाहिये और इससे बहुत नुक्सान होता है और इस से जो एक मेंटल बैकग्राउन्ड बनती है उससे लोगों को नुक्सान पहुंता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है और आगे आने वाली हमारी संतानों पर प्रभाव पड़ता है।

वैसे देश की अवस्था ऐसी है कि हम एक दम से विजिटेबिल आयल को बन्द नहीं कर सकते। या तो हमारे देश में इतना असली घी हो और तेल हो जिससे हम अपनी जरूरत को पूरा कर सकें पर हमारे पशुधन से हमें इतना घी दूध नहीं मिलता कि वह हमारी आवश्यकता को पूरा कर सके। इसलिये हमारे लिये कोई चारा नहीं रह जाता कि हम किस तरह से इस कमी को पूरा करें। अगर हम इस को बन्द करते हैं तो इससे भी हम लोगों को वंचित कर देंगे, असली घी तो उन को मिल नहीं सकेगा। मेरे खयाल से तो हमारे संविधान में भी ऐसी धारा है कि जिस के रहते हुये हम किसी के फ्री ट्रेड को बन्द नहीं कर सकते। हमारे एक भाई कह रहे थे कि उन से किसी चपरासी ने कहा कि हमें अगर पानी मिले तो हम उस को डालडा से अधिक पसन्द करते हैं। अगर पसन्द नहीं करते तो कौन उनको मजबूर करता है, डालडा कोई कूद-कूद कर उनके मुंह में तो चला नहीं जाता, नहीं खाना चाहते न खरीदें, अगर कोई खाना चाहे तो खरीद ले आवे, कोई मजबूर नहीं करता, कोई जबरदस्ती नहीं करता। इसलिये हमें इसको बंद

[श्री राममूर्ति]

नहीं करना चाहिये। हां, यह बहुत जरूरी है कि शुद्ध घी से उस को अलग रखा जाय, हम ऐसा रंग ढूंढें या उपाय निकालें कि जिस के जरिये से शुद्ध घी में डालडा न मिलाया जा सके, उस में और घी में एक तफरीक रहे, भेद रहे। इसका असर यह होगा कि डालडा सस्ता हो जायगा और इसी वजह से लोग इस बात की कोशिश में रहते हैं कि इस की शक्ल न बदली जाय, फिर शायद उस की इतनी मांग न रहे और इतनी खपत न रहे। इस मिलावट के कारण भी यह ज्यादा चल रहा है। यह जरूरी है कि कोई ऐसा तरीका निकले कि जिस से शुद्ध घी और इस में भेद हो सके और कोई रंग वगैरा निकल आये। साथ ही जैसे कि माननीय कृषि मंत्री जी ने अभी एक गो संवर्द्धन के संबंध में बिल पास कराया है इस तरह की कोशिश से पशुधन बढाने की जरूरत है और जो हमारी चकबन्दी चल रही है उसमें हमें गांव गांव में चरागाह कायम करने की आवश्यकता है जिससे हमारा चारा मवेशियों के लिये बढ़े और हम उनसे अधिक दूध और घी प्राप्त कर सकें। जबतक हम पशुधन से दूध घी की जरूरत पूरी नहीं करते तब तक इस को बन्द करने का मसला हल नहीं हो सकता और हो सकता और चिल्लपुकार या एजीटेशन से यह मसला ऐसा है कि पूरा होने वाला नहीं है। यह बात जरूर ध्यान देने की है कि डालडा को हम घी से अलग रखें, ऐसे उपाय निकालें और रंग वगैरा की खोज जारी रखें और घी की वृद्धि के लिये जानवरों की नस्लों का सुधार और चरागाहों आदि का इंतजाम करें जिससे हमारे पशु मोटे ताजे हों और शक्तिशाली हों और अधिक मात्रा में दूध घी की व्यवस्था हमारे लिये हो सके। साथ ही हम अपने साइन्टिस्ट्स से अपील करते रहें कि वह शीघ्र परिश्रम कर के ऐसे साधन और रंग आदि निकालें जिससे घी में वह अगर मिलाया जाय तो जाहिर हो जाय और तफरीक हो सके।

श्री बसंतलाल शर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह निश्चय किया गया था कि संकल्प पर जिन के संशोधन होंगे उन को पहले समय दिया जायगा। मैं ने भी संशोधन दिया था लेकिन मुझे संशोधन पेश करने का अवसर नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष--मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि आप का नाम जब पुकारा गया था आप यहां मौजूद नहीं थे।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रणंजय सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इतना आवश्यक है कि इस पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिये था जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था परन्तु मैंने यह देखा कि आज बारम्बार प्रार्थना करने पर भी सदन में शांति न रह सकी जिसके कारण जो बहुत से संशोधन उपस्थित किये गये हैं उनको मैं ठीक से समझ नहीं सका और जब तक वे संशोधन समझ में न आ जायं तब तक उनके संबंध में कोई भी विचार रखना उचित नहीं है। मेरी समझ में वह संशोधन नहीं आये और न लिखे हुये ही हैं। मेरे संकल्प के संबंध में यह कहा गया, श्रीमन्, कि मैं चाहता हूं कि डालडा की बिक्री बनी रहे, वह चलता रहे और उस पर रोक न लगे और केवल यह चाहता हूं कि उसका रंग बदल दिया जाय। श्रीमन्, मेरा यह अभिप्राय कभी नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि शुद्ध घी दूध रहे और गाय का या अन्य किसी भी दुधारू जानवर का घी शुद्ध मिले। आज अगर मैं प्रतिबन्ध की बात कहता तो उसमें तमाम आक्षेप होते कि इस सरकार को अधिकार है या नहीं। अनेक प्रश्न सामने आ जाते हैं। लेकिन मैं तो यह नहीं समझता हूं कि प्रांतीय सरकार को यह अधिकार ही नहीं है कि अगर कोई हानिकारक चीज है तो

उस पर प्रतिबन्ध न लगा सके। मैं जानता हूं कि पहले राजस्थान में इस पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था वहां बनस्पति घी नहीं बिक सकता था। अभी उस पर हट गया है लेकिन पहले था। तो यहां क्यों नहीं लग सकता। फिर भी यह कानूनी बात है और इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिये कि ऐसी कोई हानिकारिणी वस्तु है तो क्या उसके लिये उसके रोकने के लिये कोई न कोई उपाय नहीं किया जा सकता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस प्रांत में होती हैं जिसपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं तब काम चलता है। लेकिन ऐसे छोटे छोटे कामों के लिये मैं यह कैसे समझ लूं कि इस प्रांतीय सरकार के अधिकार में नहीं है और इसके लिये कुछ नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि हानि हो रही है यह प्रत्यक्ष है। इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य ने यह स्वीकार किया है कि बनस्पति तेल घृत के समान गुणकारी नहीं है चाहे हानिकारक हो या नहो, हानिकारी के संबंध में डाक्टरों में मतभेद हो सकता है लेकिन किसी माननीय सदस्य ने कहा कि वैद्य और हकीमों में इस मामले में मतैक्य है कि यह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है और इसके लिये अनेक उदाहरण दिये गये चूहों के, मनुष्यों के, परन्तु मैं तो यह बताता हूं कि हमारे प्रदेश के जो स्वास्थ्य संचालक थे डाक्टर बाजपेयी उनसे मेरी इस संबंध में बात हुयी थी तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कड़ुवा तेल लोग खायें तो इससे अच्छा है। लेकिन यह जो कुछ भी हो जो नकली चीज है वह नकली है और जो असली है वह असली है। एक माननीय सदस्य ने मेरे ऊपर परसनल अटैक के तौर पर कुछ कहा कि मैं मिठाई आदि खाने का आदी हूं। माननीय सदस्य नहीं जानते कि मेरा खानपान क्या है। मैं तो बिलकुल निरामिष भोगी हूं। पान तक नहीं खाता, चाय नहीं पीता, धूम्रपान नहीं करता। लेकिन उनके कहने से ऐसा मालूम होता था जैसे कि मैं डालडा खाता हूं और यह वह तमाम दुनिया भर की बातें करता हूं। कोई पूछने लगे मैं चोरी करता हूं? चोरी कभी नहीं की थी लेकिन लोगों को शक हो जायगा कि चोरी की होगी। इसलिये ऐसी बातें कही जा रही हैं। इसलिये किसी माननीय सदस्य का इस तरह से किसी का मजाक उड़ाना यह सदन की शोभा के विरुद्ध है। विचार रक्खे जायं और निर्भीकता से रक्खे जायं लेकिन बिना जाने बूझे कोई लांछन लगाना उचित प्रतीत नहीं होता। मैं जानता हूं कि वनस्पिति घी हानिकारक है। गो संवर्द्धन जांच समिति में भी इस बात की जांच हुई और उसकी रिपोर्ट में है कि यह हानिकारक है। अब प्रश्न यह आता है कि रंग मिले या न मिले तो इस संबंध में बड़ा पिष्ट पेषण होगा। श्री अग्रवाल ने और अन्य सदस्यों ने कहा कि एटम बम बन गया लेकिन वैज्ञानिकों को डालडा में रंग मिलाने के लिये कोई रंग नहीं मिला। मैनचेस्टर से एक विद्यार्थी ने लिखा है कि अगर वास्तव में सरकार चाहती हो और पुरस्कार देने को तैयार हो तो रंग भेजा जा सकता है। फिर केंद्रीय सरकार का प्रश्न उठाया जाता है और कहा जाता है कि प्रांतीय सरकार के बूते की बात नहीं है। तो फिर हम केंद्रीय सरकार से इस संबंध में प्रार्थना कर सकते हैं और उसकी स्वीकृति ले सकते हैं। हालांकि मैं यही समझता हूं कि यह हमारे बूते की ही बात है। वर्तमान सरकार में इतनी शक्ति है कि वह डालडा पर अगर चाहे तो प्रतिबन्ध लगाये। उसे अपने प्रांत को ऐसी बुराइयों से अवश्य बचाना चाहिये। मेरी प्रार्थना यह है कि रंग मिलाने से भ्रम दूर हो जायगा। यह तो नहीं होगा कि असली घी में मिला कर डालडा बेचा जा रहा है। मैंने पढ़ा है और डाक्टर बाजपेयी, हेल्थ डायरेक्टर, ने मुझे बतलाया था कि इसमें मछली के तेल की दो बूंद होती हैं। बहुत से वैष्णव मांस मछली नहीं खाते। वे जानते नहीं कि इसमें मछली के तेल की बूंदें होती हैं। फिर यह भी बतलाया गया है कि इससे कई रोग उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं, समय नहीं है, कि मैं विस्तार में इसका उत्तर दे सकूं। माननीय गौतम जी ने कहा कि मूवर साहब को इसके बेचने में कोई एतराज नहीं है। तो बेचने का प्रश्न मैंने स्वयं ही नहीं उठाया कि इसकी बिक्री बन्द कर दी जाय। मुमकिन है अगर यह प्रश्न उठाया होता तो यह यहां आ ही नहीं पाता और इसमें बहुत सी वैधानिक बातें उठ जाती। उसमें बहुत समय लग जाता। इसीलिये मैंने बिक्री के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं रक्खा है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि वर्तमान अवस्था में यह बहुत हानिकारक है और इस पर कुछ

[श्री रणंजय सिंह]

न कुछ प्रतिबन्ध लगाना चाहिये इस पर हमें विचार करना है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि वे देहात के रहने वाले हैं। मैं भी देहात का ही रहने वाला हूं। मैं भी ग्रामीण हूं देहाती हूं, देहात की जनता का सेवक हूं इसमें मुझे गौरव है। अब भी गांवों में घूमता घामता रहता हूं और जानता हूं कि देहात के लोग भी इससे घृणा करते हैं। बाजार में असली घी मिलता नहीं इसीलिये कि नकली चीज बाजार में आ गई है। इसलिये शुद्ध वस्तुओं की बिक्री बन्द सी हो गई है। मैं देखता हूं कि अच्छी बातों का प्रचार बड़ी कठिनता से होता है सबको मालूम है कि चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है और गिरना आसान। पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होता है, मैं शायद चढ़ न पाऊं लेकिन गिर सकता हूं। बुरी बातों का प्रचार देश में बड़ा व्यापक हो गया है। वनस्पति घी के प्रचार से वास्तविक घी तो कहीं यों मिलता ही नहीं है और बड़ी कठिनता है। इसलिये मेरा यह अनुरोध है कि माननीय सदस्य इस बात पर विचार करें। न मैं डालडा का व्यापारी हूं और न मैं उसके व्यापारियों का विरोधी हूं। कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। मैं केवल न्याय की पुकार कर रहा हूं? और मैं चाहता हूं कि जैसे सदन में कई बार प्रश्न आये उन पर विचार किया गया, और जो संशोधन हैं उनके संबंध में मेरा यही विचार है कि यदि मुझे यह संशोधन मिल जाते तो मैं उन पर विशेष रूप से विचार करता। लेकिन अब जैसे संशोधन आते जायेंगे मैं जैसा उचित समझूंगा हां या न कहता जाऊंगा। अन्यथा यह ऐसा प्रश्न है जिसपर गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिये। मुझे यह आश्चर्य है कि यह संशोधन आज के पहले क्यों नहीं आये। अगर पहले संशोधन आ गये होते तो विचार हो जाता। डाक्टरों के पास पूंजीपतियों की थैलियां पहुंच जाती हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं कि कोई पहुंची या नहीं। लेकिन इस बात की आशंका अवश्य होती है और यह देश का दुर्भाग्य है। मैं देखता हूं कि निष्पक्ष होकर विचार करने वाले लोगों की संख्या कम दिखायी देती है। यह इतना निर्विवाद विषय था उसके ऊपर भी बहस होती है यह है वह है। ऐसा मालूम होता है कि कोई चुनाव में खड़ा हुआ है, चुनाव होने वाला है। ऐसी बातें कही जाती हैं। मैं मानता हूं कि माननीय ब्रजभूषण मिश्र जी ने, माननीय नागेश्वर द्विवेदी जी ने, माननीय बसन्तलाल शर्मा जी ने कई माननीय सदस्यों ने ऐसी बातें कहीं जो विचारणीय ह। लेकिन संशोधनों पर मैं विचार नहीं कर सका। यहां पर जो संशोधन रखे गये हैं उनमें भाषण करते हुये माननीय सदस्यों ने कई तरह की बातें कहीं। माननीय ब्रजभूषण मिश्र जी ने कहा कि कुछ चुनाव की बातें कही गयीं। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। लेकिन ऐसा संभव भी हो सकता है। मैं चाहता हूं कि इस पर निष्पक्ष हो कर विचार किया गया। यह जनता की बात है। जो मेरा मूल संकल्प है मैं उसको उचित समझता हूं और जो संशोधन हैं विचारणीय हैं लेकिन कहीं करतलध्वनि होती है, कहीं कुछ होता है इसके कारण समझ में नहीं आया। अगर मैं समझूं तो राय दे सकता हूं अन्यथा जो मेरा मूल प्रस्ताव है मैं चाहता हूं कि उस को सदन स्वीकार करे।

*नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रणंजयसिंह जी का तथा सदन के अन्य सदस्यों का अनुगृहीत हूं कि उन्होंने फिर इस सदन का और प्रदेश की सरकार का ध्यान उस विषय की ओर खींचा जो विषय इस सदन के समक्ष १९३८ से बराबर जारी रहा है, यानी बनस्पति तेल में रंग मिलाने का प्रश्न। सदन को इसका भलीभांति ज्ञान होगा कि जब पहली बार कांग्रेस की सरकार १९३६ में यहां आयी थी तो उसके समक्ष कलराइजेशन का प्रश्न उठाया गया और सरकार ने १९३८ में कलराइजेशन बिल सदन के विचारार्थ उपस्थित किया और वह बिल सेलेक्ट कमेटी की स्टेज तक गया और बाद को सेलेक्ट कमेटी ने यह सिफारिश की कि कुछ संशोधन ऐंटी अडल्ट्रेशन ऐक्ट में करके कदाचित हम अपने उस अभिप्राय को पूरा कर लेंगे जिसको हम उस बिल के अन्दर पूरा करना चाहते थे। इस लिये १९३९ में ऐंटी अडल्ट्रेशन ऐक्ट में संशोधन करके फिर एक बिल उपस्थित किया गया। इस सदन के विचारार्थ और वह भी सेलेक्ट कमेटी के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुपुर्द कर दिया गया। दुर्भाग्य से १९३९ में कांग्रेस की सरकार हट गयी और एडवाइजरी रिजीम यहां उपस्थित हुई। एडवाइजरी रिजीम ने १९४२ में एक बिल प्रकाशित किया और उस पर वह कोई कार्यवाही न कर सकी। और फिर जब कांग्रेस की सरकार हमारे बीच में आई तो इस प्रश्न की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराया गया और हमने १९५० में प्योर फूड ऐक्ट के द्वारा कुछ ऐसे सुझाव और ऐसे परिवर्तन एडल्ट्रेशन ऐक्ट में किये कि जिनकी तहत में हमने यह निर्णय लिया कि किस तरह से हम जहां तक बनस्पति घी में मिलावट और असली घी में मिलावट का संबंध है उसमें रुकावट डालें।

जिन सदस्यों ने प्योर फूड ऐक्ट का अध्ययन किया होगा उन्हें उसकी धारायें देखने से पता चलता होगा कि जहां तक प्रदेशीय सरकार का संबंध है वह इस ओर अग्रसर रही है कि किसी न किसी प्रकार प्रदेश में वैज्ञानिकों की मदद से हम कोई ऐसा रंग निकाल सकें कि जिसके मिलादेने से बनस्पति घी के रुप में बेचा न जा सके। अगर हम प्योर फूड ऐक्ट की धारा १९ और १७ की तरफ नजर डालें तो उससे प्रदेशीय सरकार का मंशा और इस सदन का मंशा भलीभांति सदन को मालूम हो जायगा। इससे यह साफ जाहिर हो जायगा कि प्रदेशीय सरकार तो बराबर इस बात का प्रयत्न करती रही है कि हम किसी न किसी प्रकार ऐसा रंग ढूंढ निकालें कि जिसके द्वारा बनस्पति तेल और घी में जो मिलावट की जाती है वह रुक सके। सदन को इस बात का भी ज्ञान होगा कि जब प्योर फूड बिल में सदन में विचारार्थ उपस्थित हुआ था तब हमने प्रदेशीय सरकार की तरफ से यह निश्चिय किया था कि हम उस वैज्ञानिक को जो कि इस प्रकार का रंग ढूंढ़ निकाले इनाम देंगे उस समय हमने १०००० रु० की धनराशि इस कार्य के लिये घोषित की थी। दुर्भाग्य से उस धनराशि को घोषित करने के बावजूद भी हमारे पास कोई ऐसा रंग वैज्ञानिकों के द्वारा नहीं भेजा गया जो कि सुविधा पूर्वक बनस्पति तेल में मिलाया जा सकता हो और जिससे इस कलराइजेशन के प्रश्न को हल किया जा सकता। आपको यह भी पता होगा कि जब प्योर फूट ऐक्ट बिल हमने तैयार किया था उसको इस सदन से पास कराने में भी करीब दो, ढाई साल का अरसा लगा था। उसका कारण यह था कि जब हमारा बिल छपा और जब हमने इस सदन में उस पर विचार किया तो केन्द्र ने उस पर विचार के संबंध में कुछ आपत्ति की औरउन्होंने कहाकि हम स्वयं इन प्रश्नों को हल करने के लिये विचार कर रहे हैं और इस लिये यह सदन और प्रदेशीय सरकार इन चीजों पर विचार न करे। परन्तु साल, डेढ़ साल के विचार के बाद केन्द्रीय सरकार ने फिर अपना विचार बदल दिया और उन्होंने कहा कि हमारा जो बिल जिस रुप में सदन में उपस्थित है उसे हम अपने यहां पास करा लें और इस प्रकार से हमने प्योर फूड ऐक्ट को पास कराया। यह सबसे पहला प्रदेश था कि जिसका ध्यान इस एडल्ट्रेशन के प्रश्न के ऊपर और जहां तक इस रंग का प्रश्न है उसके ऊपर गया और जैसा कि मैंने अभी धाराओं के संबंध में कहा कि वह धारायें इस बात का द्योतक हैं कि हम रंग के प्रश्न को किसी न किसी तरह से हल करना चाहते हैं। अब तक हमारे पास तो कोई रंग इस प्रकार का आया नहीं जिसे हम आसानी से बनस्पति तेल में मिला दें और जो ऐसा हो कि अस्वास्थ्यकर भी न हो और स्थायी भी न हो। हमने केन्द्र से भी इस विषय की चर्चा की और अक्सर हमारे सम्मानित मित्र डाक्टर शन्ति स्वरुप भटनागर जो समय समय पर हमारे बीच में आते थे इस ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के सिलसिले में, उनसे मैं और प्रदेश की सरकार समय समय पर यह निवेदन किया करते थे कि वह कृपा करके हमारे लिये कोई ऐसा साधन मुहैया कर दें कि जिससे इस प्रकार का कोई रंग ढूंढ़ निकाला जा सके।

आप जानते हैं कि डाक्टर शान्ति स्वरुप भटनागर हमारे प्रदेश के उन वैज्ञानिकों में से थे जिनका इस देश में ही नाम नहीं था परन्तु जो वैज्ञानिक संसार में अपना एक स्थान रखते थे। और उनकी कृपा से, आज यद्यपि वे हमारे बीच में नहीं है, संसार से विदा हो गये वे ऐसे वैज्ञानिकों को दे गये हैं, ११ लेबोरेट्रीज की स्थापना करके जो कि विज्ञान की दुनियां में इस देश का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। उनसे जब जब इस विषय में चर्चा हुई उन्होंने कहा कि हमने तो विभिन्न स्थानों पर इस बात का अनुसंधान कराया है कि बनस्पति घी का इस्तेमाल क्या लोगों

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

की तन्दुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है और उन्होंने हमको इस बात की सूचना भी दी कि चार स्थानों पर, चार वैज्ञानिक केन्द्रों में, यानी बैंगलोर के डेरी इंस्टीट्यूट, बंगलोर के साइंस इंस्टीट्यूट और इज्जतनगर, बरेली के बैटेरिनरी इंस्टीट्यूट और कलकत्ता के कालेज आफ साइंस ऐंड टैक्नोलोजी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किये है और उन अनुसंधानों की तहत में वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जहां तक विजिटेबिल आयल के इस्तेमाल का संबंध है बनस्पति के रूप में वह नुकसान करने वाला नहीं है। हमने जैसा कि बताया सन् १९५० में प्योर फूड ऐक्ट बनाया और सन् १९५२ में काउंसिल आफ साइन्टिफिक ऐंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, न्यू देहली की ओर से एक पुस्तिका प्रकाशित हुई जिसमें सारे अनुसंधानों का जो इन विभिन्न वैज्ञानिक स्थानों पर किये गये थे उनके निर्णय दिये गये और उन निर्णयों को देख कर हमें यह पता चला कि जो हमारे बीच में यह विचार फैला हुआ है कि बनस्पति का खाना तन्दरुस्ती को नुकसान देता है, यह कदाचित सत्य नहीं अगर हम वैज्ञानिकों की राय को मान कर चलें। मैं उनके अनुभवों को उनके अनुसंधानों के विषय में ४,५ पंक्तियां पढ़ कर सुना देना चाहता हूं और यह पंक्तियां उस पुस्तिका से पढ़ रहा हूं जो काउंसिल आफ साइन्टिफिक ऐंड इंडस्ट्रियल, रिसर्च न्यू देहली से प्रकाशित हुई है।

"In comparative feeding experiments carried out at 3 different researeh centres on rats for 3 generations with raw groundnut oil, refined groundnut oil and vanaspati of melting points 37°C and 41°C, the results indieate that there is no deleterious effect produced by vanaspati as eompared with raw or refined oil."

फिर वह कहते हैं:

"Human feeding trials carried out at 4 different centres also indicate that vanaspati of melting point 37°C has no harmful effect as compared with raw groundnut oil"

आखिर में उन्होंने कहा:

"Feeding experiments with poor rice diets carried out on rats as well as on human subjects at different centres of research have not shown vanaspati of melting point 37° C to have any deleterious effect as compared with raw and refined groundnut oil. It appears that vanaspati of melting point 41° C. is absorbed to a lesser extent than raw groundnut oil and that it may have an adverse effect on calcium utilization, although definite conclusions cannot be drawn from the limited series of experiments on calcium matebolism. As regards comparative nutritive values of (1) pure ghee, (2) raw groundnut oil,(3) refined groundnut oil, (4) vanaspati of melting point 37°C. and (5) vanaspati of melting point 41°C. , the balance of experimental evidence places ghee as the best; raw groundnut oil, refined groundnut oil and vanaspati of melting point 37° C. fall into one group and are next best to pure ghee; vanaspati of melting point 41°C. comes third in nutritive value."

मैंने यह जो पंक्तियां आपके समक्ष उपस्थित कीं उनसे मेरे कहने का मतलब यह है कि इन वैज्ञानिकों ने यह निर्णय कर दिया कि घी तो सबसे उत्तम पदार्थ है जहां तक न्यूट्रिटिव वैल्यू का सम्बन्ध है और उसके बाद उन्होंने रिफान्ड ग्राउन्डनट आयल और राग्राउन्डनट आयल उनको एक ही पंक्ति में रखा। जब सन् १९५० में प्योर फूड ऐक्ट बन जाने के बाद हमारे सामने यह रिपोर्ट आयी तो हमने यह कहना तो छोड़ दिया कि बनस्पति के खाने से हानि होती है और हमें स्वयं भी ऐसे व्यक्ति मिले जो रोजमर्रा बनस्पति खाते हैं, उनकी तन्दुरुस्ती उन व्यक्तियों से जो कि घी खाते हैं किसी तरह कम नहीं रही है। लेकिन हम उन

व्यक्तियों में से रहे हैं और सरकार का यह मंशा बराबर रहा है और वह यह मानती रही है कि जहां तक घी का सम्बन्ध है उसकी न्युट्रिटिव वैल्यू का तो कोई मुकाबिला कर ही नहीं सकता है ।

तो जहां तक इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि यह हानिकारक चीज है मुझे दुख है कि इन वैज्ञानिकों की राय के बाद यद्यपि मेरी राय कुछ भी हो मैं उस राय को मानने के लिये तैयार नहीं हूं जो कि राय इस प्रस्ताव में प्रकाशित की गयी है । मैं स्वयं उन व्यक्तियों में से हूं जैसा कि कई सदस्यों ने बताया कि मैं बनस्पति घी या तैल को खाता नहीं और जब मैं खाता हूं तो मुझे कुछ तकलीफ हो जाती है । लेकिन ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको नहीं खा सकते, किन्ही को किन्हीं चीजों से इनर्जी पैदा हो जाती है, किन्ही को किन्हीं पदार्थ से इनर्जी पैदा होती है । लेकिन उससे यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि वह चीज प्रत्येक व्यक्ति के लिये इनर्जी पैदा कर सकती है । तो मैं इन वैज्ञानिकों की राय के बाद और केन्द्रीय सरकार की जो नीति रही है उसको समझते हुए आज यह कहने के लिए उद्यत नहीं हूं जब तक कि दूसरा कोई अनुसंधान इसके विरोध में हमारे सामने न आये कि विजिटेबुल आयल के खाने से हानि होती है । हां, यह सरकार यह चाहती है और मैं स्वयं इसका पक्षपाती हूं कि हमारे बीच में ऐसा रंग निकलना चाहिये कि जिसको बनस्पति में मिला देने से वह अशुद्धता जो अच्छे घी और शुद्ध घी के प्राप्त करने में हमको देखने में मिलती है, वह किसी न किसी प्रकार से बन्द की जावे ।

मैं यहां एक बात और भी कहना चाहता हूं मुझे बहुत से ऐसे साथियों से मिलने का अवसर मिला है जो कि विदेशों से होकर आये हैं, वह बताते हैं कि विलायत में तो बटर और मार्गरीन अलग-अलग बिकती है, वहां कोई रंग का प्रश्न उठता नहीं है, क्योंकि वहां वह दोनों उसी रूप में बेची जाती हैं । वहां पर कोई इस प्रकार की अशुद्धता देखने में नहीं आती जिस प्रकार की अशुद्धता यहां के व्यवसायी से ठीक घी के प्राप्त करने में हमें दिखाई पड़ती है । तो मैं इस विषय में यहां यह निवेदन करूंगा कि यदि विलायत में लोग मार्गरीन खा कर तन्दुरुस्त रह सकते हैं, अपनी बर्थ रेट को बढ़ा सकते हैं, और अपनी डेथ रेट को घटा सकते हैं तो यह चीज हानिकारक नहीं हो सकती । इससे यह कह कर कि हानिकारक है हम प्रतिबन्ध लगा दें यह कदाचित् सही नहीं होगा । फिर प्रदेशीय सरकार भी तो कुछ कायदों की तहत में बंधी हुई है, उसे भी कुछ कायदों के नीचे काम करना पड़ता है । यदि हम या यह सदन कोई ऐसा प्रतिबन्ध लगाना भी चाहे तो नहीं लगा सकेगा । उसे प्रेसीडेंट की आज्ञा लेनी होगी और क्या आप यह समझते हैं कि प्रेसीडेंट इस बात की आज्ञा देंगे जब केन्द्रीय सरकार की यह नीति है कि वह वनस्पति घी के प्रसार में कोई रुकावट नहीं डालना चाहती है । मैं समझता हूं आप सब को विधान की दफा ३०४ का भली-भांति ज्ञान है । वह हमको इस प्रकार की आज्ञा देने का अधिकार नहीं प्रदान करती है । यदि कोई सदन ऐसी आज्ञा देना चाहे तो इसके पहले उसे प्रेसीडेंट महोदय से आज्ञा लेनी पड़ेगी । लेकिन वह आज्ञा मिलने वाली नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सरकार प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहती है । लेकिन मैं उन व्यक्तियों में से हूं और यह सरकार चाहती है कि हमें किसी न किसी प्रकार से रंग खोज कर निकालना चाहिये जिसे कि हम वनस्पति घी में मिला सकें जिससे कि वह फिर शुद्ध घी में मिलाया न जा सके । तो इसका इन्तजाम होना चाहिये । हम यह चाहते हैं । हमने अपने प्रदेश में यह कार्य किया और विभिन्न प्रकार के सुझाव हमारे पास आये थे उनको हमने जंचवाया । लेकिन हमें कोई ऐसा रंग न मिल सका । केन्द्रीय सरकार के पास बहुत से साधन हैं, वह अवश्य इसमें सहायता दे सकते हैं और यह एक ऐसा प्रश्न है, जो आल इंडिया का प्रश्न है, सारे देश का प्रश्न है, जिसके विषय में केन्द्रीय सरकार को कोई न कोई कार्यवाही करनी चाहिये । तो मैं जहां तक हमारे साथी रणंजय सिंह जी के प्रस्ताव का संबंध है इस विषय में तो यह कहना चाहता हूं कि जिस भाषा में वह लिखा हुआ है उसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं । यद्यपि उसके पीछे जो सेंटीमेंट्स हैं उनमें से कई से

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

मैं सहमत हूं और सरकार सहमत है। इसलिये मैं उस प्रस्ताव को उस संशोधन के साथ मानने के लिये तैयार हूं जिसको हमारे व्रजभूषण मिश्र जी ने उपस्थित किया है, जिसमें कहा गया है कि डालडा से वास्तविक घृत का भ्रम होता है और डालडा स्वास्थ्य के लिये घृत के समान गुणकारी नहीं है यहां तक मंजूर करता हूं और आगे जो संशोधन में कहा गया कि केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन किया जाय कि केन्द्रीय सरकार इस तरह के रंग के अनुसंधान के विषय में कार्यवाही करे, ठोस कार्यवाही करे, जिससे प्रदेशीय सरकारें अपने बीच में कोई ऐसा कानून बना सकें जिससे इस प्रकार के रंग के बनाने की व्यवस्था इस व्यवसाय के सम्बन्ध में कर दी जाय। मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेशीय सरकार, जैसा कि मैंने कहा, १५-२० साल से इस तरह का उद्योग कर रही है कि हम इस प्रकार के रंग को निकाल सकें। जो विचार यहां प्रकट किये गये मैं इससे सहमत नहीं हूं कि सारे वैज्ञानिकों को व्यवसायी और इंडस्ट्रियलिस्ट खरीद लेते हैं। ऐसा हमारा कहना उनके प्रति अश्रद्धा प्रकट करना है। उत्तरोत्तर हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में अपनी जगह बनाये जा रहा है और अगर हम अपने वैज्ञानिकों के सम्बन्ध में ऐसी राय दें दे तो यह उनके साथ विश्वासघात करना होगा और साथ में उनको निरुत्साहित करना होगा। यह देश भी उत्तरोत्तर ऐसे वैज्ञानिक पैदा कर रहा है जो कि थोड़े समय में दुनिया के अन्दर अपना स्थान बनाएंगे और हम आशा करते हैं कि जहां वह अपने अनुसंधान के कार्य में लगे हुए हैं वह मेहनत से हमारे बीच में एक ऐसा रंग पैदा करेंगे जिससे हम उस विचारधारा को पैदा कर सकें जो कि बहुत से भाषणों में व्यक्त की गई है।

मैं, इसलिए सदन का अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि समय भी नहीं है, सरकार की तरफ से सदन को आश्वासन दिलाता हूं कि सरकार उत्तरोत्तर इस प्रयास में लगी हुई है कि रंग कोई ढूंढ़ निकाला जाय और इस कार्य के लिए जैसा कि सरकार पूर्व भी घोषित कर चुकी है, फिर घोषणा करती है कि १०,००० के बजाय २५,००० रुपया इनाम दिया जाय उस व्यक्ति को जो इस प्रकार का रंग निकाल कर हमको देगा। सरकार उसको इस प्रकार का रंग निकालने के लिए २५,००० रुपये का इनाम देगी। इससे मैं समझता हूं कि उस कार्य की पूर्ति हम कर सकेंगे जिसकी विचारधारा सदन के सामने विचारार्थ उपस्थित की गयी है।

मैं, इन शब्दों के साथ माननीय रणंजय सिंह जी के प्रस्ताव को, उस संशोधन के साथ, जिसे मिश्र जी ने पेश किया है, मंजूर करने के लिये तैयार हूं।

श्री रणंजय सिंह—श्रीमान् जी, मुझे संशोधन स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—अब मैं समझता हूं कि संशोधन बहुत से हैं। अगर बाकी सदस्य वापस लेते हों तो मैं एक ही पेश कर दूं।

कुछ सदस्य—एक ही पेश कर दें।

श्री अध्यक्ष—यह संशोधन व्रजभूषण मिश्र जी का है कि—

संकल्प की दूसरी पंक्ति में "गुणकारी नहीं है" के पश्चात् का सारा वाक्यांश निकाल कर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"अतः यह सदन भारत सरकार से प्रार्थना करता है कि वह जमाये हुये मूंगफली व तिल के तेल का घी से विभेद करने के लिये उसके रंगने के सम्बन्ध में शीघ्र कोई ठोस कार्यवाही करे जिससे इस संबंध में कानून बनाया जा सके।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—मैं अब संशोधित संकल्प सदन के सामने रखता हूं, वह इस प्रकार है:—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि जमाये हुये मूंगफली और तिल के तेल से वास्तविक घृत का भ्रम होता है और वह स्वास्थ्य के लिये घृत के समान गुणकारी नहीं है अतः

यह सदन भारत सरकार से प्रार्थना करता है कि वह जमाये हुये मूंगफली और तिल के तेल के घी से विभेद करने के लिये उसके रंगने के संबंध में शीघ्र कोई कार्यवाही करे जिससे इस सम्बन्ध में कानून बनाया जा सके।"

श्री मोहनलाल गौतम——बिनौला से भी वनस्पति बनता है अतः उसे भी जोड़ दिया जाय।

श्री बसन्तलाल शर्मा——अध्यक्ष महोदय, इसमें बिनौला को भी मिला दिया जाय क्योंकि डालडा बिनौला का ही बनता है।

श्री अध्यक्ष——मैं समझता हूं कि अगर सर्वसम्मति हो तो मैं बढ़ा दूं। (जरूर-जरूर की आवाजें) तो यह इस तरह से हो जायगा :

श्री मोहनलाल गौतम——"तथा अन्य" भी जोड़ दिया जाय क्योंकि शायद नारियल के तेल से भी बनता हो या किसी और से हो तो वह काम्प्रीहेन्सिव हो जायगा।

श्री अध्यक्ष——माननीय गौतम जी कृपा करके स्पष्ट कर दें।

श्री मोहनलाल गौतम——मैं यह कह रहा हूं कि अभी जो तीन चीजें रखी गयी हैं उनके अलावा भी शायद वेजिटेबिल आयल किसी और चीज से बनता हो जैसे नारियल का तेल। तो उसमें "तथा अन्य चीजें" रख दिया जाय तो कोई हर्ज नहीं होगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त——"अन्य चीजें नहीं" अन्य तेल कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष——तो श्री व्रजभूषण मिश्र के संशोधन के अतिरिक्त जो विभिन्न सुझाव आये हैं उनको सम्मिलित करते हुए तथा भाषा की दृष्टि से उपयुक्त सुधार करने के उपरान्त संकल्प का जो अन्तिम रूप हो जाता है उसे मैं सदन की राय के लिये प्रस्तुत किये देता हूं।

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि वनस्पति तेल जो जमाए हुए बिनौले, मूंगफली और तिल के तेल या अन्य तेल से बनाया जाता है, उससे वास्तविक घृत का भ्रम होता है और वह घृत के समान गुणकारी नहीं है, अतः यह सदन भारत सरकार से प्रार्थना करता है कि वह उक्त तेल का घी से विभेद करने के लिये उसके रंगने के सम्बन्ध में शीघ्र कोई ठोस कार्यवाही करे जिससे इस सम्बन्ध में कानून बनाया जा सके।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कालपी तथा जालौन में कांस उखाड़ने से संबंधित २२ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न ३०-३१ के विषय पर विवाद

श्री अध्यक्ष——अब जिला जालौन में कांस उखाड़ने के लिये भेजे गये ट्रेक्टरों की संख्या तथा परगना कालपी तथा जालौन में कांस उखाड़ने से सम्बन्धित श्री बसन्त लाल द्वारा २२-९-५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न ३० व ३१ के विषय पर नियम ४२ (१) के अन्तर्गत विवाद जारी होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)——माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने बताया यह जालौन जिले में कांस उखाड़ने के सम्बन्ध में वादविवाद है। माननीय बसन्तलाल जी ने जो प्रश्न पूछा था उसके सिलसिले में बहुत से अनुपूरक प्रश्न भी पूछे गये थे। मिसाल के तौर पर यह पूछा गया कि फी एकड़ कितना कांस की उखड़वाई ली जाती है तो माननीय मंत्री जी ने संभवतः यह बताया था कि ४० रुपये फी एकड़ ली जाती है जो कि अंशतः सत्य है। इसके अलावा भी लिया जाता है। मैंने अपने एक अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि जो यह खर्चा लिया जाता है किसानों से उसकी एक पाई भी सरकार नहीं बर्दाश्त करती है। तो माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि एक पाई नहीं बहुत अंश में उस खर्चे को सरकार बर्दाश्त करती है।

श्री हुकुम सिंह——क्या कहा था ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी——बहुत बड़े अंश में उस खर्च को बर्दाश्त करती है। वह भी एक भ्रमात्मक चीज है। प्रारम्भ में तो यह योजना किसानों के लाभ के लिये बनाई गई थी लेकिन बाद में यह एक अभिशाप सिद्ध हो रही है। और इसमें जो दिक्कतें किसानों को पड़ती हैं उनको मैं उपस्थित करना चाहता हूं। पहला नियम तो यह है कि १,५०० एकड़ से कम में कांस के उखाड़ने का काम प्रारम्भ नहीं किया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि १,५०० एकड़ का रकबा ले लिया जाता है और बीच में अगर किसी ऐसे किसान का खेत पड़ जाता है जिसका खेत दस एकड़ है और कांस कुल एक एकड़ में है तो उस पर ट्रेक्टर चला दिया जाता है और पूरे दस एकड़ का चार्ज कर लिया जाता है। चाहे कांस आधे हिस्से में हो या एक एकड़ में हो। मंत्री महोदय ने नहीं बतलाया था कि हाल्टिंग और वार्किंग चार्जेज भी लिये जाते हैं किसानों से। जहां ट्रेक्टर रखे जाते हैं और वहां से किसानों के खेत पर जाते हैं तो रास्ते में जो समय लगता है, उसका चार्ज किया जाता है। अगर अध्यक्ष महोदय, वह कहीं रास्ते में फेल हो गये और स्टार्ट नहीं हो सके तो बड़ा असम्भव सा सवाल हो जाता है कि कितनी देर लगेगी और क्या चार्ज होगा। वर्कशाप से चलने का और रास्ते में खराब हो जाने में वह एक घंटा बढ़ा देते हैं।.....

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)——अध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गई। इस बीच में श्री मोहनलाल गौतम ने खड़े होकर कहा।)

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं। यदि आज कोरम पूरा नहीं हुआ तो यह बहस पोस्टपोन हो जायगी या खत्म हो जायगी।

श्री अध्यक्ष——मैं यह समझता हूं कि अगर कोरम न रहा हो और बहस शुरू हो गई है तो इसकी कार्यवाही खत्म समझी जायगी। अगर बहस शुरू न हुई होती तो बात दूसरी थी।

(कोरम पूरा होने के उपरान्त)

श्री रामनारायण त्रिपाठी——अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया था कि अगर ट्रैक्टर पहुंच गया क्योंकि जिन खेतों में ट्रैक्टर चलता है तो न उनकी राय ली जाती है और न उनकी प्रार्थना पर पर गौर ही किया जाता है। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर या कलेक्टर वगैरा तय कर देते हैं और वह एरिया घोषित किया जाता है और वहां ट्रैक्टर चालू कर दिये जाते हैं तो ऐसी हालत में वादविवाद होगा और ट्रेक्टर दो घंटे खड़ा रहा तो हाल्टिंग चार्जेज ५५ रुपये घंटे के हिसाब से उनको देने पड़ेंगे और इस क्षेत्र का लगान ढाई रुपये तीन रुपये पड़ता है और ५५ रुपये के हिसाब से ट्रैक्टर के चार्ज कर लिये जायं तो इसके माने हैं कि २०-२० साल का लगान ले लिया जाता है। और यह किसानों की कमर तोड़ देता है और जो कांस की जांच-पड़ताल की जाती है कि कहां कांस है और कहां नहीं है तो वह ऐसे मौसम में की जाती है जब कांस सूख जाती है या हटा दी जाती है। अगर बरसात में शुरू की जाय तो मालूम हो कि कहां है कहां नहीं है। दूसरे कांस बरसात में उखाड़ी जाती है तो एक तरफ से कांस उखाड़ी जाती है और नमी होने की वजह से दूसरी तरफ से उग जाती है। हां, यह जरूर है कि अगर कांस फिर से जम जाए तो फ्री आफ चार्ज उखाड़ी जाती है। लेकिन ऐसी दिक्कतें हैं कि किसी की दस एकड़ जमीन है और एक एकड़ में कांस है तो ९ एकड़ के दाम उसको देने पड़ेंगे ज्यादा अगर अब जमेगी तो एक एकड़ में ही जमेगी

और ६ एकड़ के दाम वह पहले दे चुका है जो लगान का बीस गुना होता है। ऐसी हालत में यह कठिनाई किसान को है और यह भी अध्यक्ष महोदय की अभी हाल में एक बौनी रियासत है उसका एक बावन गांव है, उनका सर्किल रेट से पहले से ही रेट ज्यादा है....

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सवाल से बावनी का क्या संबन्ध है ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी---वह तो मैंने रिफरेन्स में कहा। चूंकि लगान में किसानों के साथ ज्यादती होती है इसलिये यह चीज कही।

अध्यक्ष महोदय, किसानों के बहुत शोर मचाने की वजह से सरकार ने अब यह व्यवस्था कर दी है कि ४० रुपया ऐकड़ उनसे लिया जायगा लेकिन हाल्टिंग चार्जेज के बारे में सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि वहां पर एक जगह से ३० रुपया फी एकड़ लिये जाने का फैसला किया गया है। वह उनसे १० साल में वसूल किया जायगा। और वह पहले जो ५५ रुपया एकड़ और ४० रुपया एकड़ लिया गया उसको उनसे ५ साल में वसूल किया जायगा। तो यह भी एक असमानता है, कुछ किसानों से ३० रुपया एकड़ १० वर्ष में वसूल किया जायगा और ५५ और ४० रुपया एकड़ ५ साल में वसूल किया जायगा तो मैं समझता हूं कि जनहित में किसानों के हित में यह असमानता उचित नहीं है। यह छोटा सा इलाका है। केन्द्रीय सरकार का उसमें हाथ है और हमारी सरकार का भी उसमें हाथ है जिनका कि इतना बड़ा बजट है। ऐसी हालत में सचमुच अगर सरकार चाहती है कि काश्तकारों का काम किया जाय तो उनसे आपको बहुत नामिनल चार्ज करना चाहिये ताकि वहां के किसानों का सही मानी में लाभ हो सके।

श्री हुकुमसिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र त्रिपाठी जी ने जो इस्तगासा श्रीमान् के पास मेरे खिलाफ भेजा है उसमें उन्होंने हवाला देते हुये यह कहा कि सरकार को कांस निकालने का व्यय कुछ प्रतिशत बर्दाश्त करना चाहिये। जहां तक मेरी जानकारी है यह बात ठीक नहीं है। मैं श्रीमान् से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मित्र का यह कहना उचित नहीं है। जो मैंने जवाब दिया था उसकी कापी मेरे पास है। उसमें मैंने यह जवाब दिया है और उनका प्रश्न यह था कि :---

क्या यह सही है कि कांस निकालने का सारा खर्चा किसान को देना पड़ता है और उत्तर प्रदेश की सरकार एक पाई भी नहीं देती ?

इसका मैंने यह जवाब दिया था कि :---

"सरकार पाई नहीं देती है पैसा खर्च करती है।" मैंने किसी जवाब में नहीं कहा कि इतने प्रतिशत बर्दाश्त करती है। लिहाजा हमारे मित्र की इस्तगासे की बात गलत है। मेरे जवाब से असन्तोष प्रकट करके वह तो विवाद के लिये दरख्वास्त करें लेकिन हमारे मित्र ने जो गलत इस्तगासा दायर किया है उसके बारे में मुझे हक है या नहीं कि मैं भी उनके प्रति अपना असन्तोष प्रकट करूं ? लिहाजा हमारे मित्र ने गलत बात को सदन के सामने रखा। उसके बाद हमारे मित्र श्री मदनमोहन उपाध्याय जी ने भी एक प्रश्न पूछा था कि "कितना सरफा होता है ?" इसका जवाब मैंने दिया था कि "इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। मैं इसको इस समय बता नहीं सकता क्योंकि मेरे पास सामग्री नहीं है।"

जहां तक मेरे जवाब का ताल्लुक है। जवाब इतना उचित है कि चाहे हमारे मित्र इसको अनुचित समझें लेकिन सदन तय करेगा कि यह उचित है या अनुचित है ? पैसा खर्च करते हैं। यह ऐसा मुहावरा है कि जिसको हमारे मित्र जो अवध के रहने वाले हैं

[श्री हुकुम सिंह]

उनको तो उस मुहावरे को समझना चाहिये। यह मकान बहुत अच्छा बना है, इसमें बहुत पैसा खर्च हुआ है। पैसे से धन का मतलब है वाक़ई पैसे से उसका मतलब नहीं है। तो यह मुहावरा हमारे मित्र की समझ में नहीं आया। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि मैंने जो कहा वह बिल्कुल ठीक कहा।

३०, ४० रुपये एकड़ १० वर्ष में अदा होंगे यह बात न मालूम वह कहां से ले आये। सुनी सुनाई बात उन्होंने यहां पर कह दी; अभी तो गवर्नमेंट आफ इंडिया और हमसे खतोकिताबत हो रही है, कोई निश्चित बात तय नहीं हुई है। यह आशा की जाती है कि महज ट्रैक्टराइजेशन का रेट ४० तक हो जाय। इसके नीचे हम कोई आशा नहीं रखते हैं। लेकिन मेरे मित्र ने प्रोपेगंडा की शकल में अपनी बात कही। इस सरकार ने ५१ तक करीब ६ लाख रुपये की तकावी दी है। शुरू से लेकर ४७–४८ से ५०–५१ तक जो रेट थे वे ४७-४८, ४८-४९ और ४९-५० में ५५ रुपये था और ५०–५१ में ५२ रुपये। लेकिन चार्ज जो किसान से लिया जाता था वह है ४७-४८ में १२-१२-६, ४८-४९ में २०, ४९-५० में ३६-५ और ५०-५१ में ५२ रुपये। जो कमी होती थी उसे राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ५०-५० बेसिस पर बर्दाश्त करती थीं। इस प्रकार करीब ६,४१,७०५ रुपया राज्य सरकार ने सबसीडी में दिया। इस तरह का राज्य सरकार का एक आर्गेनाइजेशन झांसी में है जो कि जालौन कालपी में भी काम करता है। वहां हमारा आफीसर आन स्पेशल ड्यूटी है। हमारा स्टाफ जमीन की छांट करता है और नोटीफाई करता है और ट्रैक्टर के चार्जेज की वसूलयाबी में मदद करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्गेनाइजेशन के लिये भी हम मकान, दवाई, पानी, सैनीटेशन आदि का प्रबन्ध करते हैं जिसमें हमारा काफी खर्च होता है। ५६ तक के लिये इस सरकार ने करीब १७,८४,६६७ रुपया खर्च किया। टोटल सबसीडी २७,२६,४०२ रुपया इस योजना के सम्पन्न करने में खर्च किया। इस तरह की जो जमीन छांटी जाती है और नोटीफाई की जाती है उसमें रबी की फसल बोने की मनादी हो जाती है। उस वक्त चूंकि काश्तकार की जमीन ली जाती है तो रबी के लिये मुआवजा भी दिया जाता है। गत वर्ष में ६५ हजार रुपया और अबकी साल ८० हजार रुपया मुआवजे के लिये रखा गया है। हमारे मित्र ने व्यंगात्मक प्रश्न किया यह मान कर कि सरकार एक पाई भी उसमें नहीं लगाती है। २७, २८ लाख रुपया यह सरकार खर्च कर चुकी है। हमारे मित्र तो मेरे जवाब से कभी भी सन्तुष्ट हो नहीं सकते। उस समय सन्तुष्ट हो सकते हैं जब हम हाथ जोड़ कर खड़े हो जायं और यह कहें कि राज्य सरकार ने बड़ा भारी कसूर किया है लेकिन माननीय सदस्य यदि मेरी बात को सोचेंगे और समझेंगे तो तय करेंगे कि मेरा जवाब माकूल और सन्तोषजनक था। हमारे मित्र ने कहा कि मैंने ५५ रुपये कहा था और बातें मैंने नहीं बतलाईं। मैं उस सवाल का मतलब यह समझा था कि वह ट्रैक्टराइजेशन का रेट पूछते हैं वाटरिंग और स्टेइन्ग चार्जेज की दूसरी मद हैं। मेरा मंशा कोई बात छिपाने का नहीं था। मेरे मित्र फिर सवाल करते तो मैं जवाब देता अगर मेरे पास सामग्री नहीं होती तो मैं नोटिस मांगता। रेट तो वही ५५ रुपये है लेकिन जालौन कालपी में जो ट्रैक्टराइजेशन हुआ है ५४–५५ में उसमें वाटरिंग चार्जेज का औसत १३ आने पड़ा है। जितनी टोटल आराजी ट्रैक्टराइजेशन की होती है उसको उस रकम से तकसीम किया जाता है जो उस जगह होती है और इस तरह से पर एकड़ खर्चा निकाला जाता है और इस प्रकार हिसाब लगाने पर १३ आना प्रति एकड़ से ज्यादा वर्किंग चार्ज नहीं आये, हार्ल्टिग ८ सीजन में १० घंटे का हुआ जब कि ट्रैक्टर्स बेकार रहे। तो ५५ को १० से जरब कर दीजिये तो कुल ५५० रुपया पड़ते हैं और उसकी सारी जमींन पर तकसीम कर दीजिये यह साफ है कि वर्किंग और हार्ल्टिग चार्जेज की रकम बहुत ही कम है लिहाजा मेरे दोस्त ने जो इस बात की कोशिश की यह दिखाया

जाय कि ५५ रुपया हार्विटग चार्जेज, ५५ रुपया वार्किंग चार्जेज और ५५ रुपया ट्रैक्टराइजेशन चार्जेज हुए और इस प्रकार से प्रति एकड़ १६५ रुपया आया और यह रुपया किसानों से वसूल किया गया। यह बात सत्य से बहुत दूर है। मैं कहना चाहता हूं और मुझे इस बात की शिकायत है कि उन्होंने मेरे जवाब के बिल्कुल खिलाफ ब्यान देकर और श्रीमन् के सामने इस्तगासा दायर किया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में तो २५० ऐसी दफा हैं जिसमें यदि कोई मेलीशसली ग़लत इस्तगासा दायर करता है उसके खिलाफ यह कहा जा सकता है कि इस शख्स ने जान बूझ कर परेशान करने के लिये ऐसा किया है इसलिये इसके खिलाफ कार्यवाही की जाय। लेकिन यहां वह दफा लागू नहीं होती और उनके लिये कोई ऐसी रुकावट नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने आधा घंटा सदन को बैठा रखा, अध्यक्ष महोदय को बैठा रखा और मुझे भी वहां खड़ा कर दिया। लेकिन बात कुछ न निकली। ऐसा तो अवश्य होना चाहिये कि जो बात सही हो वही कही जाय लेकिन किसी सवाल को डिस्टार्ड करके लाना कहां तक मुनासिब है। मैं समझता हूं कि मैंने जो जवाब दिया था वह उचित था लेकिन माननीय मित्र ने उसको समझा नहीं। वे अवध का भी जो मुहावरा था उसको भी नहीं समझ सके। दिल्ली में बहुत दिन रहे लेकिन कुछ नहीं किया। इन शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष महोदय, अपने मित्र से अर्ज करूंगा कि यह बिला वजह का विवाद है और अब विवाद के सिवाय उनके पास कोई काम रहा भी नहीं है क्योंकि दो आदमियों की पार्टी है और कोई काम है भी क्या?

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर यह बतायेंगे कि कांस उखड़वाने से पहले किसानों से उनकी जमीन की सफाई वग़ैरा के लिये कुछ लिया जाता है?

श्री हुकुमसिंह---इस वक्त मेरे पास सामग्री नहीं है नहीं तो बता देता।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--- क्या माननीय मंत्री जी यह बता सकेंगे कि कितना ट्रेक्टराइजेशन हो चुका है?

श्री हुकुम सिंह---उस दिन तो बताया था, आज तो मुझे याद नहीं है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या कृषि मंत्री जी यह बतायेंगे कि सन् ४८ में जो ९ लाख की तकावी दी गयी थी उसमें से कुछ रुपया वसूल हुआ?

श्री हुकुम सिंह---तकावी नहीं, सब्सीडी दी थी जो किसानों को देकर वापिस नहीं ली जाती।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आज़मगढ़)---प्रति एकड़ कांस जुताने का क्या किराया पड़ता है?

श्री हुकुम सिंह---सारी रामायण हो गयी, सीता कौन थी और राम कौन थे यह न मालूम हुआ। मैंने कहा कि ५५ रुपया थी, ५२ रुपया थी और ५५-५६ में ४० रुपया होने की सम्भावना है। अभी कतई तय नहीं है। यह ट्रैक्टराइजेशन के चार्जेज हैं?

राजा वीरेन्द्र शाह---क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि गल्ले की दर को देखते हुए जो पहले रेट्स ज्यादा थीं, जो रेट पहले वाले किसानों से ली गयीं, उनको भी माफी दी जायगी?

श्री हुकुम सिंह---माफी का सवाल नहीं है। आगे के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया से मैं किसानों के लिये लड़ रहा हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार से जो सलाह मशविरा रेट को कम करने के लिये हो रहा है वह कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री हुकुम सिंह--- जब सरकार तय कर देगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को यह बहुत बुरा लगा है। असल में उनको तो शुक्रगुजार होना चाहिये कि अगर उनके असन्तोष जनक उत्तर से कोई गलतफहमी सदन में पैदा हो गयी तो मैंने उनको मौका दिया कि वे सही बात कह सकें और यही इस विधान सभा में विवाद करने का असली मतलब हुआ करता है लेकिन और बहुत से ऐसे प्रश्न जो हमने उठाये थे उसके ऊपर माननीय मंत्री जी ने अपनी कोई राय नहीं दी। मिसाल के तौर पर १,५०० एकड़ से कम का कोई ब्लाक होता उसका ट्रैक्टराइजेशन नहीं होता और उसमें अगर किसी किसान का १० बीघा खेत हो और उसके बीच में एक बीघा खेत के अन्दर कांस हो तो सरकार उससे पूरे खेत का ट्रैक्टराइजेशन चार्जेज ले लेती है। माननीय मंत्री जी ने इस ज्यादती के बारे में कुछ नहीं कहा। जहां तक सबसिडी का प्रश्न है ट्रैक्टराइजेशन चार्ज, वर्किंग चार्ज और स्टैंडिंग चार्ज के लिये हो सकता है। उन्होंने कहा कि सबसिडी किसी रूप में नहीं होती।

श्री हुकुम सिंह--- वह रेसिशन होता है, सबसिडी नहीं होती।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--- सबसिडी का कोई आधार नहीं मिलता। मैंने यह कहा था कि सरकार का कोष १२ करोड़ से ९१ करोड़ से हो गया है इसलिये रेट को कम करने के बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेंट से दरख्वास्त करने की कोई बात नहीं है। इस गवर्नमेंट के पास भी इस सूबे से काफी रेवेन्यू आता है और इस सूबे से काफी रेवेन्यू सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाता है। सूबे के पास काफी रेवेन्यू है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उन गरीब किसानों से जो इतना ज्यादा रुपया चार्ज करके उनकी कमर तोड़ने की बात की जाती है इस सम्बन्ध में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा।

श्री हुकुम सिंह---सबसिडी के बारे में मैंने कह दिया, इसको माननीय मित्र ने सुना ही नहीं। सन् ४७-४८, ४८-४९, ४९-५० और ५०-५१ में ५५ और ५२ का रेट था और जो उनसे चार्ज किया गया था वह यह है---सन् ४७-४८ में १२ रु० १२ आ० ६ पाई, सन् ४८-४९ में २० रु०, सन् ४९-५० में ३६ रु० ५ आ० और सन् ५०--५१ में ५२ रु०। इसके अन्दर सेंट्रल गवर्नमेंट और यह राज्य सरकार फिफ्टी फिफ्टी के बेसिस पर सबसिडी देती है। जो असल बात थी उसको मैंने कह दिया। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष---तो यह समाप्त होता है। अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २९ मिनट पर सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
९ सितम्बर, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२३ पर)

२४ दिसम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ८२,८३, ८४ के उत्तर

प्रश्न	उत्तर
८२	जी हां।
८३	जी हां, इनमें से कुछ गांवों से प्रार्थना पत्र जिला नियोजन अधिकारी को प्राप्त हुये हैं।
८४	जांच के पश्चात् नियमानुसार कुछ गांवों को अनुदान दिया गया है।

हरगोविन्द सिंह,
शिक्षा मंत्री।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२६ पर)

SUTI MILL MAZDOOR SABHA,
GWALTOLI, KANPUR.
8th April, 1955.

To,

1. The Elgin Mills Co. Ltd., Kanpur.
2. The New Victoria Mills Co. Ltd., Kanpur.
3. The Muir Mills Co. Ltd., Kanpur.
4. The Cawnpore Woollen Mills, Branch of the B. I. C. Ltd., Kanpur.
5. The Cawnpore Cotton Mills, Branch of the B. I. C. Ltd., Kanpur.
6. The Cawnpore Textiles Ltd., Kanpur.
7. The Swadeshi Cotton Mills Co. Ltd., Kanpur.
8. The Atherton West & Co., Ltd., Kanpur.
9. The J. K. Cotton Spg. & Wvg., Mills Co. Ltd., Kanpur.
10. The J. K. Cotton Manufacturers Ltd., Kanpur.
11. The Laxmi Ratan Cotton Mills Co. Ltd., Kanpur.

DEAR SIRS,

WHEREAS:

1. The General Council of the Suti Mill Mazdoor Sabha is convinced that the U. P. Government and the employers (in the textile industry of the City) are determined to impose intensification of work-load (in Elgin, Muir, Swadeshi, Atherton West, J. K. Cotton , Cawnpore Textiles and Cawnpore Cotton Mills) which must eventually result in the retrenchment of thousands of workmen, will not increase production nor lower sale prices of cloth but would multiply profits for the mill magnates and misery for, both retained and retrenched, workmen.

2. The U. P. Government and the employers are not willing and cannot implement the assurances given at the Tripartite Conference regarding the retention in employment of workmen, permanent, temporary and substitute, consequent on the so-called rationalization measures being implemented.

3. The proposed cent per cent intensification of work-load in Spinning, Weaving and other sections, without introducing any technological improvements whatsoever, is bound to result in diminishing aggregate, loom point and spindle point, production.

4. The proposed schemes of intensification (described by the employers and ill-informed Government spokesmen as rationalization) must inevitably result in break-down in physique, deterioration in industrial efficiency of the worker and plant morale.

5. The proposed increase in basic wages of those retained for intensified work would enhance their total wages only by about 13 per cent for 100 per-cent or bigger increase in work-load and would widen the existing disparity between Kanpur textile worker and workerat Bombay and Ahmedabad for the same quantum of work.

6. The PSEUDO rationalization schemes threatened to be implemented in Kanpur run contrary to the letter and spirit of all collective agreements and recommendations of expert committees concerned with this question in this industry.

7. The U. P. Government and the employers have persistently turned down the labour demand to effect real, comprehensive and desirable rationalization in the financial, managerial and marketing structures of the textile industry at Kanpur in the form of establishment of central pools for purchase of cotton and stores and reduction in managing, selling and purchasing agency commissions which would result in greater saving, without causing unemployment and would be in the interest of nation as a whole.

8. The Labour Department of U. P. Government have persistently rejected and spurned all requests and persuasions of the Suti Mill Mazdoor Sabha for referring to adjudication disputes which are the core of industrial maladies crying for redress, such as Retirement Gratuity, Revision of oppressive and unjust Standing Orders, Irrecoverable Suspension Allowance, stoppage of arbitrary, coercive and vindictive Transfers.

9. Cawnpore Woolen Mills, Branch of the B. I. C. has been running for years for about one week per month to cut down production and attach scarcity value to its produce causing immeasurable misery to its employees and the U. P. Government has chosen to remain an impassionable spectator. And the workers of the J. K. Woollen Mills who have been under continuous play-off for the last 19 months are faced with untold misery.

10. The illegal imposition of nine-hour work on Saturdays and Mondays in the Swadeshi Cotton Mills has continued for about 14 months despite repeated protests from the Suti Mill Mazdoor Sabha and an overwhelming majority of workmen concerned and the Labour Department representative has simply refused to convene the Committee authorized to review the arrangement.

11. The *en masse* suspension of workers in the Muir Mills, Cawnpore Cotton Mills and the Cawnpore Textiles culminating in the total cessation of work in the latter is the studied process of employers to demoralize and subdue workers into accepting their unjust intensification schemes.

12. The three textile mills (New Victoria, Laxmi Ratan and J.K. Cotton Manufacturers) have failed to honour the terms, regarding enhanced wages and technological improvements, guaranteed to workers at the time of imposition of intensified work-load even after prolonged strikes and avalanche of repression. The experience of production in these three units has conclusively proved that PSEUDO rationalization has neither resulted ni increase in production nor cheaper cloth for consumer nor better wages amenities for the workers but only greater profits for the employers. The workers have been tirelessly agitating for the reversion to old work-load.

13. The U. P. Government and the employers have given no consideration to the repeated demand of the Suti Mill Mazdoor Sabha for its recognition as the sole bargaining agent for the textile workers of Kanpur and constitution of Works Committees or Trades Councils which would have been promotive of industrial harmony.

14. Both the former Labour Minister and the Labour Commissioner have repeatedly broken their promises regarding restoration of leave with wages and lakhs of rupees forfeited from earned wages as deductions due to observance of May Day and Shahid Day (January 6).

15. A substantial number of the textile workers have been deprived of annual bonus for over four years. The Sabha has come to the conclusion that workers can never win bonus, except in exceptional circumstances, on the basis of Full Bench Formula of the Labour Appellate Tribunal and the published balance sheets of the employers the Sabha reiterates its demand that the workers be given a consolidated suitable bonus for the past years and for future bonus equivalent to three months basic wages be recognized as a payment due at the close of the year.

16. The Government and the employers have brushed aside the repeated demand of the non-permanent workers to be declared permanent by providing that no permanent post should be left unfilled beyond two months by a permanent hand. This has been so done to leave ample room for the retrenchment of substitutes and the so-called temporaries under the PSEUDO rationalization scheme and confirmations have been withheld for the last several years. No relief is given to a substitute (who is required to report for duty every day) in case he is turned back by the employer.

17. The unanimous recommendations of the Nimbkar Committee regarding Basic wages and Dearness allowances of operatives and clerks have not been implemented even as the wages have been progressively declining for the last few years.

18. The grades and incremental scales for clerks and watch and ward have not been fixed as per recommendations of the Nimbkar Committee,

19. The employers have been relentlessly pursuing the policy of weeding out trade unionists from their respective mills on flimsiest pretexts and the Government have aided them by withholding reference of their cases for adjudication.

20. The Sabha strenuously supports the struggle and shares the grievances of workers in Jute, Leather, Oil and Chemical industries of Kanpur for the fixation of a minimum wage through adjudication,

The Suti Mill Mazdoor Sabha has decided to ask all the workmen employed in the textiles industry to go on a general strike for the immediate removal of the above grievances with effect from the 2nd May, 1955.

Please take notice thereof.

Also please take notice that in case a crisis or deadlock is precipitated by the employers during the notice period the Sabha will allow the workers concerned to report to strike at an earlier date in order to resist the provocative acts.

Yours faithfully,

ARJUN ARORA,
General Secretary.

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२७ पर)

हरिजन छात्रावासों के नाम तथा पते	सन् १९५३–५४ में प्रदत्त की हुई अनावर्तीय सहायता
मेरठ (क्षेत्र प्रथम)	रु०
१—श्री हरिजन धर्म जीवन छात्रावास, मछरा . .	१२०
२—कुमार आश्रम, लाजपत निवास, गढ़ मुक्तेश्वर . .	१५०
३—जाटव डी० सी० बोर्डिंग हाउस, गांधीनगर . .	१२०
४—हरिजन छात्रावास, भवाना	१२०
सहारनपुर	
५—डी० सी० होस्टल, गढ़ी मलूक	१२०
६—डी० सी० होस्टल, रामपुर मनिहारन . .	१२०
बुलन्दशहर	
७—डी० सी० होस्टल, मेरिस रोड	१२०
८—गांधी जाटव छात्रावास, खुरजा	१२०
देहरादून	
९—डी० सी० होस्टल, १२ आनन्द चौक	१२०
अलीगढ़	
१०—डी० सी० होस्टल, धन्नादेवी	१५०
इटावा	
११—हरिजन होस्टल, दिवपट्टी	१३०
१२—डी० सी० होस्टल गडहई, औरैया	१२०
मथुरा	
१३—दलित छात्रावास, मोहल्ला भाटीथान . .	१२०
आगरा	
१४—जाटववीर होस्टल, राजामंडी	२००
बरेली (क्षेत्र द्वितीय)	
१५—हरिजन छात्रावास, नेकपुर	१२०
बिजनौर	
१६—हरिजन विद्यार्थी आश्रम	१५०
१७—हरिजन विद्यार्थी आश्रम, धामपुर	१२०
मुरादाबाद	
१८—डी० सी० होस्टल, चन्दौसी	१२०
१९—बापू छात्रावास, सिविल लाइन्स	१५०

हरिजन छात्रावासों के नाम तथा पते	सन् १९५३–५४ में प्रदत्त की हुई अनावर्तीय सहायता
फतेहपुर	रु०
२०—डी० सी० होस्टल, ३८१ मुसवानी मोहल्ला ..	१२०
बदायूं	
२१—परिगणित छात्रावास, मऊवारी	१२०
शाहजहांपुर	
२२—डी० सी० छात्रावास, नाफिज मंजिल	१५०
अल्मोड़ा	
२३—डी० सी० होस्टल	१२०
२४—डी० सी० होस्टल, पौड़ी	१२०
गढ़वाल	
२५—शिल्पकार छात्रावास, लैंसडाउन	१२०
२६—शिल्पकार छात्रावास, कर्ण प्रयाग	१२०
इलाहाबाद (क्षेत्र तृतीय)	
२७—डी० सी० होस्टल, १३५ कटरा	१२०
२८—डी० सी० होस्टल, राजापुर	१५०
२९—श्री गणेशशंकर विद्यार्थी स्मारक डी० सी० होस्टल, ४०-बी बलुआघाट	१२०
३०—ईश्वर शरण यूनिवर्सिटी होस्टल, २९ चैथम लाइन्स ..	२३०
फर्रुखाबाद	
३१—डी० सी० होस्टल, फतेहगढ़	१२०
कानपुर	
३२—अछूत जाति विद्यार्थी छात्रावास, कर्नलगंज ..	१२०
३३—डी० सी० होस्टल, पुखरायां	१२०
जालौन	
३४—परिगणित छात्रावास, कौंच	१२०
३५—ठक्करबाबा हरिजन छात्रावास, राम चबूतरा, कालपी	१२०
बनारस (क्षेत्र चतुर्थ)	
३६—बीर आश्रम डी० ६१/१३, सिंघगिरीबाग ..	१५०
३७—जगजीवन आश्रम, बी० ५/१५६ अवधगरवी ..	१२०
मिर्जापुर	
३८—डी० सी० होस्टल, पुलिस लाइन	२२५
जौनपुर	
३९—डी० सी० होस्टल, ईशारपुर ..	१२०
गाजीपुर	
४०—डी० सी० बोर्डिंग हाउस, चौराहा ..	१५०
आजमगढ़	
४१—डी० सी० होस्टल, सदर	१५०

हरिजनों छात्र वासों के नाम तथा पते	सन् १९५३–५४ में प्रदत्त की हुई अनावर्तीय सहायता
	रु०
देवरिया	
४२––आजाद परिगणित जातीय छात्रावास, चन्द्रलोक ..	१५०
४३––परिगणित जातीय छात्रावास, चन्दौलीराज ..	१००
४४––परिगणित जातीय छात्रावास, बरहज बाजार ..	१००
गोरखपुर	
४५––हरिजन छात्रावास, गोलघर	..
लखनऊ (क्षेत्र पंचम)	
४६––महात्मा गांधी छात्रावास, लाटूश रोड ..	१२०
४७––हरिजन छात्रावास, रविदास मंदिर, चांदगंज कलां ..	२००
उन्नाव	
४८––भनवाराम कुरील परिगणित छात्रावास ..	१२०
रायबरेली	
४९––भीमराव परिगणित जातीय छात्रावास, जहानाबाद ..	१२०
सीतापुर	
५०––परिगणित जातीय छात्रावास, दुर्गापुरवा ..	१२०
५१––परिगणित जातीय छात्रावास, खैराबाद ..	१२०
हरदोई	
५२––परिगणित जातीय छात्रावास	१२०
बाराबंकी	
५३––सरस्वती बोर्डिग हाउस	२००
सन् १९५३–५४ में नये खोले गये छात्रावास	
हरदोई	
५४––परिगणित जातीय छात्रावास, बिलग्राम ..	२००
लखनऊ	
५५––परिगणित जातीय छात्रावास, मवकागंज इरादतनगर ..	२०००
५६––ठक्कर बापा परिगणित जातीय छात्रावास, ४२ ई० सी० रोड ..	४००
बुलन्दशहर	
५७––कमला नेहरू हरिजन कुमार आश्रम, सिकन्दराबाद ..	१००
बरेली	
५८––अछूत जातीय छात्रावास, तहसील फरीदपुर ..	२४०
बरेली	
५९––हरिजन विकास छात्रावास, सेंट एन्ड्यूज बिल्डिग ..	२५०

हरिजन छात्रावासों के नाम तथा पते	सन् १६५३-५४ में प्रदत्त की हुई अनावर्तीय सहायता
	रु०
सहारनपुर	
६०--परिगणित जातीय छात्रावास ..	२००
सुल्तानपुर	
६१--वीर जवाहर हरिजन छात्रावास, ८२१ बी, साहगंज ..	३००
बाराबंकी	
६२--श्री जगजीवन छात्रावास ..	२००
प्रतापगढ़	
६३--आचार्य विनोबा हरिजन छात्रावास, १३० स्टेशन रोड ..	२००
बस्ती	
६४--हरिजन छात्रावास	२००
कानपुर	
६५--जगजीवन छात्रावास (बुद्धपुरी)	१००
बलिया	
६६--हरिजन छात्रावास	२००
उन्नाव	
६७--हरिजन छात्रावास, अब्बास पार्क	४००
फतेहपुर	
६८--हरिजन छात्रावास, बिन्दकी	२००
बाराबंकी	
६९--सुभाष छात्रावास	२००
इलाहाबाद	
७०--राष्ट्रीय हरिजन छात्रावास, जंघई	१५०
मेरठ	
७१--श्री रविदास छात्रावास, बरौट	२००
लखनऊ	
७२--हरिजन छात्रावास, पीली कोठी, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग ..	२००
रायबरेली	
७३--मूल भारतीय छात्रावास	२००
हमीरपुर	
७४--परिगणित जातीय छात्रावास	२००
७५--हरिजन छात्रावास तहसील राठ	२००

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२९ पर)

विद्यार्थियों की जिलेवार संख्या, जिनको १९५४–५५ ई० में राजनैतिक पीड़ितों की छात्र-वृत्ति तथा अनावर्तक सहायता प्रदान की गई।

क्रम सं०	जिले का नाम	विद्यार्थियों की संख्या जिनको छात्रवृत्ति प्रदान की गई	छात्रवृतियों का योग	विद्यार्थियों की संख्या जिनको अनावर्त्तक सहायता दी गई	इकमुट्ठ अनावर्त्तक सहायता का योग
			रु० प्रतिमाह		रु०
१	देहरादून	२	५०	४	२००
२	सहारनपुर	१	८	१	४०
३	मेरठ	१०	१६४	६	२३०
४	बरेली	३	७७	—	—
५	बुलन्दशहर	१	३५	७	२२०
६	अलीगढ़	९	१९२	७	२७०
७	मथुरा	५	४९	५	१७०
८	आगरा	९	१४४	७	३७०
९	मैनपुरी	४	५६	७	२५०
१०	एटा	३	४०	—	—
११	बिजनौर	२	१६	१	३०
१२	बदायूं	—	—	२	६०
१३	मुरादाबाद	२	६०	२	७०
१४	रामपुर	—	—	—	—
१५	मुजफ्फरनगर	५	६६	—	—
१६	शाहजहांपुर	३	६२	१	३०
१७	पीलीभीत	—	—	—	—
१८	नैनीताल	६	८२	४	१६०
१९	अल्मोड़ा	८	९०	८	२४०
२०	टेहरी गढ़वाल	—	—	—	—
२१	गढ़वाल	—	—	१	३०
२२	फर्रुखाबाद	१	५	२	६०
२३	इटावा	६	५८	३	११०
२४	कानपुर	१०	१६१	११	६९०
२५	फतेहपुर	—	—	—	—
२६	इलाहाबाद	२२	३८३	३५	१५४०
२७	झांसी	८	१२३	३	१००
२८	जालौन	—	—	३	९०
२९	हमीरपुर	१	१२	२	६०
३०	बांदा	—	—	१	३०

क्रम सं०	जिले का नाम	विद्यार्थियों की संख्या जिनको छात्रवृत्ति दी गई	छात्रवृत्तियों का योग	विद्यार्थियों की संख्या जिनको अनावर्तक सहायता दी गई	इकमुट्ठ अनावर्तक सहायता का योग
		रु० प्रतिमाह			रु०
३०	बांदा	—	—	१	३०
३१	मिरजापुर	२	१३	२	५०
३२	बनारस	४६	८४१	३७	१७००
३३	गाजीपुर	६	११३	६	२६०
३४	जौनपुर	२१	२६४	६	३००
३५	बलिया	१८	२४३	२५	७७५
३६	गोरखपुर	१	२०	५	२००
३७	देवरिया	५	४६	४	१००
३८	बस्ती	२	२८	२	६०
३६	आजमगढ़	१२	२१४	१०	३४०
४०	लखनऊ	५१	१२२३	२७	१४७०
४१	सीतापुर	३	२१	—	—
४२	हरदोई	४	३८	—	—
४३	खीरी	१	२०	१	५०
४४	उन्नाव	—	—	—	—
४५	रायबरेली	—	—	५	१५०
४६	फैजाबाद	११	१७८	१४	४१५
४७	गोंडा	—	—	—	—
४८	बहराइच	—	—	—	—
४६	सुलतानपुर	२	२०	—	—
५०	बाराबंकी	३	१५	—	—
५१	प्रतापगढ़	—	—	१	४०
					१०,४८०
			वनस्थली		२०
					१०,५००

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३९ पर)

क्रम सं०	सम्मोदित पद एवं संख्या पद	 सं०	वेतन क्रम	नियुक्त कर्मचारी का नाम
१	२	३	४	५
१	प्रिंसिपल	१	२५०-२५-४००-द०रो०-३०-७००- द० रो०-५०-८५० रु० प्र०मा०	—
२	प्राक्टर कम हास्टल सुपरिंटेंडेंट	१	२५० रु० प्र० मा० निर्धारित	श्री जी० डी० पांडेय
३	वर्कशाप सुपरिंटेंडेंट	१	२००-१०-३००रु०प्र० मा०	श्री गिरीश चन्द्र तिवारी
४	सीनियर क्रेफ्ट इन्स्ट्रक्टर	३	१२०-८-२००-द० रो०-१० ३००रु०प्र० मा०	१—श्री ब्रजकिशोर सिन्हा २—श्री श्याम लाल ३—श्री जमशेद बहादुर
५	जूनियर क्रैफ्ट्स इंस्ट्रक्टर	३	६०-४-८०-४-१००रु०प्र०मा०	१—श्री काशी प्रसाद २—श्री मो० अकराम कुरेशी
६	आर्टिजन इन्स्ट्रक्टर	३	—	१—श्री कालीप्रसाद श्रीवास्तव २—श्री मारिश विक्टर सिंह ३—श्री छोटे लाल चरण
७	ड्रांइग कम मैथ्स इन्स्ट्रक्टर	१	—	—
८	हेडक्लर्क कम एकाउन्टेंट	१	८०-५-१००-६-१३० रु०	श्री आई० डी० पांडेय
९	क्लर्क कम स्टोर कीपर	१	६०-४-८०-द० रो०—४-१००रु०	श्री के० सी० तिवारी
१०	क्लर्क कम कैशियर	१	६०-३-९०-४-१००रु०प्र०मा	श्री अमर बहादुर सिंह
	निम्न कर्मचारी वर्ग			
	केंद्र के निमित्त			
१	भंगी	१	२७-३३ रु० प्र० मा० या २२—२७ रु० प्र० मा० जैसी परिस्थिति हो	१—श्री हीरा बल्लभ पांडेय २—श्री हरीदत्त पाठक चपरासी ३—श्री भोलादत्त पांडेय ४—श्री नेतराम ५—श्री हरिराय आर्य
२	चौकीदार	१		
३	वर्कशाप अटेंडेंट	२		
४	चपरासी	२		
५	अर्दली चपरासी	२		
	छात्रावास के लिये			
१	भंगी	१	२७—३३ रु० प्र० मा० या २२—२७ रु० प्र० मा० जैसी परिस्थिति हो	—
२	चौकीदार	१		
३	वाटर मैन	१		

हरिजन सहायक विभाग द्वारा संचालित नैनीताल औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में नियुक्त कर्मचारिवर्ग का सम्यक विवरण निम्नलिखित है –

वर्ग	शिक्षा की योग्यता	वर्तमान वेतन	विवरण
६	७	८	९
–	–	–	नियुक्ति विचाराधीन है
ब्राह्मण	गांधी विद्या निकेतन के प्रधानाचार्य	२५० रु०प्र०मा०	–
ब्राह्मण	बी० ई० पिलानी राजपूताना विश्वविद्यालय	२०० ,,	–
कायस्थ	एम० एस० सी० फिजिक्स	१२० ,,	–
कायस्थ	मिडिल परीक्षा एवं कारपेंट्री का विशेष अनुभव	१२० ,,	–
कायस्थ	मिडिल परीक्षा एवं लोहारी का विशेष अनुभव	१२० ,,	–
अनुसूचित मुसलमान	हाई स्कूल एवं १३ वर्ष कार्य का अनुभव	६० रु०	एक की नियुक्ति विचाराधीन है
	हाई स्कूल एवं २ वर्ष कार्य का अनुभव	६० ,,	
कायस्थ	प्रथम वर्ष ओवरसियर कोर्स पास	६० ,,	–
इसाई	हाई स्कूल एवं ११ वर्ष कार्य का अनुभव	६० ,,	–
पिछड़ी जाति	साक्षर एवं विभिन्न फारमों में १२ वर्ष का अनुभव	६० ,,	–
			नियुक्ति विचाराधीन हं
ब्राह्मण	हाई स्कूल	८० रु०	–
ब्राह्मण	हाई स्कूल	६० ,,	–
ठाकुर	हाई स्कूल	६० ,,	–
ब्राह्मण	–	२२ रु०	शेष विचाराधीन ह
ब्राह्मण	साक्षर	२२ ,,	–
ब्राह्मण	–	२२ ,,	–
अनुसूचित जाति	–	२२ ,,	–
अनुसूचित जाति		२२ ,,	–
			सुपरिंटेंडेंट को अधिकार दिया गया है कि वह अनुसूचित जाति के लोगों की नियुक्ति कर ले

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ७४ एल० ए० १९५५–७९६ ।